माननीय दुर्ग - भिलाई [illegible] आयोग

विषय :- जाँच आयोग के समक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री (म० प्र० सरकार) सुन्दरलाल पटवा को अदालती [illegible] के रूप में तलब करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है कि -

1. यह कि इस माननीय जाँच आयोग के समक्ष जाँच का प्रथम बिन्दु 01.07.1992 के भिलाई गोली चालन की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे में है । दुर्ग-भिलाई अंचल के श्रमिक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबंधित ट्रेड यूनियनों के जरिए अपने उद्योगों-कारखानों में श्रम-कानूनों को लागू करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे ।

2. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों का गठबंधन भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रूप में सक्रिय है, जिसका अध्यक्ष बी. आर. जैन बहुचर्चित हवाला काण्ड के मुख्य अभियुक्तों में है । कि इस गठबंधन के विभिन्न आर्थिक एवं अन्य खूनी अपराध उजागर होते जा रहे हैं । देश के अग्रणी ट्रेड यूनियन नेता का. शंकरगुहा नियोगी की हत्या में इन उद्योगपतियों का हाथ सी. बी. आई. जाँच से उजागर हो चुका है ।

3. यह कि 27 जनवरी 1992 को बी. आर. जैन, कैलाशपति केडिया, मूलचन्द शाह के नेतृत्व में कुख्यात भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर जुलूस निकाला, उस प्रदर्शन में उन्होंने छ० मु० मो० एवं उससे संबंधित ट्रेड-यूनियनों को निपटने के अपने अपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी तंत्र को अपने निजी तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने के दुराग्रह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जो कि स्पष्टत: हवाला धन के प्रभाव में उजागर [illegible] था ।

4. यह कि भिलाई में छ०मु०मो० संबंधित ट्रेड-यूनियनों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुन्दरलाल पटवा ने भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पक्ष में जिला प्रशासन का 1990 से लेकर 1992 तक [illegible] इस्तेमाल करने के तथ्य सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं ।

5. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों की अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में राष्ट्रपति से मिल कर लौटे हुए कामरेड शंकरगुहा नियोगी ने भोपाल में सुन्दरलाल पटवा से मिलने का प्रयास किया तो सुन्दरलाल पटवा ने मिलने से इंकार कर दिया था।

6. इसके सप्ताह भर बाद भिलाई केन्द्रीय औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने नियोगी जी की हत्या करवा दी।

7. 01.07.1992 को भिलाई पुलिस गोलीकांड का समाचार भोपाल में तत्काल प्रसारित हुआ था।

8. यह कि 03.07.1992 को भिलाई में सुन्दरलाल पटवा ने स्वीकार किया कि भिलाई के उद्योगपति श्रम-कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। परन्तु मेरे पास कानून नहीं है, जिसके द्वारा उन्हें कानून का पालन करवा सकूँ।

9. अतः अनुरोध है कि सत्य की तह तक पहुंचने के लिए सुन्दरलाल पटवा को अदालती गवाह के रूप में समन किया जाए।

दुर्ग,

दिनांक

आवेदक

(जनकलाल ठाकुर)

[illegible] मानवाधिकार दुर्ग (भिलाई) [illegible] आयोग

विषय :- 01.07.1992 के भिलाई पुलिस गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में ।

महोदय जी,

हम प्रार्थीगण हेतु । भिलाई गोलीकाण्ड पीड़ित [illegible] मोर्चा द्वारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि :-

1. यह कि हमारे माता-पिता भिलाई के विभिन्न उद्योग जैसे- बी.ई.सी., केडिया डिस्टलरीज, सिम्प्लेक्स, बी.के. तथा भिलाई स्टील प्लांट इत्यादि के श्रमिक हैं । वे अपनी कड़ी मेहनत द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और अपने परिवारों को पाल रहे हैं ।

2. यह कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संघ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ द्वारा छत्तीसगढ़ केमिकल्स मिल मजदूर संघ के नेतृत्व तले हमारे माता-पिता अपने मूल संवैधानिक अधिकार जैसे पर्याप्त वेतन, काम का स्थायीकरण, सुरक्षा उपकरण आदि के लिए आन्दोलनरत हैं ।

3. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों ने अवैध हमारे माता-पिता को काम से निकाल दिया था, और तब से वे [illegible] के विरुद्ध न्याय पाने के लिए आन्दोलनरत हैं ।

4. यह कि 1990-91 से हमारे माता-पिता, छ0मु0मो0 एवं उसके संघ यूनियनों के नेतृत्व में जुलूस, प्रदर्शन, गेट मीटिंग, धरना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा नेता विपक्ष को ज्ञापन आदि के माध्यम से शान्तिपूर्ण आन्दोलन में जुड़े हैं ।

5. यह कि इसके बावजूद उद्योगपतियों ने श्रमिकों की मांगों की निरन्तर उपेक्षा की ।

6. यह कि हमारे माता-पिता ने अपने संघर्षों को तेज करते हुए भिलाई के विभिन्न जिलों में 25.05.92 से पदयात्रा "सत्याग्रह" आरंभ किया। 25.05.92 से लेकर 29.05.92 तक यह राजनांदगांव [illegible] में था, फिर 29.05.92 से 12.06.92 तक पदयात्रा [illegible] पहुँचा । 12.06.92 से 25.06.92 तक [illegible] में था, और अन्ततः 25.6.92 से 01.07.92 को [illegible] । मैदान में किया गया । पदयात्रा सत्याग्रह की शुरुआत 25.05.92 से ही उस और हमारे भाई-बहन, अपने माता-पिता के साथ खुले आसमान के नीचे रात रहे थे

[illegible]

7. तारीख 01.07.1992 को लगभग 09 बजे सुबह पुलिस पाण्डव नगर रेलवे लाइन पर ले आया गया। यहीं लगभग 4000 व्यक्ति एवं उनके परिवार साथ बच्चों सहित रेलवे लाइन पर धरना देने लगे।

8. हम पूरे दिन अपने माता-पिता के साथ रेल पटरी पर बैठे थे। हमारे माता-पिता कारखानों एवं श्रमिकों के नायकत्व में अपने जायज मांगों के विषय में धरना कर रहे थे।

9. लगभग सांय 05 बजे पुलिस के सिपाहियों की नफरी संख्या में 1000 रहे होंगे ने वहाँ व्यक्तियों को और हमको घेर लिया। लगभग 5.15 बजे बिना किसी सूचना के पुलिस ने हमारे माता-पिताओं पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, लाठियां बरसाईं और आंसूगैस के गोले छोड़े। इस लाठीचार्ज हमले में हमारे अनेक बच्चों और व्यक्तियों को चोटें आईं। फिर अचानक बिना किसी सूचना के पुलिस ने गोलीचालन आरंभ कर दी। हमारे माता-पिता ने हमें उठाकर हमारी व अपनी जान बचाने के लिए पास के बस्ती की ओर दौड़ पड़े। परन्तु पुलिस ने निरन्तर गोली चालन किया, और बस्तियों में भी हमारा पीछा किया। हममें से अनेक इस हमले में घायल हो गये।

यहाँ यहाँ तक कि पुलिस ने हममें से कुछ बच्चों को रेलवे लाइन के किनारे के गड्ढों में भी फेंक दिया। हम सबने इस बर्बर पुलिस गोली चालन को अपनी आँखों से देखा, क्योंकि हम स्वयं घटनास्थल पर थे।

10. हमने सुना है कि इस जांच आयोग के समक्ष यह गवाही दी गई कि बच्चे घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। यह बात बिल्कुल असत्य है, और हम इस माननीय जांच आयोग के समक्ष अपनी गवाही देने की अनुमति चाहते हैं। ताकि 01.07.1992 के सम्बंध में सही तथ्यों की जानकारी दे सकें।

11. इस संबंध में हम जिलाधीश महोदय को भी दिनांक 23.12.96 को ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

12. चूँकि इस जांच आयोग का मकसद है, उन परिस्थितियों की जांच करने जिसकी वजह से बर्बर गोलीचालन में कई व्यक्तियों की मृत्यु एवं सैकड़ों व्यक्तियों एवं उनके बच्चों को चोटें आईं, अतः हमें आशा है कि यह माननीय जांच आयोग हमें अपनी आँखों के समक्ष घटी सत्य तथ्यों को प्रस्तुत करने का [illegible]

13. जानकारी और से जानकारी देने के उपयुक्त कार्यकर्ता-कमि कार्यकर्ताएं निम्न है :-

1. प्रतिमा कुमारी

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. Sunita Kr.
सुनीता कुमारी

"बाल अधिकार हेतु । आई सोशियलिस्ट पीपुल्स बाल मोर्चा"

समक्ष माननीय -दुर्ग (भिलाई) जांच आयोग

विषय: 1.7.92 के बर्बर पुलिस गोलीकांड के संबंध में ।

महोदय,

बाल अधिकार हेतु 1 जुलाई गोलीकांड पीड़ित बाल मोर्चा द्वारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि:-

1. यह कि हमारे माता-पिता भिलाई के विभिन्न उद्योग जैसे - बी.इ. सी., केडिया डिस्टिलरी, सिम्पलेक्स, बी.के. तथा भिलाई वायर्स इत्यादि के श्रमिक हैं । वे अपनी कड़ी मेहनत द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने परिवारों को पाल रहे हैं ।

2. यह कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबंद्ध यूनियन प्रगतिशील इंजीनिरिंग श्रमिक संघ तथा छत्तीसगढ़ केमिकल्स मिल मजदूर संघ के नेतृत्व तले हमारे माता-पिता अपने मूल संवैधानिक अधिकार जैसे पर्याप्त वेतन, काम का स्थाईकरण, सुरक्षा उपकरण आदि के लिए आन्दोलनरत है ।

3. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों ने इसलिए हमारे माता-पिता को काम से निकाल दिया था और तब से उनके गैरकानूनी प्रताड़ना के खिलाफ न्याय पाने के लिए आन्दोलनरत हैं ।

4. यह कि 1990-91 से हमारे माता-पिता , छमुओं एवं उससे संबंध यूनियनों के नेतृत्व में जुलूस, प्रदर्शन, गेट मीटिंग, धरना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा नेता विपक्ष को ज्ञापन आदि के माध्यम से शान्तिपूर्ण आन्दोलन से जुड़े हैं ।

5. यह कि इसके बावजूद उद्योगपतियों ने श्रमिकों की मांगों की निरन्तर अवहेलना की ।

6. यह कि हमारे माता-पिताओं ने अपने संघर्ष को तेज करते हुए भिलाई के विभिन्न हिस्सों में 25.5.92 से पड़ाव सत्याग्रह आरंभ किया। 25.5.92 से लेकर ---------- तक यह रावणभाटा जामुल में था, फिर ------ से ------- तक पड़ाव शारदापारा पहुंचा ---------- से -------- तक छावनी में था और अन्तत: ---------- को सेक्टर । मैदान में किया गया । पड़ाव सत्याग्रह की शुरूआत 25.5.92 से ही हम और हमारे भाई-बहन अपने माता-पिता के साथ खुले आसमान के नीचे नौ तपे के धूप और मानसून की बाधाओं को सहते हुए पड़ाव स्थल पर रहे तथा हमारा खाना भी वहीं पड़ाव पर ही बनता था ।

7. यह कि 1.7.92 को लगभग 9 बजे सुबह पड़ाव पावर हाउस रेलवे लाइन पर ले जाया गया। सभी लगभग 4000 श्रमिक एवं उनके परिवार बाल बच्चों समेत रेलवे लाइन पर धरना देने लगे

8. हम पूरे दिन अपने माता-पिता के साथ रेल पटरी पर बैठे थे । हमारे माता-पिता नारेबाजी एवं गीतों के माध्यम से अपने जायज मांगों के विषय में व्यक्त कर रहे थे ।

9. लगभग शांय 5 बजे पुलिस के सिपाहियों - जो लगभग संख्या में 1000 रहे होगें - ने संत श्रमिकों को और हम को घेर लिया। लगभग 5.15 बजे बिना किसी सूचना के पुलिस ने हमारे माता-पिताओं पर पथराव करना शुरू कर किया, लाठियां बरसाई और आंसूगैस के गोले छोड़े । इस नाजायज हमले में हमें से अनेक बच्चों और श्रमिकों को चोटे आई । फिर अचानक बिना किसी सूचना के पुलिस ने गोलपिलि आरंभ कर दी । हमारे माता-पिता ने हमें उठाकर हमारी व अपनी जान बचाने के लिए बंसत टाकिज की ओर दौड़ पड़े । परन्तु पुलिस ने निरन्तर गोली चालन किया और बस्तियां में भी हमारा पीछा किया। हममें से अनेक इस हमले में घायल हो गये । यहां तक कि पुलिस ने हममें से कुछ बच्चों को रेलवे लाइन के किनारे के गढ़ढ़ों में भी फेंक दिया । हम सबने इस बर्बर पुलिस गोली चालन को अपनी आंखों से देखा क्योंकि हम स्वयं घटनास्थल पर थे ।

10. हमने सुना है कि इस जांच आयोग के समक्ष यह गवाही दी गई कि बच्चे घटनास्थल पर मौजूद नही था । यह बात बिल्कुल असत्य है और हम इस माननीय जाच आयोग के समख अपनी गवाही देने की अनुमति चाहते है ताकि 1.7.92 के सम्बन्ध में सही तथ्यों की जानकारी दे सकें ।

11. इस सम्बन्ध में हम जिलाधीश महोदय को भी दिनांक ------- को ज्ञापन सोंप चुके हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है ।

12. चूंकि इस जांच आयोग का मकसद है उन परिस्थितियों की जांच करने जिसकी वजह से बलेट गोली चालन में कई श्रमिकों की मृत्यु एवं सैकड़ों श्रमिकों एवं उनके बच्चों को चोटे आई, अतः हमें आश्य है कि यह माननीय जांच आयोग हमें अपनी आखड़ों के समक्ष घटी सत्य तथ्यों को प्रस्तुत करने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा ।

13. हमारी ओर से गवाही देने के इच्छुक बालक-बालिकाएं निम्न हैं ।

1.
2.
3.
4.
5.

"बाल अधिकार हेतु 1 जुलाई गोलीकांड पीड़ित बाल मोर्चा "

समक्ष माननीय दुर्ग (भिलाई) जांच आयोग

विषय: 1.7.92 के बर्बर पुलिस गोलीचलान के संबंध में

महोदय,

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि -

1. यह कि मैंने इस जांच आयोग के समक्ष शप्थ प्रस्तुत किया था कि मैं उन श्रमिकों में से एक हूं जिन्होंने 1.7.92 को पावर हाउस रेलवे लाइन पर पड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था और मैं आयोग के समक्ष उस बर्बर पुलिस गोली चलान के सम्बन्ध में कुछ तथ्य रख सकता हूं जिससे मेरे 16 साथियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों श्रमिक महिला-पुरूष घायल हुए ।

2. यह कि मुझे जांच आयोग के समक्ष बयान हेतु बुलाया गया। मैं दिनांक -------- को आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ और मेरा प्रतिपरिक्षण किया गया ।

3. यह कि मैंने माननीय आयोग के समक्ष यह कहा था कि शपथ पत्र में दिये गये तथ्यों के अलावा 1.7.92 के पुलिस गोलीचलान के सबंध में कुछ अन्य ऐसे तथ्य भी है, जिन्हें मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूं । ये तथ्य गोलीचलान के बाद हुआ दमनचक्र तथा श्रमिकों के प्रति किये गये अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में है परन्तु इन माननीय आयोग ने इन तथ्यों को कलमतदं करने से इंकार किया ।

4. यहां यह बताना प्रासंगिक है कि मैंने अपने शपथ-पत्र में अनुच्छेद ------ में कहा था कि शपथ-पत्र में दर्ज तथ्यों के अलावा इस आयोग के जांच के विषय में संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहूंगा ।.

5. यह कि जिन अतिरिक्त तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूं वे सत्य की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक हैं । अतः 1.7.92 के पुलिस गोलीचलान से संबंधित अतिरिक्त तथ्यों को बयान करने की अनुमति प्रदान करें ।

आवेदक

पुजाराम जोशी, तिलक साहू एवम् मूलचंद साहू आदि के आवेदन

समक्ष माननीय जांच आयोग

विषय: 1.7.92 के बर्बर पुलिस गोली चलान के जांच आयोग में सत्य की तह तक पहुंचने के लिए तत्कालीन कमीशनर डी.आई.जी. एवं आई.जी. (भिलाई रेंज) को अदालती गवाह बनाने हेतु।

महोदय,

निवेदन हे :

1. इस माननीय जांच आयोग को 1.7.92 के बर्बर पुलिस गोली चलान के घटना क्रम एवं परिस्थितियों के संदर्भ में सत्य की तह तक पहुचंने का कार्य सौंपा गया है। इस हेतु यह आवश्यक है कि वे सभी जिम्मेदार अधिकारी गण जो घटनाक्रम पर महत्वपूर्ण रोशनी डाल सकते हैं के बयान कलम बन्द किए जाएं ।

2. यह कि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ----- कमीशनर (रायपुर संभाग) आइ.जी. (भिलाइ रेंज), एवं डी.आइ.जी., न केवल 1.7.92 के दिन विभिन्न निर्णयों के सीधे तौर पर जुड़े थे, अपितु 1.7.92 के पूर्व श्रमिकों एवं उद्योगपतियों की समझौता वार्ताओं से भी जुड़े हुए थे । अतः इसलिए सत्य की तह तक पहुंचने के लिए कमीश्नर , आइ.जी, डी.आइ.जी. के बयान के बयान होना अति आवश्यक हे । अतः निवेदन है कि उन्हें अदालती गवाह के रूप में प्रस्तुत कराया जाए ।

3. यह कि तत्कालीन कमीश्नर (रायपुर संभाग) श्री ए.डी. मोहिले 1.7.92 को पुलिस कंट्रोल रूप भिलाइ में उपस्थित थ। पूरी परिस्थिति के नियंत्रण करने वाले के सबसे बड़े अधिकारी थे। आयोग के समक्ष तत्कालीन जिलाधीश पी.सी. तोमर के बयान में भी यह बात आइ है वि कमीश्नर ए.डी. मोहिले ने ही छ-मु-ओ के प्रतिनिधि मण्डल से अन्तिम चर्चाएं की थी। अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के शपथ-पत्र में भी यह बात आइ है । 25.5.92 से 1.7.92 तक चलने वाले पड़ाव 'सत्याग्रह' के पूर्व की घटनाओं एवं परिस्थितियों पर थे वे रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने जनवरी 1992 समेत अनके समझोता वार्ताओं की अध्यक्षता की थी। जनवरी 1992 के औद्योगिक विवाद के हल के लिए एक मसौदा तैया किया गया था जो भिलाइ इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (उरला) में उसी समय लागू किया जाना था। परन्तु हवाला अभियुक्त बी.आर.जैन, सुरेन्द्र जैन की इस कम्पनी ने समझौते को लागू करने से इन्कार कर दिया

4. अतः निवेदन है कि कमीश्नर ए.डी. मोहिले को अदालती गवाह के रूप में अदालत मे समन किया जाए ।

5. यह कि डी.आइ.जी. पुलिस श्री एन.के. धरौलिया भी 1.7.92 को निरन्तर भिलाइ पुलिस कन्ट्रोल रूम मे मौजूद थे और पावर हाउस रेलवे पटरी पर मौजूद विभिन्न स्थानों एवं महकमों से बुलाए गए पुलिस बल के कमांडिंग अफसर थे । इस प्रकार सत्य की तह तक पहुंचने के लिए तत्कालीन डी.आइ.जी. धरौलिया का साक्ष्य अति आवश्यक है एवं निवेदन है कि उन्हें अदालती गवाह के रूप में समन किया जाए ।

6. यह कि आइ.जी. पुलिस (भिलाइ रेंज) का रेज मुख्यालय भिलाइ में है । आइ.जी. कार्यालय, औद्योगिक विवाद एक भिलाई के उद्योगपतियों की गैर-कानूनी गतिविधियों से उत्पन्न कानून और व्यवस्था के सवालो में सक्रिय रूप से सम्मिलित था। स्वयं आइ.जी. पुलिस एन.के. सिंह 1.7.92 को भिलाइ कार्यालय में उपस्थित थे और पूरे घटना क्रम की निरन्तर गिरानी कर रहे थे। अतः निवेदन हे कि सत्य की तह तक पहुंचने के लिए तथा आइ.जी. (भिलाइ क्षेत्र) एन.के. सिंह करे अदालती गवाह के रूप में आयोग के समक्ष समन किया जाए।

प्रार्थी
जनकलाल ठाकुर
विधायक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

समक्ष माननीय दुर्ग- भिलाई जांच आयोग

विषय: **जांच आयोग के समक्ष तत्कालीन उद्योगमंत्री , म0 प्र0 सरकार श्री कैलाश जोशी को अदालती गवाह के रूप में समन करने बाबत् ।**

महोदय,

निवेदन है -

1. यह कि इस माननीय जांच आयोग के समक्ष जांच का प्रथम बिन्दु 1.7.92 के बर्बर गोली चलान की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे में हैं । दुर्ग-भिलाई अंचल के श्रमिक छ-मु5मो से संबंधित ट्रेड यूनियनों के बैनर तले अपने उद्योगों - कारखानों में श्रम-कानूनों को लगू करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे ।

2. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों का गठबंधन भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रूप में सक्रिय है जिसका चैयरमैन बी.आर. जैन बहुचर्चित हवाला काएड के मुख्य अभियुक्तों मे है । कि इस गठबंधन के विभिन्न आर्थिक एवं अन्य खूनी अपराध उजागर होते जा रहे हैं । देश के अग्रतम ट्रेड-यूनियन नेता का. शंकरगुहा नियोगी की हत्या में इन उद्योगपतियों का हाथ सी.बी.आई. जांच में उजागर हो चुका है ।

3. यह कि 27 जनवरी 92 को बी.आर. जैन, कैलाशपति केडिया, मूलचन्द शाह के नेतृत्व में कुख्यात भिलाई इडस्ट्रिज एसोसियेशन में दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर जुलूस निकाला उस प्रदर्शन मे उन्होंने छ-मु-मो एवं उससे संबंधित ट्रेड यूनियनों को निपटने के अपने अपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी तंत्र को अपने निजी तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने के दुराग्रह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जो कि स्पष्टतः हवाला धन के प्रभाव में उठाया गया कदम था।

4. यह कि दिनांक ----------के सी.बी.आई. ने हवाला प्रकरण के तत्कालीन उद्योगमंत्री श्री कैलाश जोशी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार बी.आर.जैन से कैलाश जोशी ने ----------- रूपये प्राप्त करि लाभ पहुंचाया ।

5. यह कि 22 मई 1992 से 1 जुलाई 1992 को गोलीकांड के दिन तक राज्य सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में कैलाश जोशी सक्रिय रूप से भिलई औद्योगिक विवाद , उससे उत्पन्न कानून एवं व्यवस्थ के प्रश्न तथा उसके समाधान की प्रक्रिया के इंचार्ज बने हुए थे एवं उस प्रकार घटनाक्रम से पूरी तरह से जुड़े हुए थे ।

6. 1 जुलाई 92 को दिन भी भिलाई पुलिस कन्ट्रोल रूप भोपाल से सम्पर्क बनाए हुउ था। .

7. ठस प्रकार , प्रथम दृष्ट्या कैलाश जोशी एवं राज्य सरकार द्वारा हवाला धन के कुप्रभाव में । जुलाई 92 को बर्बर गोली चालन का मामला बनता है । अतः निवेदन है कि सत्य की तह तक पुहंचने के लिए कैलाश जोशी को अदालती गवाह के रूप में समन किया जाए ।

प्रार्थी

जनकलाल ठाकुर

समक्ष माननीय दुर्ग-भिलाई जांच आयोग

विषय: **जांच आयोग के समक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री (म.प्र. सरकार (सुन्दरलाल पटवा को अदालती गवाह के रूप में समन करते बाबत्**

महोदय,

निवेदन है कि -

1. यह कि इस माननीय जांच आयोग के समक्ष जांच का प्रथम बिन्दु 1.7.92 के बर्बर गोली चालना की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे मे हैं । दुर्ग-भिलाई अंचल के श्रमिक छ--मु-मो से सबंधित ट्रेड यूनियनों के बैनर तले अपने उद्योगों - कारखानों में श्रम-कानूनों को लागू करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे ।

2. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों का गठबंधन भिलाई इंडस्ट्रिज एसोसियेशन के रूप में सक्रिय हैं जिसकाव चेयरमेन बी.आर. जैन बहुचर्चित काण्ड के मुख्य अभियुक्तों में हैं । कि इस गठनंधन के विभिन्न आर्थिक एवं अन्य खूनी अपराध उजागर होते जा रहे हैं । देश के अग्रतम ट्रेड-यूनियन नेता का. शंकरगुहा नियोगी की हत्या में इन उद्योगपतियों का हाथ सी.बी.आई. जांच से उजागर हो चुका है ।

3. यह कि 27 जनवरी 92 को बी.आर. जैन , कैलाशपति केडिया, मूलचन्द शाह के नेतृत्व में कुख्यात भिलाई इंडस्ट्रिज एसोसियेशन में दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर जुलूस निकाला उस प्रदर्शन में उन्होंने छु-मु-मो एवं उससे संबंधित ट्रेड- यूनियों को निपटने केके अपने अपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी तंत्र को अपने निजी तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने के दुराग्रह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जो कि स्पष्टतः हवाला धन के प्रभाव में उठाया गया कदत था ।

4. यह कि भिलाई में छ-मु-मो संबंधित ट्रेड यूनियनो से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुन्दरलाल पटवा ने भिलाई इंडस्ट्रिज एसोसियेशन के पक्ष में जिला प्रशासन का 1990 से लेकर 1992 तक

अनेकों बार इस्तेमाल करने के तथ्य सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं ।

5. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों की अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में राष्ट्रपति से मिल कर लोटते हुए जब श्री शंकरगुहा नियोगी ने भोपाल में सुन्दरलाल पटवा से मिलने का प्रयास किया तो सुन्दरलाल पटवा ने मिलने से भी इन्कार कर दिया था।

6. इसे सप्ताह भर बाद भिलाई इंडस्ट्रिज एसोसियेशन के उद्योगपतियों ने नियोगी जी की हत्या करवा दी ।

7. 1.7.92 को भिलाई पुलिस कन्ट्रोल रूम लगातार भोपाल से सम्पर्क बनाए ए था ।

8. यह कि 3.7.92 को भिलाई में सुन्दरलाल पटवा ने स्वीकार किया कि भिलाई के उद्योगपति श्रम-कानूनों का पालन नही कर रहे हैं । परन्तु मेरे पास कानून नहीं हैं जिसके द्वारा उन्हें कानून का पालन करवा सकूं ।

9. अतः अनुरोध है कि सत्य की तह तक पहुंचने के लिए सुन्दरलाल पटवा को अदालती गवाह के रूप में समन किया जाए ।

प्राथी

जनकलाल ठाकुर

विषय :-- 01.07.92 के बर्बर पुलिस गोली चालन के जाँच आयोग, में सत्य की तह तक पहुंचने के लिए तत्कालीन कमिश्नर, डी.आई.जी. एवं आई.जी. (भिलाई रेंज) को अदालती गवाह बनाने हेतु ।

महोदय,

निवेदन है :-

1. इस माननीय जाँच आयोग को 01.07.92 के बर्बर पुलिस गोली चालन के घटना क्रम एवं परिस्थितियों के संदर्भ में सत्य की तह तक पहुंचने का कार्य सौंपा गया है । इस हेतु यह आवश्यक है कि वे सभी जिम्मेदार अधिकारीगण जो घटनाक्रम पर महत्वपूर्ण रोशनी डाल सकते हैं, कि बयान कलम बन्द किये जाएं ।

2. यह कि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारीगण, एo डीo मोहिले कमिश्नर (रायपुर संभाग) आई.जी. (भिलाई रेंज) एवं डी.आई.जी. न केवल 01.07.92 के दिन विभिन्न निर्णयों से सीधे तौर पर जुड़े थे, अपितु 01.07.1992 से पूर्व श्रमिकों एवं उद्योगपतियों की सभी समझौता वार्ताओं से भी जुड़े हुए थे । अतः इसलिए सत्य की तह तक पहुंचने के लिए कमिश्नर, आई.जी., डी.आई.जी. के बयान होना अतिआवश्यक है । अतः निवेदन है कि उन्हें अदालती गवाह रूप में प्रस्तुत कराया जाय ।

3. यह कि तत्कालीन कमिश्नर (रायपुर संभाग) श्री एo डीo मोहिले 01.07.1992 को पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में उपस्थित था । पूरी परिस्थिति के नियंत्रण करने वाले सबसे बड़े अधिकारी थे । आयोग के समक्ष तत्कालीन जिलाधीश - पीo एसo तोमर के बयान में भी यह बात आई है कि कमिश्नर - एo डीo मोहिले ने ही छo मुo मोo के प्रतिनिधि मण्डल से अंतिम चर्चाएं की थी । अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के शपथ-पत्र में भी यह बात आई है । 25.05.1992 से 01.07.1992 तक चलने वाले पटरी "सत्याग्रह" के पूर्व की घटनाओं एवं परिस्थितियों पर वे रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जनवरी 1992 समेत अनेक,

समझौता वार्ताओं की अध्यक्षता की थी । जनवरी 1992 के औद्योगिक विवाद के हल के लिए एक समझौता तैयार किया गया था, जो भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन [illegible] में उसी समय लागू किया जाना था । परन्तु हवाला अभियुक्त [illegible] जैन, सुरेन्द्र जैन की इस कम्पनी ने समझौते को लागू करने से इंकार कर दिया ।

4. अतः निवेदन है कि कमिश्नर एस. डी० मोहिले को अदालती गवाह के रूप में अदालत में समन किया जाय ।

5. [illegible] कि डी. आई. जी. पुलिस श्री एस० के० [illegible] 1. 07. 92 को निरन्तर भिलाई पुलिस [illegible] रूप में मौजूद थे, और [illegible] हाउस रेलवे पटरी पर मौजूद, [illegible] बुलाए गए पुलिस बल के कमांडिंग अफसर थे । इस प्रकार [illegible] की तह तक पहुंचने के लिए तत्कालीन डी. आई. जी. [illegible] का साक्ष्य अति आवश्यक है, एवं निवेदन है कि उन्हें अदालती गवाह के रूप में [illegible] किया जाय ।

6. [illegible] कि आई. जी. पु[illegible] [illegible] रैं[illegible] [illegible] में है । आई. [illegible] [illegible] उद्योगपतियों की गैर-कानू[illegible] [illegible] [illegible] व्यवस्था के सवालों में [illegible] सक्रिय रूप से [illegible] था । [illegible] आई. जी. पुलिस एस. के. सिंह 01. 07. 1992 को भिलाई [illegible] में उपस्थित थे, और पूरे घटना क्रम की निरन्तर निगरानी कर रहे थे ।

अतः निवेदन है कि [illegible] तह तक पहुंचने के लिए तथा आई. जी. [illegible] भिलाई [illegible] [illegible] में आयोग के समक्ष समन किया जाय ।

दुर्ग,

दिनांक 11-4-96

आवेदक

[signature]

(जनकलाल ठाकुर)

समक्ष माननीय दुर्ग भिलाई जाँच आयोग

विषय :-- जाँच आयोग के समक्ष तत्कालीन उद्योगमंत्री, म0 प्र0 सरकार, श्री कैलाश जोशी को अदालती गवाह के रूप में समन करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है :--

1. यह कि इस माननीय जाँच आयोग के समक्ष जाँच का प्रथम बिन्दु 01. 07. 92 के बर्बर गोली चालन की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे में हैं । दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबंधित ट्रेड युनियनों के बैनर तले अपने उद्योगों-कारखानों में श्रम-कानूनों को लागू करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे ।

2. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों का गठबंधन भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के रूप में सक्रिय है, जिसका चेयरमैन बी. आर. जैन बहुचर्चित हवाला काण्ड के मुख्य अभियुक्तों में है । कि इस गठबंधन के विभिन्न आर्थिक एवं अन्य खूनी अपराध उजागर होते जा रहे हैं । देश के अग्रतम ट्रेड-यूनियन नेता का. शंकर गुहा नियोगी की हत्या में इन उद्योगपतियों का हाथ सी. बी. आई. जाँच में उजागर हो चुका है ।

3. यह कि 27 जनवरी 1992 को बी. आर. जैन, कैलाशपति केडिया, मूलचंद शाह के नेतृत्व में कुख्यात भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसियेशन ने दुर्ग भिलाई की सड़कों पर जुलूस निकाला उस प्रदर्शन में उन्होंने छ0 मु0 मो0 एवं उससे संबंधित ट्रेड युनियनों को निपटने के अपने अपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी तंत्र को अपने निजी तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने के दुराग्रह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जो कि स्पष्टतः हवाला धन के प्रभाव में उठाया गया कदम था ।

4. यह कि दिनांक 24.02.96 के सी. बी. आई. ने हवाला प्रकरण के तत्कालीन उद्योगमंत्री श्री कैलाश जोशी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसके अनुसार बी. आर. जैन से कैलाश जोशी ने .... रूपये प्राप्त कर लाभ पहुँचाया ।

5. यह कि 22 मई 1992 से 1 जुलाई 1992 को गोलीकाण्ड के दिन तक राज्य सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में कैलाश जोशी सक्रिय रूप से भिलाई औद्योगिक विवाद, उससे उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था के प्रश्न तथा उसके समाधान की प्रक्रिया के इंचार्ज बने हुए थे, एवं उस प्रकार घटनाक्रम से पूरी तरह से जुड़े हुए थे ।

6. 1 जुलाई 1992 के दिन भी भिलाई पुलिस कन्ट्रोल रूम भोपाल से सम्पर्क बनाए हुआ था ।

7. इस प्रकार प्रथम दृष्टया कैलाश जोशी एवं राज्य सरकार द्वारा हवाला धन के कुप्रभाव में 1 जुलाई 1992 को बर्बर गोली चालन का मामला बनता है । अतः निवेदन है कि सत्य की तह तक पहुंचने के लिए कैलाश जोशी को अदालती गवाह के रूप में समन किया जाय ।

आवेदक
(जनकलाल ठाकुर)

दुर्ग,

दिनांक 12-4-96

समक्ष माननीय [illegible] जाँच आयोग

विषय :— 01.07.1992 के बर्बर पुलिस गोलीचालन के संबंध में ।

महोदय जी,

निम्नलिखित निवेदन है कि -

1. यह कि मैंने इस जाँच आयोग के समक्ष शपथ प्रस्तुत किया था, कि मैं उन व्यक्तियों में से एक हूँ, जिन्होंने 01.07.92 को पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शांतिपूर्ण "सत्याग्रह" में भाग लिया था, और मैं आयोग के समक्ष उस बर्बर पुलिस गोली चालन के सम्बंध में कुछ तथ्य रख सकता हूँ, जिससे मेरे 16 साथियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों व्यक्ति महिला - पुरुष घायल हुए ।

2. यह कि मुझे जाँच आयोग के समक्ष बयान हेतु बुलाया गया । मैं दिनांक 25.02.96 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ, और मेरा प्रतिपरीक्षण किया गया ।

3. यह कि मैंने माननीय आयोग के समक्ष यह कहा था कि शपथ-पत्र में दिये गये तथ्यों के अलावा 01.07.1992 के पुलिस गोलीचालन के सम्बन्ध में कुछ अन्य ऐसे तथ्य भी हैं, जिन्हें मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूँ । ये तथ्य गोलीचालन के बाद हुआ अमानवीय तथा घायलों के प्रति किये गये अमानवीय व्यवहार के संबंध में है, परन्तु माननीय आयोग ने इन तथ्यों को बयान करने से इनकार किया ।

4. यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि मैंने अपने शपथ-पत्र में अनुच्छेद 08... में कहा था कि शपथ-पत्र में दर्ज तथ्यों के अलावा इस आयोग के जाँच के विषय में संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहूँगा ।

...2

5. यह कि इन्हीं अतिरिक्त तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूँ, जो सत्य की तह तक पहुँचने के लिए आवश्यक है ।

अतः 01. 07. 1992 के पुलिस गोलीचालन से सम्बंधित अतिरिक्त तथ्यों को बयान करने की अनुमति प्रदान करें ।

दुर्ग,

दिनांक

आवेदक
(तिलकराम साहू)

समक्ष श्रीमान् भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जाँच आयोग, दुर्ग [म.प्र.]

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एम.आई.जी. 1/55 आमदी नगर
हुडको, भिलाई ... आवेदक

आवेदन पत्र वास्ते श्रीमान् के द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध उच्च-न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने बाबत् ।

आवेदक निम्न प्रार्थना करते हैं :—

1. यह कि श्रीमान् द्वारा दिनांक 13.04.96 को श्री जनक लाल ठाकुर, 1 जुलाई गोलीकाण्ड पीड़ित बाल मोर्चा, पुनाराम लोधी तथा तिलक राम साहू के आवेदनों को अस्वीकार किया गया, जिससे आवेदक सहमत नहीं है, और पीड़ित होना महसूस करते हैं ।

2. यह कि श्रीमान् के आदेश के विरूद्ध आवेदक माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में उचित कार्यवाही करना चाहते हैं ।

3. यह कि आवेदक की द्रुष्टि में ये मुद्दे सबल और न्यायहित में आवश्यक है, और उन्हें सफलता की आशा है ।

4. यह कि श्रीमान् द्वारा पारित किये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तुरन्त देने का आदेश दिया जावे, जिससे कि बिना किसी विलंब के वे अगली कार्यवाही कर सकें । प्रमाणित प्रतिलिपि में जो भी खर्च आयेगा उसे वहन के लिए आवेदक तैयार है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उच्च न्यायालय से कार्यवाही हेतु नकल मिलने के पश्चात् एक माह का समय प्रदान किया जावे ।

दिनांक : 08.05.96

आवेदक

[जनक लाल ठाकुर]

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग (म. प्र.)

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

एवं अन्य - 5 — आवेदकगण (5)

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म. प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग (म. प्र.) — अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 8 जांच आयोग अधिनियम 1952 एवं शपथ-पत्र के संबंध में :-

आवेदकगण निम्न प्रार्थना करते है :-

1. यह कि श्रीमान ने इस जांच में आवेदकों के शपथ-पत्र पर प्रति-परीक्षण करने का आदेश दिया है और जिसका अर्थ यह हुआ कि श्रीमान के समक्ष साक्षियों के बयान नहीं लिए जायेंगे ।

2. यह कि शपथ-पत्र में कई प्रासंगिक तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है, और शपथकर्ता ने सम्पूर्ण घटना के बारे में अपने शपथपत्रों में उल्लेख नहीं किया है । कुछ शपथ पत्र तो अत्यंत छोटे और अपने आप में बहुत अपूर्ण है । शपथकर्ता ने अपने शपथपत्र में यह स्पष्ट प्रार्थना की है कि उनके द्वारा दिये गये शपथपत्र में संपूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया गया है और उन्होंने यह भी प्रार्थना किया है कि वे आयोग के समक्ष पूर्ण विवरण सहित, अपना बयान देना चाहते है, जिसके विरुद्ध वह प्रतिपरीक्षण कर सकते हैं ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि शपथपत्रों को मुख्य परीक्षण न माना जावें क्योंकि वे अधिकांश एवं महत्व पूर्ण तथ्यों में अपूर्ण है, इसलिए आपके समक्ष साक्षियों को परीक्षण एवं प्रति-

P. C. KANKARIA

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

एवं अन्य – 3 – आवेदकगण (4)

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म.प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग (म.प्र.) – अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व्या.प्र.सं. सहपठित धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1952 ।

आवेदक निम्न प्रार्थना करता है :-

1. यह कि गोलीकाण्ड घटना के संबंध में आवेदकगणों ने शासन को कई महत्वपूर्ण शिकायतें भेजी है, और प्रलेखों को शासन ने अपने जवाब के साथ प्रस्तुत नहीं किया है । पुलिस थानों में भी की गई रिपोर्टों को शासन ने श्रीमान के समक्ष पेश नहीं किया है । जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "अ" में दिया गया है ।

2. यह कि ये प्रलेख घटना से सीधा एवं महत्वपूर्ण संबंध रखते है जिससे कि श्रीमान के समक्ष किसी वस्तु तथा प्रसंग को प्रमाणित करते हुए रखा जा सकें । श्रीमान को उक्त प्रलेखों से प्रकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है । इस संबंध में निर्णय लेने में भी सुविधा होगा ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि शासन को आदेश दिया जावे कि सूची में दिये गये उन समस्त प्रलेखों को प्रकट करें जो उनके आधिपत्य में है, या रह चुके हैं ।

दिनांक : 15.09.93 आवेदकगण

अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

समक्ष भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जांच आयोग दुर्ग [म. प्र.]

(3)

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

एवं अन्य – 3 – आवेदकगण

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग [म. प्र.]

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीयल एरिया भिलाई,
दुर्ग [म. प्र.] – अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 व्या. प्र. सं. सहपठित धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1952 वास्ते प्रलेख प्रस्तुत कराने हेतु आवेदन पत्र ।

आवेदकगण निम्न प्रार्थना करते है :-

1. यह कि आवेदकगण ने प्रलेखों की अपनी सूची में जिन पर वे भरोसा करते है और उन प्रलेखों को शासन के विभिन्न पदाधिकारियों को भेजा है, जो अनावेदक [शासन] के कब्जे में है उन्हें इस जांच के संदर्भ में प्रस्तुत कराना आवश्यक है जिससे कि आवेदकगण प्रभावपूर्ण ढंग से अपने मामले की पैरवी कर सकें । प्रलेखों की सूची जो शासन से पेश कराना है आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सूची में दिये गये प्रलेखों को प्रस्तुत करने का आदेश अनावेदक [शासन] को देने की कृपा करें

दिनांक : 15.09.93

आवेदकगण

अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

P. C. KANKARIA
ADVOCATE

समक्ष भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जांच आयोग दुर्ग [म. प्र.]

गणेश राम चौधरी, आ. आशाराम चौधरी,
उम्र - 37 वर्ष, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
सी. एम. एम. कार्यालय दल्ली-राजहरा, जिला - दुर्ग,
मध्य-प्रदेश । - आवेदक

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग [म. प्र.]

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग [म. प्र.] - अनावेदकगण

दिनांक 15. 09. 93

आवेदन पत्र द्वारा साक्षी गणेश राम चौधरी वास्ते शासन को ओर साक्ष्य शुरू करने का आदेश देने बाबत् ।

आवेदक गणेश राम चौधरी निम्न प्रार्थना करता है :-

1. यह कि गोली चालन एवं उससे हुई मृत्यु तथा चोटें उचित थी, इसे प्रमाणित करने का भार शासन पर है । जब तक शासन अपने को निष्पक्ष प्रमाणित न कर दे तब तक यह माना जायेगा कि गोलीकाण्ड में शासन पूर्ण रूप से दोषी है । यदि शासन अपना साक्ष्य शुरू में देने से इन्कार करते है तो यह माना जायेगा कि शासन दोषी है ।

2. यह कि शासन का पक्ष समाप्त होने के पश्चात ही मैं और अन्य साक्षीगण के पहले बयान लिये जावे उसके बाद प्रतिपरीक्षण किये जावे । शपथ पत्र जो मैंने पेश किया है, वह अपूर्ण है । इसलिए मैंने शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया है कि शपथपत्र को पूर्ण न माना जावें तथा इस संबंध में न्यायालय के सामने परीक्षण किया जावें ।

3. यह कि श्रीमान के समक्ष परीक्षण हुये बिना आवेदक अपना प्रतिपरीक्षण करने तैयार नहीं है ।

... 2 पर

अतः श्रीमान से निवेदन है कि शासन को साक्ष्य शुरू करने का आदेश दिया जावें उनके साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात मेरा व हमारे अन्य साक्षियों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण किया जावें । यदि श्रीमान मेरी प्रार्थना से सहमत न हो तों मुझे इस संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दे कर मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जावें ।

दिनांकः 15.09.93

आवेदक

A.R. Chandani

अधिवक्ता वास्ते आवेदक

समक्ष: भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जाँच आयोग दुर्ग [म.प्र.]

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य – 3 आवेदकगण

: विरुद्ध :

1. मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग [म.प्र.]

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीयल एरिया भिलाई,
दुर्ग [म.प्र.] – अनावेदकगण

दिनांक : 15.09.93

आवेदन पत्र शासन को साक्ष्य शुरू किये जाने का आदेश दिये जाने बाबत् ।

आवेदक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से निम्न आवेदन प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत श्रीमान को भिलाई[दुर्ग]गोली चालन का जाँच आयोग नियुक्त किया गया जिसे मुख्य रूप से निम्न तथ्यों की जाँच करने और उसके संबंध में रिपोर्ट दिया जाना है —

[1] वे परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमि और घटनाक्रम, जिनमें परिस्थिति एक जुलाई 1992 को जिला दुर्ग के भिलाई पावरहाउस के रेल्वे स्टेशन पर पुलिस गोली चालन में हुई,

[2] क्या पुलिस द्वारा किया गया गोली चालन न्यायसंगत था,

[3] स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग किये गये बल की पर्याप्तता या अपर्याप्तता और,

[4] भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए ऐसे अन्य विषय, जो जाँच से आनुषांगिक हो ।

C. KANKARIA
ADVOCATE

2. इस संबंध में जिला प्रशासन ने अपने लिखित विवरण में यह बात स्वीकार की है कि शासन के पुलिस प्रशासन [विभाग] द्वारा दिनांक 01.07.1992 को गोली चलाई गई जिसमें 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उनमें से [illegible] आंदोलनकारी थी है और [illegible]

गोलियों से घायल हो गये इस तथ्य को शासन ने स्वीकार किया है ।

3. शासन के पुलिस विभाग द्वारा गोली चलाया जाना, 15 व्यक्तियों की मृत्यु एवं लाठी एवं गोलियों से सख्त अनेकों व्यक्तियों के घायल होने की बात जिला प्रशासन द्वारा अपने लिखित विवरण में स्वीकार किये जाने के कारण सर्वप्रथम शासन को यह बताना है कि किन परिस्थितियों में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्या गोली चलाना न्यायसंगत था और क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग उचित था आदि इसलिए जब तक शासन इस संबंध में श्रीमान के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक जनता व आंदोलनकारियों का साक्ष्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए । साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 से धारा 114 के अन्तर्गत भी सबूती का भार जिला प्रशासन को है । और इस प्रकार की घटनाओं में हमेशा गोली चलाने वाले पक्ष द्वारा ही साक्ष्य प्रस्तुत की गई है :--

(1) 12 सितम्बर 1984 को राजनांदगांव में हुए गोली चालन में श्री डी.बी. पाण्डेय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकल आयोग नियुक्त किये गये थे ।

(2) 3 जून को दल्लीराजहरा (दुर्ग) में हुए गोली चालन के संबंध में श्री एस. एस. रत्नाकर, न्यायाधीश (सेवा निवृत्त) उच्च न्यायाधीश मध्य-प्रदेश को एकल आयोग नियुक्त किया गया था ।

इन दोनों में भी शासन की ओर से साक्षियों का बयान पहले लिया गया था और उसके पश्चात आवेदकगण अर्थात जनता एवं आंदोलनकारियों का साक्ष्य लिया गया ।

4. यह कि गोली चालन के संबंध में परिस्थितियाँ और सबूती का संपूर्ण भार जिला प्रशासन पर है और उन्हीं का साक्ष्य पहले शुरू किया जाना चाहिए ।

5. यह कि श्रीमान ने जिला प्रशासन का साक्ष्य शुरू न कर दूसरे पक्ष का साक्ष्य सर्वप्रथम लेने का आदेश दिया है जो कि आवेदकगणों के मत से विधिविपरीत है । इस संबंध में ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1459 तथा ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 409 विधि निर्णय पर ध्यान दिया जाना उचित होगा ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जिला प्रशासन (शासन की ओर से) को पहले अपने साक्ष्य शुरू करने का निर्देश देने की कृपा हो ।

P. C. KANKARIA
ADVOCATE

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग (म. प्र.)

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य – 3 ... आवेदकगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म. प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इण्डस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग (म. प्र.) ... अनावेदकगण

दिनांक 17. 09. 93

आवेदन पत्र वास्ते अत्यावश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु ।

प्रार्थी आवेदक निम्न प्रार्थना करता है :-

1. यह कि गोली काण्ड में निम्न संघ पर भी पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई और उनके सदस्यों को संघातिक चोटें आई कुछ श्रमिक इन संघों के मौत के घाट भी उतार दिए गये ।

2. यह कि संभवतः भूलवश इन श्रमिक संघो को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो निम्न प्रकार है :-

   1. छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ दल्ली-राजहरा तहसील बालोद जिला दुर्ग म. प्र. ।

   2. प्रगतिशील सीमेन्ट श्रमिक संघ भिलाई जिला दुर्ग (म. प्र.)

3. यह कि उपरोक्त संघो का घटना से सीधा संबंध है जिसमें से कई सदस्य मर गये और संघातिक चोटों से आज तक पीड़ित है ।

4. यह कि न्याय व समता की दृष्टि से इन्हे पक्षकार बनाना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि गरीब श्रमिकों के प्रति उचित न्याय देने में सहूलियत होगी ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त श्रमिक संघों को पक्षकार बनाया जाय और बिना किसी विलम्ब के नोटिस जारी किया जावे ।

दिनांक :
17. 09. 93

P. C. KANKARIA
ADVOCATE
अधिवक्ता वास्ते
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

आवेदक
जनकलाल ठाकुर

समक्ष माननीय दुर्ग(भिलाई) जाँच आयोग

विषय :— 01.07.1992 के बर्बर पुलिस गोलीचालन के सम्बंध में ।

महोदय जी,

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि -

1. यह कि मैंने इस जाँच आयोग के समक्ष शपथ प्रस्तुत किया था, कि मैं उन श्रमिकों में से एक हूँ, जिन्होंने 01.07.92 को पावर हाउस रेलवे लाइन पर पड़ाव "सत्याग्रह" में भाग लिया था, और मैं आयोग के समक्ष उस बर्बर पुलिस गोली चालन के सम्बंध में कुछ तथ्य रख सकता हूँ, जिससे मेरे 16 साथियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों श्रमिक महिला - पुरुष घायल हुए ।

2. यह कि मुझे जाँच आयोग के समक्ष बयान हेतु बुलाया गया । मैं दिनांक ..23.07.96..... को आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ, और मेरा प्रतिपरीक्षण किया गया ।

3. यह कि मैंने माननीय आयोग के समक्ष यह कहा था कि शपथ-पत्र में दिये गये तथ्यों के अलावा 01.07.1992 के पुलिस गोलीचालन के सम्बन्ध में कुछ अन्य ऐसे तथ्य भी है, जिन्हें मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूँ । ये तथ्य गोलीचालन के बाद हुआ दमनचक्र तथा श्रमिकों के प्रति किये गये अमानवीय व्यवहार के संबंध में है, परन्तु माननीय आयोग ने इन तथ्यों को कलमबन्द करने से इन्कार किया ।

4. यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि मैंने अपने शपथ-पत्र में अनुच्छेद ..10.. में कहा था कि शपथ-पत्र में दर्ज तथ्यों के अलावा इस आयोग के जाँच क्षेत्र के विषय में संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहूँगा ।

5. यह कि जिन अतिरिक्त तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूँ, वे सत्य की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक है ।

अतः 01. 07. 1992 के पुलिस गोलीचालन से सम्बंधित अतिरिक्त तथ्यों को बयान करने की अनुमति प्रदान करें ।

दुर्ग,

दिनांक

आवेदक

समक्ष श्रीमान भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग, म.प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम.आई.जी. 1/55 हुडको भिलाई
जिला -- दुर्ग ...आवेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1952

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :-

1. यह कि यह आवेदन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है । छ.मु.मो. का पंजीकृत कार्यालय शहीद चौक, केम्प एक दल्लीराजहरा है ।

2. यह कि आवेदक सविनय निवेदन करता है कि भिलाई पुलिस गोली चालन से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियों को साबित करने हेतु कतिपय शासकीय दस्तावेज आवश्यक है ।

3. यह कि आवेदक को इस बात की डर है कि अब तक कई दस्तावेज नष्ट कर चुके होंगे या बिगाड़ चुके होंगें । अतः निवेदन है कि उक्त सभी दस्तावेजों को माननीय द्वारा तत्काल अधिगृहित करना अति आवश्यक है ।

4. यह कि आवेदक उक्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची संलग्न उपाबंध "अ" व "ब" में दी है ।

5. यह कि आवेदक का निवेदन है कि भिलाई गोली चालन (एक जुलाई 1992) से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को स्पष्ट करने हेतु कतिपय शासकीय अधिकारियों को आयोग के समक्ष बुलाना चाहिए । उक्त शासकीय गवाहों की सूची उपाबंध " स" में दी गई है ।

अतः निवेदन है कि उपाबंध में दर्शाये गये दस्तावेजों को तत्काल अधिगृहित करने तथा गवाही हेतु शासकीय अधिकारीयों को माननीय के समक्ष बुलाने बाबत आदेश पारित करने की कृपा करें ।

(जनक लाल ठाकुर)
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

दुर्ग,
दिनांक

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जांच आयोग दुर्ग [म. प्र.]

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम. आई. जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला – दुर्ग .

...आवेदक

आवेदक ने जिन दस्तावेजों को आयोग द्वारा अधिग्रहित करने हेतु आवेदन किया है उनकी सूची .

उपाबंध " अ "

1. निम्नलिखित थानाओं से पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई को दि. 01. 07. 92 को भेजे गये बेतार संदेश :–
   [1] थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग ।
   [2] थाना छावनी, जिला दुर्ग ।
   [3] थाना सुपेला, जिला दुर्ग ।
   [4] थाना दुर्ग, जिला दुर्ग ।
   [5] थाना नेवई, जिला दुर्ग ।
   [6] थाना उतई, जिला दुर्ग ।
   [7] थाना भिलाई – 3, जिला दुर्ग ।
2. दिनांक 01. 07. 92 को भिलाई पावर हाउस रेल्वे स्टेशन, रेल पटरी, जी. ई. रोड, तथा सिक्स ट्री एवन्यू एवं आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल को अधिनियोजित करने संबंधी दस्तावेज ।
3. दिनांक 25 मई से 8 जुलाई 1992 तक की कानून एवं व्यवस्था संबंधित पंजी जो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग के अधीन एवं कब्जे में है ।
4. दिनांक 01. 07. 92 को भिलाई में घटित गोली चालन की पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रतिवेदन ।
5. दिनांक 14. 06. 92 से 08. 07. 92 तक का निम्न थानाओं की रोजनामचा :–
   [1] थाना जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग ।
   [2] थाना छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग ।
   [3] थाना भिलाई भट्ठी, भिलाई जिला दुर्ग ।
   [4] थाना कोतवाली भिलाई, जिला दुर्ग
   [5] थाना दुर्ग, जिला दुर्ग ।

... 3 पर

6. दिनांक 01.07.92 को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6, भिलाई से [1] कार्यालय संभागीय आयुक्त, रायपुर [2] गृह सचिव, भोपाल [3] थाना दुर्ग [4] थाना भिलाई भट्ठी [5] थानछावनी [6] उद्योग मंत्री, [7] श्रम मंत्री, [8] मुख्यमंत्री [9] डी.आई.जी. भिलाई क्षेत्र [10] डी.आई.जी. छत्तीसगढ़ क्षेत्र "रायपुर" को भेजा गया बेतार संदेश।

7. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में पुलिस मानुवल 444 के तहत पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग द्वारा उच्चतर अधिकारीयों को भेजी गई मूल रिपोर्ट।

8. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में पुलिस मानुवल 444 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई मूल रिपोर्ट।

9. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में आयुक्त रायपुर संभाग द्वारा गृह सचिव भोपाल को भेजी गई मूल रिपोर्ट।

10. दिनांक 01.07.92 को भिलाई में गोली चालन का आदेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया तो उक्त मजिस्ट्रेट की मूल रिपोर्ट।

11. जिला प्रशासन द्वारा 25.05.92 से 08.07.92 तक की स्थिति के बारे में श्रम विभाग म.प्र. शासन को प्रेषित रिपोर्ट/संचार [संदेश] की मूल प्रति।

12. स्थल नक्शा [प्रश्नाधीन घटना स्थल]

13. पुलिस थाना की स्टाक पंजी की प्रति।

14. राइफल बट क्र. की जप्ती राप।

15. अश्रु गैस देने और वापस लेने की प्रति।

16. स्टाक पंजी से उपयोग में लाई गई अश्रु गैस से संबंधित आदेश।

17. अश्रु गैस की व्यय की प्रति "व्यक्त" चिन्हित।

18. रायफल और कारतूस की जप्ती।

19. मस्केट की जब्ती का द्राप।

20. कंपनी की शस्त्र स्टक पंजी की प्रति।

21. कंपनी शस्त्र के दैनिक व्यय का पंजी की प्रति।

22. कंपनी की गोला-बारूद पंजी की प्रति।

23. कंपनी की दैनिक गोला-बारूद व्यय की पंजी की प्रति।

... 4 पर

8

24. फायर क्रमांक 9583-5966-दो-डी-(एक) तारीख 23.10.92 संबंधी हिदायत ।

25. सचिव, भारत सरकार की रिपोर्ट प्रश्नाधीन घटना से संबंधित ।

26. भिलाई क्षेत्र में लागू कर्फ्यू आर्डर दिनांकित 01.07.92 की मूल प्रति ।

27. पंचनामा एवं फायरिंग से मृत लोगों की लाश जहाँ पाया गया उस स्थान की स्थल नक्शा ।

28. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्षति रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट-उपनिरीक्षक टी.के. सिंह से संबंधित ।

29. टी.के. सिंह जहाँ घायल हुए उस स्थान की स्थल रिपोर्ट तथा पंचनामा ।

30. टी.के. सिंह की हत्या से संबंधित अपराध प्रकरण (क्रमांक 186/92) की केस डायरी ।

31. दिनांक 01.07.92 के भिलाई पुलिस गोली काण्ड में घायल लोगों की मेडिकल रिपोर्ट, बेड रिपोर्ट डिस्चार्ज स्लीप, एक्स-रे रिपोर्ट आदि समेत, सेक्टर-9 बी.एस.पी. अस्पताल तथा शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग ।

32. भिलाई गोली काण्ड दिनांक 01.07.92 में मृत 16 व्यक्तियों के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ।

दुर्ग

दिनांक

जनक लाल ठाकुर

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन
जांच आयोग , दुर्ग [म. प्र.]

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी- एम, आई, जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला - दुर्ग .

...आवेदक

उपाबन्ध "ब"

1. प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ टेडेसरा [राजनांदगांव], भिलाई एवं उरला [रायपुर] के औद्योगिक संस्थानों में श्रम कानून लागू करवाने हेतु उठाये औद्योगिक विवाद से संबंधित ए. एल. सी. रायपुर के समक्ष सुलह वार्ता दिनांक से तक की मिनिट्स की मूल प्रति ।

2. उपरोक्त प्रश्नाधीन विवाद से संबंधित श्रम कानून आयुक्त इंदौर के समक्ष दिनांक से तक की मिनिट्स की मूल प्रतियां ।

3. निम्न लिखित उद्योगपतियों के विरूद्ध श्रम विभाग श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में श्रम विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों की फाइलें ।

[1] सिम्पलेक्स ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज ।
[2] केडिया डिस्टलरी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी ।
[3] बी. ई. सी. उद्योग समूह, भिलाई, टेडेसरा ।
[4] बी. के. उद्योग समूह, भिलाई, टेडेसरा, उरला
[5] भिलाई वायर्स एवं खेतावत उरला ।

दुर्ग
दिनांक :

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन

जांच आयोग दुर्ग म.प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
निवासी-एम.आई.जी. 1/55 हुडको, भिलाई,
जिला - दुर्ग ।

... आवेदक

उपाबन्ध "ख"

जांच आयोग के समक्ष गवाही देने एवं दस्तावेज स्पष्टीकरण बाबत् जिन अधिकारियों एवं पूर्व मंत्रियों को आहूत करने आयोग से आवेदक द्वारा निवेदन किये गये हैं उन लोगों की सूची :-

1. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग जिला कलेक्टर श्री तोमर ।
2. प्रश्नाधीन घटना के समय के दुर्ग अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पाण्डे ।
3. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ।
4. तत्कालीन संभाग आयुक्त श्री ए.डी. मोहिले ।
5. तत्कालीन डी.आई.जी. श्री एन.के. हलोरिया ।
6. तत्कालीन कलेक्टर राजनांदगांव श्री श्रीवास्तव ।
7. तत्कालीन सेक्टर-6 कोतवाली थाना टी.आई. श्री राजेश तिवारी ।
8. तत्कालीन भट्ठी थानेदार टी.आई. श्री संजय बोरकर [रायफल पार्टी प्रभारी] ।
9. तत्कालीन प्रभारी आर.पी.एफ. भिलाई - 3
10. श्री प्रेमप्रकाश पांडे पूर्व विधायक भिलाई ।
11. सचिव उद्योग मंत्रालय, भोपाल ।
12. बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक रायपुर ।
13. तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री कैलाश चंद्र जोशी ।
14. तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ।
15. तत्कालीन गृह मंत्री बाबूलाल गौर ।

दुर्ग
दिनांक ।

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

// पावती पत्र //

विवरण, शपथपत्र पर दस्तावेज एवं साक्ष्य सूची प्रस्तुतकर्ता का नाम	प्रस्तुत विवरण शपथ पत्र, दस्तावेज सूची का विवरण तथा पक्षकारों का नाम	कार्यालय का विवरण जिसमे पेश किया गया है	उक्त विवरण आदि प्राप्त [illegible] वाले अधिकार[illegible] हस्ताक्षर त[illegible] प्राप्ति के दिन[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)
श्री जगदलाल ठाकुर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, MIG-1/55 हुडको भिलाई	आवेदन आवेदित धारा 4 जांच आयोग अधिनियम	जांच आयोग, (गोलीकाण्ड भिलाई एवं राजनांदगांव) दुर्ग	[illegible] भिलाई [illegible] जांच आयो[illegible]

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जांच आयोग, दुर्ग [म. प्र.]

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
निवासी- एम. आई. जी. 1/55, हुडको, भिलाई,
जिला - दुर्ग

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1957 वास्ते गवाहो को आहूत करने बाबद् ।

आवेदक की ओर से माननीय के समक्ष निम्न सविनय प्रार्थना प्रस्तुत है:-

1. यह कि यह आवेदन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है । छ. मु. मो. का पंजीकृत कार्यालय शहीद चौक केम्प एक दल्लीराजहरा है ।

2. यह कि भिलाई में विगत तीन साल से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जारी मजदूर आंदोलन के दौरान अनेक विशेषज्ञ तथा माननीय लोगों ने भिलाई क्षेत्र में आकर यहां के औद्योगिक संबंध तथा विवाद के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है ।

3. यह कि उक्त लोगों ने विशेषकर वे परिस्थितियां पृष्ठभूमि और घटना-क्रम जिनकी परिणति एक जुलाई 1992 गोली चालन में हुइ, का विश्लेषण एवं अध्ययन किया है ।

4. यह कि भिलाई पुलिस गोली चालन के संदर्भ में समुचित निष्कर्ष निकालने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति निवारण करने के लिए सुझाव देने के आयोग की अपनी जिम्मेदारी सम्यक रूप से निपटाने में उपाबन्ध "अ" तथा "ब" में दर्शाये गये व्यक्तियों का परीक्षण करना जरूरी है ।

अतः निवेदन है कि उक्त व्यक्तियों को परीक्षण हेतु आहूत करने का आदेश पारीत करने की कृपा करें ।

दुर्ग

दिनांक: 09.07.93

आवेदक

जनक लाल ठाकुर

उपाबन्ध "अ"

1. श्री कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार ।
2. श्री डी. एस. तेवतिया, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय, । एवं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ।
3. श्री विजय तेंदुलकर, प्रसिद्ध रंगकर्मी ।
4. डा. अनिल सद्गोपाल, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता ।
5. श्री जार्ज फर्नांडिज़, सांसद ।
6. श्री स्वामी अग्निवेश, बंधुवा मुक्ति मोर्चा ।
7. श्री राजेन्द्र सच्चर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट ।
8. सुश्री मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन ।
9. श्री राजू काने
10. श्री हरि ठाकुर
11. श्री डाक्टर रिछारिया
12. श्री सुरेन्द्र परिहार
13. श्री प्रो. कुशवाहा
14. श्री राजेन्द्र यादव, लेखक
15. श्री टॉम कोचेरी
16. सुश्री रजनी बक्शी, पत्रकार
17. श्री राकेश दीवान, सचिव एम. पी., पी. यू. सी. एल.

नोट:- ऊपर लिखे लोगों का पता, आवेदक शीघ्र ही आयोग के समक्ष पेश करेगा ।

उपाबन्ध " ब "

विशेषज्ञ :-

1. डा. चंदना मिश्रा

2. श्री अनिल चामुरिया

नोट :- ऊपर लिखे लोगों का पता, आवेदक शीघ्र ही आयोग के समक्ष पेश करेगा ।

Before the Hon'ble Bhilai (Durg) Firing Incident
Inquiry Commission, (Durg)

Sir,

It is respectfully submitted:-

1. That the applicant had submitted certain application and documents in support of them for summoning certain additional witnesses and recording their evidence.

2. That this Commission has however in its wisdom been pleased to reject the submissions of the applicant.

3. That the applicant shall move the Hon'ble High Court in the present matter and seek relief against the orders of this Commission.

4. That in order to enable the applicant to exercise ~~his~~ its constitutional rights and so that it may appear that Justice is not only done but must also be seen to be done the applicant prays that the final arguments before this Inquiry Commission be adjourned for a period of four weeks.

As this Inquiry Commission is dealing with a subject of grave public importance it is prayed that in the interest of justice the matter be adjourned for a period of four weeks.

Chattisgarh Mukti Morcha
through its President
Sh. Janak Lal Thakur

समक्ष श्रीमान भिलाई {दुर्ग} गोली चालन जांच आयोग दुर्ग म.प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम.आई.जी. 1/55, हुडको भिलाई
जिला दुर्ग .... आवेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1952

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :-

1. यह कि यह आवेदन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है । छ.मु.मो. का पंजिकृत कार्यालय शहीद चौक, कैम्प । दल्ली-राजहरा है ।

2. यह कि आवेदक सविनय निवेदन करता है कि भिलाई पुलिस गोली चालन से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियों को साबित करने हेतु कतिपय शासकीय दस्तावेज आवश्यक है ।

3. यह कि आवेदक को इस बात की डर है कि अब तक कई दस्तावेज नष्ट कर चुके होंगे या बिगाड़ चुके होंगे । अतः निवेदन है कि उक्त सभी दस्तावेजों को माननीय द्वारा तत्काल अधिग्रहित करना अतिआवश्यक है ।

4. यह कि आवेदक उक्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची संलग्न उपाबन्ध अ, ब, ~~स, द~~ में दी है ।

5. यह कि आवेदक का निवेदन है कि भिलाई गोली चालन {एक जुलाई 1992} से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को स्पष्ट करने हेतु कतिपय शासकीय अधिकारियों को आयोग के समक्ष बुलाना चाहिए । उक्त शासकीय गवाहों की सूची उपाबन्ध स में दी गई है ।

अतः निवेदन है कि उपाबन्ध में दर्शाये गये दस्तावेजों को तत्काल अधिग्रहित करने तथा गवाही हेतु शासकीय अधिकारियों को माननीय के समक्ष बुलाने बाबत आदेश पारित करने की कृपा करें ।

दुर्ग,
दिनांक ।

{जनक लाल ठाकुर}
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी : एम.आई.जी. 1/55 हुडको, भिलाई,
जिला दुर्ग.

.... आवेदक

आवेदक ने जिन दस्तावेजों को आयोग द्वारा अधिग्रहित करने हेतु आवेदन किया है उनकी सूची .

उपाबन्ध "अ"

1. निम्नलिखित थानाओं से पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई को दि. 1.7.92 को भेजे गये बेतार संदेश :
   (1) थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग
   (2) थाना छावनी, जिला दुर्ग
   (3) " सुपेला, " "
   (4) " दुर्ग, " "
   (5) " नेवई, " "
   (6) " उतई " "
   (7) " भिलाई-3 " "
2. दिनांक 1.7.92 को भिलाई पावर हाउस रेल्वे स्टेशन, रेल पटरी, जी.ई. रोड, तथा सिक्स ट्री एवन्यू एवं आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल को अधिनियोजित करने संबंधी दस्तावेज।
3. दि. 25 मई से 8 जुलाई 1992 तक की कानून एवं व्यवस्था संबंधित पंजी जो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग के अधीन एवं कब्जे में है।
4. दि. 1.7.92 को भिलाई में घटित गोली चालन की पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रतिवेदन।
5. दि. 14.6.92 से 8.7.92 तक का निम्न थानाओं की रोजनामचा :
   (1) थाना जामुल, भिलाई जिला दुर्ग.
   (2) थाना छावनी, " "
   (3) थाना भिलाई भट्ठी "
   (4) थाना कोतवाली, भिलाई "
   (5) थाना दुर्ग "

.../2

24. फायर क्रं. 9583-5966-दो-बी-एक तार. 23.10.92 संबंधी हिदायत ।

25. सचिव, भारत सरकार की रिपोर्ट प्रश्नाधीन घटना से संबंधित ।

26. भिलाई क्षेत्र में लागू कर्फ्यू आर्डर दिनांकित 1.7.92 की मूल प्रति ।

27. पंचनामा एंव फायरिंग से मृत लोगों की लाश जहाँ पाया गया उस स्थान की स्थल नक्शा ।

28. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्षति रिपोर्ट एंव मेडिकल रिपोर्ट - उपनिरीक्षक टी.के. सिंह से संबंधित ।

29. टी.के. सिंह जहाँ घायल हुए उस स्थान की स्थल की रिपोर्ट तथा पंचनामा ।

30. टी.के. सिंह की हत्या से संबंधित अपराध प्रकरण [क्रं. 186192] की केस डायरी ।

32. दिनांक 1.7.92 के भिलाई पुलिस गोली काण्ड में घायल लोगों की मेडिकल रिपोर्ट, बेड रिपोर्ट डिस्चार्ज स्लीप, एक्स-रे रिपोर्ट आदि समेत, सेक्टर-9 बी.एस.पी. अस्पताल तथा शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग ।

32. भिलाई गोली काण्ड दिनांक 1.7.92 में मृत 16 व्यक्तियों के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ।

दुर्ग

दिनांक :

जनकलाल ठाकुर

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन

जांच आयोग, दुर्ग म. प्र.

श्री जनक लालठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी : एम.आई.जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला दुर्ग.

..... आवेदक

उपाबन्ध "ब"

1. प्रगतिशील इंजिनियरिंग श्रमिक संघ द्वारा टेढेसरा [राजनांदगांव], भिलाई एंव उरला [रायपुर] के औद्योगिक संस्थानो में श्रम कानून लागू करवाने हेतु उठाये औद्योगिक विवाद से संबंधित एल.एल.सी. रायपुर के समक्ष सुलह वार्ता दिनांक से तक की मिनिट्स की मूल प्रति ।

2. उपरोक्त प्रश्नाधीन विवाद से संबंधित श्रम कानून आयुक्त इन्दौर के समक्ष दिनांक से तक की मिनिट्स की मूल प्रतियाँ ।

3. निम्न लिखित उद्योगपतियों के विरु: श्रम विभाग श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में श्रम विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों की फाइले ।

1] सिम्पलेक्स ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज,
2] केडिया डिस्टीलरी भिलाई एंव छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, कुम्हारी
3] बी.ई.सी. उद्योग समूह, भिलाई, टेढेसरा,
4] बी.के. उद्योग समूह, भिलाई, टेढेसरा, उरला,
5] भिलाई वायेरस, एंव [illegible] उरला ।

दुर्ग,
दिनांक :

[signature]
[जनक लाल ठाकुर]
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन

जांच आयोग दुर्ग म. प्र.

श्री जनकलालठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी : एम. आई. जी. 1/55, हुडको, भिलाई
जिला दुर्ग.

..... आवेदक

उपाबन्ध "ग"

जांच आयोग के समक्ष गवाही देने एवं दस्तावेज स्पष्टीकरण बाबत जिन अधिकारियों एवं पूर्व मंत्रियों को आहूत करने आयोग से आवेदक द्वारा निवेदन किये गये है उन लोगो की सूची :-

1. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग जिला कलेक्टर श्री तोमर
2. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पान्डे
3. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह
4. तत्कालीन संभाग आयुक्त श्री ए.डी. मोहिले,
5. तत्कालीन डी.आई.जी. श्री एन.के. सलोरिया
6. तत्कालीन कलेक्टर राजनांदगांव श्री श्रीवास्तव,
7. तत्कालीन सेक्टर-6 कोतवाली थाना टी.आई. श्री राजेश तिवारी
8. तत्कालीन भट्टी थानेदार टी.आई. श्री संजय बोरकर [रायफल पार्टी प्रभारी]
9. तत्कालीन प्रभारी आर.पी.एफ., भिलाई-3
10. श्री प्रेम प्रकाश पान्डे पूर्व विधायक भिलाई
11. सचिव उद्योग मंत्रालय, भोपाल
12. बृज मोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक, रायपुर
13. तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री कैलाश चंद्र जोशी
14. तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुंदर लाल पटवा
15. तत्कालीन गृह मंत्री बाबूलाल गौर

दुर्ग
दिनांक :

[signature]
[जनक लाल ठाकुर]
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
आवेदक

समक्ष भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जाँच आयोग दुर्ग [म. प्र.]

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य – 3 – आवेदकगण

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग [म. प्र.]

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीयल एरिया भिलाई,
दुर्ग [म. प्र.] – अनावेदकगण

दिनांक : 15 02. 93

आवेदन पत्र बाबत शासन को साक्ष्य पूर्व लिये जाने का आदेश दिये जाने बाबत ।

आवेदक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से निम्नलिखित [illegible] प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत श्रीमान को भिलाई [दुर्ग] गोली चालन का जाँच आयोग नियुक्त किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न तथ्यों की जाँच करने और उसके संबंध में रिपोर्ट दिया जाना है —

[1] वे परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमि और घटनाक्रम, जिनकी परिणति एक जुलाई 1992 को जिला दुर्ग के भिलाई पावरहाउस के रेल्वे स्टेशन पर पुलिस गोली चालन में हुई,

[2] क्या पुलिस द्वारा किया गया गोली चालन न्याय संगत था,

[3] स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग किये गये बल की पर्याप्तता या अपर्याप्तता और,

[4] भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए ऐसे अन्य विषय, जो जाँच से आनुषांगिक हों ।

2. इस संबंध में जिला प्रशासन ने अपने लिखित विवरण में यह बात स्वीकार की है कि शासन के पुलिस प्रशासन [विभाग] द्वारा दिनांक 01.07.1992 को गोली चलाई गई जिसमें 15 व्यक्तियों

गोलियों से घायल हो गये इस तथ्य को शासन ने स्वीका

है ।

3. शासन के पुलिस विभाग द्वारा गोली चलाया जाना, 15 व्यक्ति की मृत्यु एवं लाठी एवं गोलियों से घायल अनेकों व्यक्तियों के घायल होने की बात जिला प्रशासन द्वारा अपने लिखित विवरण में स्वीकार किये जाने के कारण अनावेदक शासन को यह बताना है कि किन परिस्थितियों में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्या गोली चलाना आवश्यक था और क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग उचित था आदि इसलिए जब तक शासन इस संबंध में श्रीमान के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक आवेदक व आंदोलनकारियों का साक्ष्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए । साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 से धारा 114 के अन्तर्गत भी सबूत का भार जिला प्रशासन को है । और इस प्रकार की घटनाओं में हमेशा गोली चलाने वाले पक्ष द्वारा ही साक्ष्य दी गई है —

(1) 12 सितम्बर 1984 को राजनांदगांव में हुए गोली चालन में श्री डी.पी. पाण्डेय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकल आयोग नियुक्त किये गये थे ।

(2) 3 जून को दल्लीराजहरा (दुर्ग) में हुए गोली चालन के संबंध में श्री के.ए. रज्जाक, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश को एकल आयोग नियुक्त किया गया था ।

इन दोनों में भी शासन की ओर से साक्षियों का बयान पहले लिया गया था और उसके पश्चात आवेदकगण अर्थात श्रमिक एवं आंदोलनकारियों का साक्ष्य लिया गया ।

4. यह कि गोली चालन के संबंध में परिस्थितियां और सबूत का संपूर्ण भार जिला प्रशासन पर है और उन्हीं का साक्ष्य पहले शुरू किया जाना चाहिए ।

5. यह कि श्रीमान ने जिला प्रशासन का साक्ष्य शुरू न कर दूसरे पक्ष का साक्ष्य सर्वप्रथम लेने का आदेश दिया है जो कि आवेदकगणों के पक्ष के विधि विपरीत है । इस संबंध में ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1459 तथा ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 619 विधि निर्णय पर ध्यान दिया जाना उचित होगा ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जिला प्रशासन (शासन) की ओर से ही पहले अपने साक्ष्य शुरू करने का निर्देश देने की

समक्ष भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जांच आयोग दुर्ग [म.प्र.]

गणेश राम चौधरी, आ. आशाराम चौधरी,
उम्र - 37 वर्ष, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
सी. एम. एम. कार्यालय दल्ली-राजहरा, जिला - दुर्ग,
मध्य-प्रदेश । - आवेदक

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग [म.प्र.]

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग [म.प्र.] - अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र द्वारा साक्षी गणेश राम चौधरी वास्ते शासन की ओर साक्ष्य शुरू करने का आदेश देने बाबत् ।

आवेदक गणेश राम चौधरी निम्न प्रार्थना करता है :-

1. यह कि गोली चालन एवं उससे हुई मृत्यु तथा चोटें उचित थी, इसे प्रमाणित करने का भार शासन पर है । जब तक शासन अपने को निष्पक्ष प्रमाणित न करें तब तक यह माना जायेगा कि गोलीकाण्ड में शासन पूर्ण रूप से दोषी है । यदि शासन अपना साक्ष्य शुरू में देने से इन्कार करते है तो यह माना जायेगा कि शासन दोषी है ।

2. यह कि शासन का पक्ष समाप्त होने के पश्चात ही मैं और अन्य साक्षीगण के पहले बयान लिये जावे उसके बाद प्रतिपरीक्षण किये जावे । शपथ पत्र जो मैंने पेश किया है, वह अपूर्ण है । इसलिए मैंने शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया है कि शपथपत्र को पूर्ण न माना जावें तथा इस संबंध में न्यायालय के सामने परीक्षण किया जावें ।

3. यह कि श्रीमान के समक्ष परीक्षण हुये बिना आवेदक अपना प्रति-परीक्षण करने तैयार नहीं है ।

... 2 पर

अतः श्रीमान से निवेदन है कि शासन की साक्ष्य शुरू करने का आदेश दिया जावें उसके साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात मेरा व हमारे अन्य साक्षियों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण किया जावें। यदि श्रीमान मेरी प्रार्थना से सहमत न हो तो मुझे इस संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दे कर मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जावें।

दिनांक: 15.03.93 आवेदक

अधिवक्ता वास्ते आवेदक

समक्ष भिलाई [दुर्ग] गोली काण्ड जाँच आयोग दुर्ग [म.प्र.]

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य - 3 - आवेदकगण

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग [म.प्र.]

2. अध्यक्ष/सचिव
भिलाई इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीयल एरिया भिलाई,
दुर्ग [म.प्र.] - अनावेदकगण

दिनांक : 15.09.93

आवेदन पत्र बाबत श्रीमान के द्वारा दिये गए आदेश के विरुद्ध उच्च-न्यायालय से स्थगन लाने हेतु आवेदन पत्र पेश करने के लिए समय दिये जाने हेतु ।

आवेदकगण निम्न प्रार्थना करते है :-

1. यह कि श्रीमान द्वारा आवेदकगणों की प्रार्थना को अस्वीकार किया गया है, जिससे आवेदकगण सहमत नहीं है और इस आदेश से अपने आप को पीड़ित होना महसूस करते है ।
2. यह कि श्रीमान के आदेश के विरुद्ध आवेदकगण माननीय उच्च-न्यायालय जबलपुर में उचित कार्यवाही करना चाहते है ।
3. यह कि आवेदकगण के मुद्दे बहुत सबल है, और उन्हे सफलता की पूर्ण आशा है ।
4. यह कि श्रीमान द्वारा पारित किये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तुरन्त देने का आदेश दिया जावें, जिससे की बिना किसी विलंब के वे अपनी कार्यवाही कर सकें । प्रमाणित प्रतिलिपि में जो भी खर्च अपेक्षित उन्हें वहन करने के लिए आवेदकगण तैयार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाने के लिए नकल मिलने के पश्चात एक माह का समय प्रदान किया जावें ।

दिनांक : 15.09.93 आवेदकगण

समक्ष:माननीय जांच आयोग भिलाई (दुर्ग) गोली चालन

आवेदक:- जनकलाल ठाकुर (अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा) द्वारा आवेदन पत्र.

दिनांक 8/5/96 का प्रतिउत्तर शासन पक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

1/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र हवाला कांड से संबंधित है जिसकी जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है.

2/ यह कि हवाला कांड से गोली कांड जांच का कोई संबंध नहीं है. ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधारहिन एवं निरर्थक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है.

3/ यह कि हवाला डायरी से जांच आयोग के समक्ष कौन सा नया तथ्य मोर्चा के द्वारा लिया जायेगा इसका स्पष्ट विवरण आवेदन पत्र में नहीं है. और न ही इस तथ्य का उल्लेख है कि हवाला कांड से गोली कांड का क्या संबंध है. सुसंगतता के अभाव में भी मोर्चा द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः प्रार्थना है कि उपयुक्त प्रत्युत्तर के आलोक में मोर्चा की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 8/5/96 निरस्त किया जाय.

(हस्ताक्षर)

अधिवक्ता तरफ से शासन

दुर्ग

दिनांक 9/5/96

समक्ष श्रीमान भिलाई ,दुर्ग गोली चालन आयोग दुर्ग (म.प्र.)

छत्तीसगढ़ मुक्ती मोर्चा द्वारा दिनांक 8/5/96 को प्रस्तुत आवेदन पत्र का जवाब शासन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत है

1/ यह कि आवेदन पत्र की कंडिका क्र. 1, जिसमें प्रताड़ित करने का अभिकथन किया गया है असत्य है एवं इंकार है।

2/ यह कि लोमन कुमार ने माननीय जांच आयोग के समक्ष कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अतः कंडिका 2, व कंडिका 3, के संदर्भ में शासन पक्ष किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझता.

3/ यह कि कंडिका के 4 से लेकर 7 तक के अभिकथन की कंडिका क्रमांक 5 माननीय आयोग के समक्ष विचाराधीन है और इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है.

4/ यह कि आवेदन पत्र की कंडिका क्र. 8 के संदर्भ में श्री लोमन [redacted] कुमार को गुर्दे की परेशानी है तो उसके प्रति शासन पक्ष को पूर्ण सहानुभूति है,

5/ यह कि आवेदन पत्र की कंडिका क्र. 9 एवं 10 माननीय जांच आयोग के क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है अतः शासन पत्र इन अभिकथनों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना नहीं चाहता

तदानुसार आदेश पारित किया जाय.

अधिवक्ता तरफ से शासन

दुर्ग
दिनांक 9/5/96

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

गणेश राम चौधरी, आ. आशाराम चौधरी,
उम्र - 37 वर्ष, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
सी. एम. एम. कार्यालय दल्ली-राजहरा, जिला - दुर्ग,
मध्य-प्रदेश । - आवेदक

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म.प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग (म.प्र.) - अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र द्वारा साक्षी गणेश राम चौधरी वास्ते शासन को [illegible] साक्ष्य शुरू करने का आदेश देने बाबत् ।

आवेदक गणेश राम चौधरी निम्न प्रार्थना करता है :-

1. यह कि गोली चालन एवं उससे हुई मृत्यु तथा चोटें उचित थी, इसे प्रमाणित करने का भार शासन पर है । जब तक शासन अपने को निष्पक्ष प्रमाणित न करे दे तब तक यह माना जायेगा कि गोलीकाण्ड में शासन पूर्ण रूप से दोषी है । यदि शासन अपना साक्ष्य शुरू में देने से इन्कार करते है तो यह माना जायेगा कि शासन दोषी है ।

2. यह कि शासन का पक्ष समाप्त होने के पश्चात ही मैं और अन्य साक्षीगण के पहले बयान लिये जावे उसके बाद प्रतिपरीक्षण किये जावे । शपथ पत्र जो मैंने पेश किया है, वह अपूर्ण है । इसलिए मैंने शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया है कि शपथपत्र को पूर्ण न माना जावें तथा इस संबंध में न्यायालय के सामने परीक्षण किया जावें ।

3. यह कि श्रीमान के समक्ष परीक्षण हुये बिना आवेदक अपना प्रति-परीक्षण करने तैयार नहीं है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि शासन को साक्ष्य शुरू करने का आदेश दिया जावें उनके साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात मेरा व हमारे अन्य साक्षियों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण किया जावें । यदि श्रीमान मेरी प्रार्थना से सहमत न हो तो मुझे इस संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दे कर मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जावें ।

दिनांक: 15.09.93

आवेदक

(signature)

अधिवक्ता वास्ते आवेदक

पावती पत्र

विवरण, शपथपत्र पर दस्तावेज एवं साक्ष्य सूची प्रस्तुतकर्ता का नाम	प्रस्तुत विवरण शपथ पत्र, दस्तावेज सूची का विवरण तथा पक्षकारों का नाम	कार्यालय का विवरण जिसमें पेश किया गया है	उक्त विवरण आदि प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा प्राप्ति के दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) प्यारी बाई (2) कोमिका बाई [illegible]	आवेदन पत्र रिपोर्ट [illegible] कार्यवाही [illegible]	जाँच आयोग (जिलाधीश [illegible] कार्यालय) दुर्ग	[signature] सचिव भिलाई (दुर्ग) [illegible] जांच आयोग

समक्ष श्रीमान भिलाई {दुर्ग} गोली चालन जांच आयोग दुर्ग {म.प्र.}

(1) प्यारी बाई बेवा धीरपाल, केवार कैम्प जामुल (दुर्ग)

(2) कोनिका दास बेवा असीम दास

साल, 24, निवासी शारदा पारा, भिलाई दुर्ग.

... आवेदिका

आवेदन पत्र अंतर्गत जांच आयोग अधिनियम 1952 वास्ते जांच कार्यवाही दिन-प्रतिदिन चलाने बावत ।

आवेदिका माननीय के समक्ष निम्न सविनय प्रार्थना प्रस्तुत करती है :-

1. यह कि आवेदिका एक जुलाई 1992 भिलाई गोली कांड में शहीद हुये सोलह में से एक असीम दास की विधवा तथा उसी दिन शहीद हुए लोगों की पत्नियां तथा माताओं के संगठन "शहीद परिवार" की सदस्या हूं । हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका (अप) क्र० 100 M/93 में भिलाई गोली कांड में मृत शहीदों की सूची संलग्न अउपाबंध में दिया है ।

2. यह कि शासन की तरफ से मुझे तथा अन्य प्रभावित परिवारों को समुचित क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया है जिसके कारण कई परिवार के लोग वास्तव में भुखमरी के शिकार हो गये हैं ।

3. यह कि आज तक उन अपराधी पुलिस कर्मीयों को दंडित नही किया है । जिन्होंने श्रम-कानून के अधीन अपने अधिकारों के लिये शांतिपूर्ण संघर्ष करने वाले निहत्थे मजदूरों पर गोलीयां चलाई थी ।

4. यह कि मैंने तथा गोली चालन से प्रभावित अन्य लोगों ने एक साल की लम्बी अवधि तक न्याय की प्रतिक्षा करती रही । इतनी प्रतिक्षा के बावजूद हमें खुशी है कि माननीय द्वारा उक्त गोली चालन से संदर्भित तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में जांच कार्यवाही अतः शुरू हो रही है ।

5. यह कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि अविलम्ब न्याय दिलाने की दिशा में जांच आयोग की कार्यवाहियां दिन-प्रतिदिन के आधार पर होना आवश्यक है ।

.../2

6. यह कि मैंने तथा "शहीद परिवार" के अन्य सदस्यगण संयुक्त रूप से माननीय उच्च-न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी तथा माननीय उच्च-न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि "आयोग द्वारा अपना कार्यवाही तत्काल शुरू करेगा तथा यथा संभव जल्दी जांच कार्य सम्पन्न करेगा"। उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न उपाबन्ध "ब" में है ।

अतः निवेदन है कि न्यायहित में जांच कार्यवाही दिन-प्रतिदिन चलाने बावत आदेश पारित करने की कृपा करे ।

दुर्ग.
दिनांक :

आवेदिका
पार्वताबाई बेवा चौरपाल

No.	Name	Age	Address	Occupation	Circumstances of death	Dependents.
1	2	3	4	5	6	7
1)	Aseem Das	28 yrs	Shardapara, Bhilai.	One of the earliest victimised workers of Simplex Engg. Unit I. Used to earn around Rs 1000/ p.m	He was shot in the back of the head on G.E. Road while leaving the tracks.	Young 24-yr. old wife Konika Das. Her baby daughter was 15 day old when Com. Das was murdered. She lives alone and has no source of income. Recieved only 12000/- Rs comp-ensation.
2)	Keshav Gupta	54 yrs.	ACC Labour Campus Jamul.	Driver in ACC for several decades. Used to earn about Rs 1200/- p.m.	Shot twice in the chest. Was trying to rescue children thrown into ditches by the police at the time	His wife Kamla Devi aged about 38, 3 children aged 22, 20 and 14. All studying. The eldest dreamt of becoming a doctor and was studying medicine. Received around 22000/- compensation.
3)	Prem Narayan	23 yrs	Village Pachderri, Kumhari	Dismissed worker of Chhatisgarh Distill-eries.	After being shot in the thigh, had managed to reach Ghasidas Nagar office of CMM where he succumbed to his injuries.	Has old parents, a younger brother, his young wife and a baby around 18 months old. They are somehow surviving by farming. His father refused to accept the inadequate and humiliating compensation.
4)	Laxman Verma	35	Jagriti Chowk, Shardapara, Bhilai.	Dismissed worker of the Bhilai Engineering Corpn.	Was shot thrice, once on the thigh on the tracks, once on the abdomen near Basant Talkies as he fled and third time in the groin at Jalebi Chowk	Has a wife and three children, the eldest being around 15 years of age.

(Continued)

(Continued)

1	2	3	4	5	6	7
5)	Puranik Lal	26yrs	Village Sankra, Kumhari	Dismissed worker, Chhattisgarh Distilleries	Shot on the tracks in the head. Another comrade Baratu Ram who tried to go and pick him up was shot in the arm.	Has old parents, wife and two children – one 2 yrs old and one of a few months. His brother had been also dismissed from Chhattisgarh Distilleries.
6)	K. N. Pradeep	22yrs	Kurripar, Bhilai	Worker, Kedia Distilleries	Was shot in the chest around 1½ km from the tracks	Elderly ailing mother for whom he had gone to get medicines according to newspaper reports.
7)	Kishori Chaudhari	28yrs	Machhli Market Power house, Bhilai	Dismissed worker Kedia Distilleries. Used to earn around Rs1700 p.m.	Shot in the back on the tracks.	Was eldest son of elderly parents. His wife Chintha is in a continuous state of shock which has affected her psychologically & physically. She gave birth to a blind daughter in August '92. His brother Lallan was also injured by a bullet in the right upper arm rendering him incapable of work. Has an infant brother. There is now no earning member and the effective head of the household is his mother Devmani,

(Continued)

1	2	3	4	5	6	7
8)	Manharanlal Verma	26 yrs.	Village Basing, Durg.	Dismissed worker of Simplex Casting Pvt Ltd since around 2 yrs. Used to earn 500-600/- Rs p.m.	First shot in the thigh. He was being taken away by two comrades. They were fired upon, so left him and fled in panic. Shot a second time on the G.E. Road.	Young 24 yr old wife Rukmani Bai, has 4 children three daughters and a son. ~~The~~ The eldest two study in Class 4 & Class 1. The baby is around 9 months old now. She lives alone and has no other source of income
9)	Joga Yadav	45 yrs.	Gandhi chowk, Bhilai	Rickshaw puller. Used to earn Rs 30-35 daily.	Throughout the rail roko movement he was bringing water for the children. Was shot on the tracks..	His wife Dayabai is 40 and a dismissed worker of Kedia Distilleries. One married daughter deserted by her husband also lives with her, as also a 12 yr old son. She got 12000/- initially and then "someone in a car" came and gave 10000/- Rs again.
10)	Kumar Verma	22 yrs.	Village Pahda, Kumhari	Dismissed worker, Chattisgarh Distilleries	Shot on the tracks.	Has elderly parents and three sisters. He was married only a few months before the July incident.
11)	Ramagya Chouhan	26 yrs	Indra nagar, Supela.	Was not of CMM Helper ~~of~~ on a tractor trolley.	Shot at Supela Chowk more than 3 km away. A woman filling water and a worker of General Fabricators also sustained bullet injuries at this spot	Elderly parents, two brothers one younger to him They received no compensation

(Continued)

(Continued)

1	2	3	4	5		7
12)	Dhirpat	34 yrs	Labour Camp, ACC, Jamul.	Coal wagon loading contract worker in ACC for 7 years	Was shot in the intestine. After two operations he succumbed to his injuries after 8 months.	His wife Pyari Bai is around 25 years old. Has a little daughter around 5 years old, whom she wants to put to school but is unable. Her old mother and unemployed brothers are also with her. She has got Rs 2000/- only as compensation.
13)	Madhukar	40 years	Bhilai	Had a barbershop in Mahatma Gandhi Market	Was shot away from the tracks while closing his barber shop	
14)	Hirau Ram	45 yrs	ACC Labour Camp, Jamul.	Contract worker in ACC.	Shot on the tracks	
15)	Ramkripal Mishra	25 yrs.	Chaoni, Bhilai	Dismissed worker of Kedia Distilleries	Shot in the back while leaving the tracks.	
16)	Indradev Chaudhari	23 yrs	ACC chowk, Jamul	Dismissed worker of Kedia Distilleries	Shot on the tracks	

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR BENCH
WRIT PETITION(Crl) No.1007/93.

Exp.No.6673
For Ref. :

In the matter of

Shahid Parivar through its
representative Smt Konica Das w/o
Ashim Das,
Sharda Para
Bhilai, Madhya Pradesh.

...... Petitioner

V E R S U S

1. State of Madhya Pradesh
   through the Chief Secretary
   Bhopal, Madhya Pradesh.

2. Bhartiya Janata Party
   through its representative
   Sunderlal Patwa
   Mukherjee Chowk, Bhopal
   Madhya Pradesh

3. Superintendent of Police
   Durg District
   Durg, Madhya Pradesh.

...... Respondents

WRIT PETITION UNDER A 226 and A 227
OF THE CONSTITUTION FOR
ENFORCEMENT OF FUNDAMENTAL
RIGHTS GUARANTEED UNDER
ARTICLES 14, 19, 21
OF THE INDIAN CONSTITUTION

To

The Hon'ble Chief Justice of the
Madhya Pradesh High Court and his
Companion Justices of the Hon'ble
Court.

The humble petition
of the abovenamed Petitioner

contd-3.

7.4.1993

ORDER IN ORDER SHEET

Shri Manish Datt for the petitioner.

Shri Dilip Naik, Dy.A.G., for the State.

Shri Naik, learned Dy.A.G., states that the Commission with the District Judge, Raipur has been appointed in the matter. He further states that the term of the Commission is upto 12.4.1993 but steps are being taken to extend the same so that the Commission can conduct the inquiry and submit its report. In view of the aforesaid, substantial grievance of the petitioner remains ~~sa~~ satisfied. This Court would however hope that the Commission would start its work immediately and complete the inquiry as early as possible.

Shri Datt further submitted that this court should fix principles governing payment of compensation to the persons killed in the police firing. This being a matter afforded under the Law of Tort and the Commission having seized with the matter for necessary action, this Court would leave the matter to be decided by the Commission.

The petition is disposed of accordingly.

Sd/-G.C. GUPTA
JUDGE

Sd/-M.V.TAMASKAR
JUDGE

TRUE COPY

Pre. Copy
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

7/4/93

भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग

दुर्ग (म. प्र.)

सुखम बाई पति मंडलदास

साकिन पंथदेवरी, उपथाना कुम्हारी,

थाना भिलाई - 3, दुर्ग (म. प्र.)

---- आवेदक

शहीद परिवारों और घायल व्यक्तियों द्वारा मुआवजे हेतु आवेदन

आवेदक माननीय जांच आयोग के समक्ष निम्न निवेदन करता है :-

1. यह कि आवेदिका एक जुलाई 1992 के भिलाई गोली कांड में शहीद प्रेम नारायण की माँ है । आवेदिका उस दिन शहीद हुए व्यक्तियों के परिवारजनों के संगठन "शहीद परिवार" की सदस्या है ।

2. यह कि राज्य शहीदों की जान लेने के लिए जिम्मेदार है एवं राज्य का दायित्व है कि उचित मुआवजा दें । शहीदों एवं उनके परिवार को हुए शारीरिक और मानसिक त्रास व कष्ट का मुआवजा देने की भी जिम्मेदारी राज्य की है ।

3. यह कि एक जुलाई 1992 पर भिलाई में हुई पुलिस कार्यवाही एवं गोली चालन में घायल व्यक्तियों और उनके परिवार को लगी चोटें शारीरिक और मानसिक त्रास का मुआवजा देने की भी जिम्मेदारी राज्य की है ।

4. "शहीद परिवार" की ओर से मुआवजे हेतु माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका (क्र.)1007/93 दायर की गई थी । उक्त याचिका में उच्च न्यायालय ने दि नांक 07. 04. 93 को आदेश पारित किया कि मुआवजे का प्रश्न माननीय जांच आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा । उक्त आदेश की कापी उपाबन्ध "क" में संलग्न है । उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शहीदों की सूची एवं संक्षिप्त विवरण उपाबंध "ख" में संलग्न है ।

5. एक जुलाई 1992 की पुलिस कार्यवाही और गोली चालन में घायल व्यक्तियों को भी उपयुक्त एक साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी उपयुक्त मुआवजा नहीं मिला है, जिनकी सूची उपाबंध " ग" में संलग्न है ।

ऊपर लिखे तथ्यों और परिस्थितियों में विनम्र प्रार्थना है कि माननीय जांच आयोग गोली चालन एवं पुलिस कार्यवाही में शहीद व्यक्तियों के परिवारजनों और घायल व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिलवाने की कृपा करें ।

सुखमबाई

दुर्ग

आवेदिका

दिनांक 10. 07. 93

उपाबंध क : उच्च न्यायालय का दिनांक 07.04.93 का आदेश ।

उपाबंध ख : गवाहों की सूची ।

उपाबंध ग : दस्तावेजों की सूची ।

Chamber No. 66
Supreme Court Chambers
Tilak Marg
New Delhi-110001
ph: 384035

RAKESH SHUKLA
LL.M.
ADVOCATE SUPREME COURT

fax: 91-113782595
telex: 31-62571-SCI IN
ph: 3782968/67

July 8,1993

To
The Superintendent
District Jail
Durg.

Sub: Forwarding of Applications to be made parties to the Bhilai Durg Firing Commission of Enquiry on behalf of Shri N.R.Ghoshal and Shri Sheikh Ansar

Sir,

Please find enclosed two applications on behalf of Shri Neelratan Ghoshal and Shri Sheikh Ansar to be made parties to the Commission of Enquiry insituted to enquire into the matter of the Police Firing on 1.7.1992 in Bhilai and related matters.

Kindly forward the same to the Commission of Enquiry within the time prescribed by the Hon'ble Commission of Enquiry as per their notification, i.e. 9th, 10th July, 1992 till 1600 hrs.

Thanking you,

Yours faithfully

R Shukla

(1)+4 Copies of Application onbehalf of
Shri Neel Ratan Ghoshal.

(2)+4 Copies of Application on behalf of
Shri Sheikh Ansar.

(सह)कार्यवाही
ये०
8/7/93

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली चालन

जांच आयोग दुर्ग म. प्र.

श्री शेख अंसार वल्द श्री शेख अरमान

उम्र	:	29 वर्ष , सचिव प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ
निवासी	:	केम्प-1, दल्ली राजहरा, दुर्ग (म. प्र.)
वर्तमान पता	:	जिला कारावास, दुर्ग

.... आवेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत जांच आयोग अधिनियम 1952

के अन्तर्गत पक्षकार बनाये जाने बाबत्

1. यह कि आवेदक प्रगतिशील इंजिनीयरिंग श्रमिक संघ, जो कि भिलाई, उरला एंव टेडेसरा क्षेत्र के इंजिनीयरिंग उद्योग में पंजीकृत मजदूर यूनियन के सचिव है ।

2. यह कि उक्त मजदूर यूनियन इस क्षेत्र के मजदूरो के कानूनी एंव संवैधानिक अधिकारो से संबंधित मुददाओ को उठाता रहा है । आवेदक पिछले नौ सालो से क्षेत्र के मजदूरो के कानूनी और संविधानिक अधिकारो को अमल कराने हेतु प्रयत्नशील है ।

3. यह कि इस क्षेत्र के उद्योगपति पिछले तीन साल से चल रहे औद्योगिक विवाद को हल करने के बजाये, पुलिस के साथ साठगाठ करके हत्या , दमन एंव हिंसा में लिप्त रहे है ।

4. यह कि उक्त उद्योगपतियों ने मजदूर आंदोलन को खत्म करने के लिए कामरेड शंकर गुहा नियोगी की हत्या की थी । यह कि उद्योगपतियों ने मजदूरों पर पुलिस एंव गुण्डाओ की निजी सेना द्वारा हिंसा का कहर बरपा है । मजदूरों द्वारा

अनेक बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने न तो अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है और न अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि पुलिस एंव उद्योगपतियों के बीच साठगाठ की ओर संकेत है। वास्तविकता यह है कि आज तक शंकर गुहा नियोगी के हत्यारो को गिरफ्तार नही किया है तथा एक उद्योगपति को जो गिरफ्तार किया गया था फरार होने दिया।

5. यह कि दिनांक 1.7.92 को विधिक अधिकारो के लिए शांति= पूर्ण ढंग से आंदोलनरत मजदूरों पर एक षडयंत्र के अंतर्गत पुलिस द्वारा गोली चलायी गयी।

6. यह कि पुलिस एंव उद्योगपतियों के बीच रची गयी षडयंत्र के फलस्वरूप मुझे झूठे हत्या प्रकरण में फंसा कर अन्यायपूर्ण ढंग से गिरफ्तार किया तथा पिछले करीब एक साल से जेल में बंद हूँ।

7. यह कि जांच के विषयों से संबंधित तथ्यो एंव परिस्थितियों की जानकारी मुझे है। जांच आयोग द्वारा सच्चाई तक पहुचने में मेरा बयान आवश्यक रूप से सहायक होगा।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्य एंव परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मुझे न्याय हित में जांच आयोग की कार्यवाही में एक पक्षकार बनाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

दुर्ग

दिनांक :

आवेदक

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जांच आयोग दुर्ग, म. प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम. आई. जी. 1/55 हुडको भिलाई
जिला - दुर्ग ...आवेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1952

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :-

1. यह कि यह आवेदन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है । छ. मु. मो. का पंजीकृत कार्यालय शहीद चौक, कैम्प एक दल्लीराजहरा है ।

2. यह कि आवेदक साविनय निवेदन करता है कि भिलाई पुलिस गोली चालन से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियों को साबित करने हेतु कतिपय शासकीय दस्तावेज आवश्यक है ।

3. यह कि आवेदक को इस बात की डर है कि अब तक कई दस्तावेज नष्ट कर चुके होंगे या बिगाड़ चुके होंगे । अतः निवेदन है कि उक्त सभी दस्तावेजों को माननीय द्वारा तत्काल अधिग्रहित करना अति आवश्यक है ।

4. यह कि आवेदक उक्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची संलग्न उपाबंध "अ" व "ब" में दी है ।

5. यह कि आवेदक का निवेदन है कि भिलाई गोली चालन [एक जुलाई 1992] से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को स्पष्ट करने हेतु कतिपय शासकीय अधिकारियों को आयोग के समक्ष बुलाना चाहिए । उक्त शासकीय गवाहों की सूची उपाबंध " स " में दी गई है ।

अतः निवेदन है कि उपाबंध में दर्शाये गये दस्तावेजों को तत्काल अधिग्रहित करने तथा गवाही हेतु शासकीय अधिकारियों को माननीय के समक्ष बुलाने बाबत आदेश पारित करने की कृपा करें ।

[जनक लाल ठाकुर]
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

दुर्ग,
दिनांक

समक्ष श्रीमान भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम.आई.जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला - दुर्ग.

...आवेदक

आवेदक ने जिन दस्तावेजों को आयोग द्वारा अधिग्रहित करने हेतु आवेदन किया है उनकी सूची .

उपाबंध " अ "

1. निम्नलिखित थानाओं से पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई को दि. 01.07.92 को भेजे गये बेतार संदेश :-
   (1) थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग ।
   (2) थाना छावनी, जिला दुर्ग ।
   (3) थाना सुपेला, जिला दुर्ग ।
   (4) थाना दुर्ग, जिला दुर्ग ।
   (5) थाना नेवई, जिला दुर्ग ।
   (6) थाना उतई, जिला दुर्ग ।
   (7) थाना भिलाई - 3, जिला दुर्ग ।
2. दिनांक 01.07.92 को भिलाई पावर हाउस रेल्वे स्टेशन, रेल पटरी, जी.ई. रोड. तथा सिविक ट्री एवन्यू एवं आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल को अधिनियोजित करने संबंधी दस्तावेज ।
3. दिनांक 25 मई से 8 जुलाई 1992 तक की कानून एवं व्यवस्था संबंधित पंजी जो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग के अधीन एवं कब्जे में है ।
4. दिनांक 01.07.92 को भिलाई में घटित गोली चालन की पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रतिवेदन ।
5. दिनांक 14.06.92 से 08.07.92 तक का निम्न थानाओं की रोजनामचा :-
   (1) थाना जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग ।
   (2) थाना छावनी, भिलाई , जिला दुर्ग ।
   (3) थाना भिलाई भट्ठी, भिलाई जिला दुर्ग ।
   (4) थाना कोतवाली भिलाई, जिला दुर्ग

6. दिनांक 01.07.92 को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6, भिलाई से [1] कार्यालय संभागीय आयुक्त, रायपुर [2] गृह सचिव, भोपाल [3] थाना दुर्ग [4] थाना भिलाई भट्ठी [5] थाना छावनी [6] उद्योग मंत्री, [7] श्रम मंत्री, [8] मुख्यमंत्री [9] डी.आई.जी. भिलाई क्षेत्र [10] डी.आई.जी. छत्तीसगढ़ क्षेत्र "रायपुर" को भेजा गया बेतार संदेश ।

7. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में पुलिस मानुवल 444 के तहत पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग द्वारा उच्चतर अधिकारीयों को भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

8. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में पुलिस मानुवल 444 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

9. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में आयुक्त रायपुर संभाग द्वारा गृह सचिव भोपाल को भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

10. दिनांक 01.07.92 को भिलाई में गोली चालन का आदेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया तो उक्त मजिस्ट्रट की मूल रिपोर्ट ।

11. जिला प्रशासन द्वारा 25.05.92 से 08.07.92 तक की स्थिति के बारे में श्रम विभाग म.प्र. शासन को प्रेषित रिपोर्ट/संचार [संदेश] की मूल प्रति।

12. स्थल नक्शा [प्रश्नाधीन घटना स्थल]

13. पुलिस थाना की स्टाक पंजी की प्रति ।

14. राइफल बट कं. की जप्ती राप ।

15. अश्रु गैस लेने और वापस लेने की प्रति ।

16. स्टाक पंजी से उपयोग में लाई गई अश्रु गैस से संबंधित आदेश ।

17. अश्रु गैस की व्यय की प्रति "मस्केट " चिन्हित ।

18. रायफल और कारतूस की जप्ती ।

19. मस्केट की जप्ती का ड्राप ।

20. कंपनी की शस्त्र स्टक पंजी की प्रति ।

21. कंपनी शस्त्र के दैनिक व्यय का पंजी की प्रति ।

22. कंपनी की गोला-बारूद पंजी की प्रति ।

23. कंपनी की दैनिक गोला-बारूद व्यय की पंजी की प्रति ।

... 4 पर

24. फायर क्रमांक 9583-5968-दो-बी-[एक] तारीख 23.10.92 संबंधी हिदायत ।

25. सचिव, भारत सरकार की रिपोर्ट प्रश्नाधीन घटना से संबंधित ।

26. भिलाई क्षेत्र में लागू कर्फ्यू आर्डर दिनांकित 01.07.92 की मूल प्रति ।

27. पंचनामा एवं फायरिंग से मृत लोगों की लाश जहां पाया गया उस स्थान की स्थल नक्शा ।

28. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्षति रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट-उपनिरीक्षक टी. के. सिंह से संबंधित ।

29. टी. के. सिंह जहां घायल हुए उस स्थान की स्थल रिपोर्ट तथा पंचनामा ।

30. टी. के. सिंह की हत्या से संबंधित अपराध प्रकरण[क्रमांक 186/92] की केश डायरी ।

31. दिनांक 01.07.92 के भिलाई पुलिस गोली काण्ड में घायल लोगों की मेडिकल रिपोर्ट, बेड रिपोर्ट डिस्चार्ज स्लीप, एक्स-रे रिपोर्ट आदि समेत, सेक्टर-9 बी. एस. पी. अस्पताल तथा शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग ।

32. भिलाई गोली काण्ड दिनांक 01.07.92 में मृत 16 व्यक्तियों के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ।

दुर्ग

दिनांक : जनक लाल ठाकुर

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन
जांच आयोग, दुर्ग [म.प्र.]

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी- एम. आई. जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला - दुर्ग.

...आवेदक

उपाबन्ध "ब"

1. प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ टेडेसरा [राजनांदगांव], भिलाई एवं उरला [रायपुर] के औद्योगिक संस्थानों में श्रम कानून लागू करवाने हेतु उठाये औद्योगिक विवाद से संबंधित ए.एल.सी. रायपुर के समक्ष सुलह वार्ता दिनांक   से   तक की मिनिटस की मूल प्रति ।

2. उपरोक्त प्रश्नाधीन विवाद से संबंधित श्रम कानून आयुक्त इंदौर के समक्ष दिनांक   से   तक की मिनिटस की मूल प्रतियां ।

3. निम्न लिखित उद्योगपतियों के विरुद्ध श्रम विभाग श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में श्रम विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों की फाइलें ।

   [1] सिम्पलेक्स ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज ।
   [2] केडिया डिस्टलरी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी ।
   [3] बी.ई.सी. उद्योग समूह, भिलाई, टेडेसरा ।
   [4] बी.के. उद्योग समूह, भिलाई, टेडेसरा, उरला
   [5] भिलाई वायर्स एवं केसायल उरला ।

दुर्ग
दिनांक :

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन
जांच आयोग दुर्ग म.प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
निवासी–एम.आई.जी. 1/55 हुडको, भिलाई,
जिला – दुर्ग ।

... आवेदक

उपाबन्ध "स"

जांच आयोग के समक्ष गवाही देने एवं दस्तावेज स्पष्टीकरण बाबत् जिन अधिकारीयों एवं पूर्व मंत्रियों को आहूत करने आयोग से आवेदक द्वारा निवेदन किये गये है उन लोगों की सूची :–

1. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग जिला कलेक्टर श्री तोमर ।
2. प्रश्नाधीन घटना के समय के दुर्ग अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पाण्डे ।
3. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ।
4. तत्कालीन संभाग आयुक्त श्री ए.डी.मोहिले ।
5. तत्कालीन डी.आई.जी. श्री एन.के.ढलोरिया ।
6. तत्कालीन कलेक्टर राजनांदगांव श्री श्रीवास्तव ।
7. तत्कालीन सेक्टर –6 कोतवाली थाना टी.आई. श्री राजेश तिवारी ।
8. तत्कालीन मदठी थानेदार टी.आई. श्री संजय बोरकर [रायफल पार्टी प्रभारी] ।
9. तत्कालीन प्रभारी आर.पी.एफ, भिलाई – 3
10. श्री प्रेमप्रकाश पांडे पूर्व विधायक भिलाई ।
11. सचिव उद्योग मंत्रालय, भोपाल ।
12. ब्रिजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक रायपुर ।
13. तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री कैलाश चंद्र जोशी ।
14. तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ।
15. तत्कालीन गृह मंत्री बाबूलाल गौर ।

दुर्ग
दिनांक :

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

// पावती पत्र //

विवरण, शपथपत्र पर दस्तावेज एवं साक्ष्य सूची प्रस्तुतकर्ता का नाम	प्रस्तुत विवरण शपथ पत्र, दस्तावेज सूची का विवरण तथा पक्षकारों का नाम	कार्यालय का विवरण जिसमें पेश किया गया है	उक्त विवरण आदि प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा प्राप्ति के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, अध्यक्ष, श्री जनक लाल ठाकुर, शहीद चौक, दल्ली राजहरा, दुर्ग	आवेदनपत्र उत्तर	जांच आयोग (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कार्यालय दुर्ग)	[signature] 25 भिलाई (दुर्ग) न्यायिक जांच आयोग

समक्ष श्रीमान भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग म.प्र.

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा अध्यक्ष श्री जनकलाल ठाकुर, पंजीकृत दफ्तर : शहीद चौक, दल्ली - राजहरा, दुर्ग

आवेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत ..... . जांच आयोग अधिनियम 1952

आवेदक श्रीमान के समक्ष सविनय निम्न प्रार्थना प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि आवेदक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (एतद्पश्चात "छ.मु.मो.") एक पंजिकृत राजनीतिक पार्टी है जिसका पंजिकृत कार्यालय, शहीद चौक, केम्प-1 दल्ली राजहरा, दुर्ग है । उक्त दल ने छत्तिसगढ़ के सताये गये जनता की स्थिति में परिवर्तन हेतु शांतिपूर्ण एंव प्रजा-तांत्रिक आंदोलन शुरू किया है जिसका शुरूआत अति विशेष जनवादी कार्यशैली के ख्याति प्राप्त हमारे प्रिय नेता स्व. कामरेड शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया था ।

(2) यह कि छ.मु.मो. विगत तीन सालों से भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानून लागू करवाने हेतु संघर्षरत है । यहाँ के उद्योगपति हजारों की तादाद में नियोजित ठेकेदारी मजदूरों के खून-पसीना से फले-फूले है ।

(3) यह कि उक्त संघर्ष ठेकेदारी मजदूरों की स्थिति सुधारने में [illegible] सहायक सिद्ध हुआ है लेकिन केडिया, बी.आर. जैन, मूलचन्द शाह खेतावत जैसे उद्योगपतियों को कदापी यह आंदोलन रास नही आया है ।

(4) यह कि हमारे आंदोलन को अभिध्वंस करने एंव जर्जरित करने की नियत से उक्त उद्योगपतियों द्वारा अपराधिक षडयंत्र तथा हत्या की राजनीति चला रखी है तथा दि. 28 सितम्बर 1991 को कामरेड

..2

शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दी ।

{5} यह कि आज तक पुलिस द्वारा इन अपराधियों के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही नही की है तथा मुख्य आरोपियों को हिरासत से बच निकलने दिया है ।

{6} यह कि उपरोक्त तथ्य एंव परिस्थियों के परिप्रेक्ष्य में, हत्या की संपूर्ण राजनीति को अनावृत करना न्यायहित में आवश्यक है ।

{7} यह कि एक जुलाई 1992 में 15 लोगों के शहादत के कारक उन तमाम तथ्य एंव परिस्थितियों को स्पष्ट करने हेतु आवेदक इच्छुक है । इसलिए ही छ.मु.मो. यह मांग करते आये है कि शासन को भिलाई गोली चालन का न्यायिक जांच करवाना चाहिए ।

{8} यह कि एक जुलाई 1992 को भिलाई में शांतिपूर्ण संघर्ष करने वाले कर्मचारी पर हुई बर्बर पुलिस गोली चालान समस्त देशवासियों के दिलोदिमाग को आघात पहुचांया था तथा देश के जनवादी विचार धारा वालों के दबाव के कारण ही शासन ने जांच आयोग बिठायी है ।

{9} यह कि एक साल की लम्बी अवधि तक जांच कार्यवाही शुरू नही होना दुर्भाग्यपूर्ण है । शहीदों की परिवारजन को समुचित क्षतिपूर्ति नही दी गयी है जबकि उक्त पुलिस गोली चालन में मृत पुलिस कर्मी के परिजनों को एक लाख रूपये बतौर क्षतिपूर्ति दी गयी ।

{10} यह कि शहिदों की माताएं तथा पत्नियां "शहिद परिवार" के नाम से संगठित होकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेशकर क्षतिपूर्ति के मामले में मार्ग निदेशक आदेश पारित करने की प्रार्थना की थी । उक्त याचिका पर आदेश देते हुए - देखिये आदेश दिनांक 7.4.93 रिट याचिका नं. 1007/93 में ...... माननीय उच्च न्यायालय ने इस आयोग को तत्काल अपनी कार्यवाही शुरू करने एंव जांच कार्यवाही जल्दी से जल्दी पूर्ण करने को कहा है । उक्त आदेश की प्रतिलिपि आबन्ध "अ" में सलंग्न है ।

{11} यह कि आवेदक मांग करता है कि उपरोक्त परिस्थिति में माननीय जांच आयोग दैनदिन बैठक लगवाकर कार्यवाही को त्वरित गति से सम्पन्न करे ।

{12} यह कि आवेदक तहेदिल से आयोग के साथ सहयोग करने के लिए इच्छुक है तथा सच्चाई तक पहुचने में आयोग की मदद करना चाहता है । मगर हमारा विश्वास है कि यदि जांच आयोग द्वारा जांच कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर नही होने से न्याय नही हो पायेगा ।

अतः उपरोक्त स्थिति में आवेदक माननीय से निवेदन करता है कि न्यायहित में जांच कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाने की कृपा करे ।

दिनांक 4/6/93

[signature]
आवेदक

समक्ष श्रीमान भिलाई {दुर्ग} गोली चालन जांच आयोग दुर्ग, म. प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम. आई. जी. 1/55 हुडको भिलाई
जिला - दुर्ग ...आवेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1952

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :-

1. यह कि यह आवेदन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है । छ. मु. मो. का पंजीकृत कार्यालय शहीद चौक, केम्प एक दल्लीराजहरा है ।

2. यह कि आवेदक सविनय निवेदन करता है कि भिलाई पुलिस गोली चालन से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियों को साबित करने हेतु कतिपय शासकीय दस्तावेज आवश्यक है ।

3. यह कि आवेदक को इस बात की डर है कि अब तक कई दस्तावेज नष्ट कर चुके होंगे या बिगाड़ चुके होंगे । अतः निवेदन है कि उक्त सभी दस्तावेजों को माननीय द्वारा तत्काल अधिगृहित करना अति आवश्यक है ।

4. यह कि आवेदक उक्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची संलग्न उपाबंध "अ" व "ब" में दी है ।

5. यह कि आवेदक का निवेदन है कि भिलाई गोली चालन { एक जुलाई 1992} से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को स्पष्ट करने हेतु कतिपय शासकीय अधिकारियों को आयोग के समक्ष बुलाना चाहिए । उक्त शासकीय गवाहों की सूची उपाबंध " स" में दी गई है ।

अतः निवेदन है कि उपाबंध में दर्शाये गये दस्तावेजों को तत्काल अधिगृहित करने तथा गवाही हेतु शासकीय अधिकारीयों को माननीय के समक्ष बुलाने बाबत आदेश पारित करने की कृपा करें ।

{ जनक लाल ठाकुर }
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

दुर्ग,
दिनांक

समक्ष श्रीमान भिलाई ﴾ दुर्ग ﴿ गोली चालन जांच आयोग दुर्ग ﴾म. प्र. ﴿

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम. आई. जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला - दुर्ग .

...आवेदक

आवेदक ने जिन दस्तावेजों को आयोग द्वारा अधिग्रहित करने हेतु आवेदन किया है उनकी सूची .

उपाबंध " अ "

1. निम्नलिखित थानाओं से पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई को दि. 01. 07. 92 को भेजे गये बेतार संदेश :-
﴾1﴿ थानाभिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग ।
﴾2﴿ थाना छावनी, जिला दुर्ग ।
﴾3﴿ थाना सुपेला, जिला दुर्ग ।
﴾4﴿ थाना दुर्ग, जिला दुर्ग ।
﴾5﴿ थाना नेवई, जिला दुर्ग ।
﴾6﴿ थाना उतई, जिला दुर्ग ।
﴾7﴿ थाना भिलाई - 3, जिला दुर्ग ।
2. दिनांक 01. 07. 92 को भिलाई पावर हाउस रेल्वे स्टेशन, रेल पटरी, जी. ई. रोड. तथा सिक्स ट्री एवन्यू एवं आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल को अधिनियोजित करने संबंधी दस्तावेज ।
3. दिनांक 25 मई से 8 जुलाई 1992 तक की कानून एवं व्यवस्था संबंधित पंजी जो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग से अधीन एवं कब्जे में है ।
4. दिनांक 01. 07. 92 को भिलाई में घटित गोली चालन की पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रतिवेदन ।
5. दिनांक 14. 06. 92 से 08. 07. 92 तक का निम्न थानाओं की रोज-नामचा :-
﴾1﴿ थाना जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग ।
﴾2﴿ थाना छावनी, भिलाई , जिला दुर्ग ।
﴾3﴿ थाना भिलाई भट्ठी, भिलाई जिला दुर्ग ।
﴾4﴿ थाना कोतवाली भिलाई, जिला दुर्ग
﴾5﴿ थाना दुर्ग , जिला दुर्ग ।

6. दिनांक 01.07.92 को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6, भिलाई से (1) कार्यालय संभागीय आयुक्त, रायपुर (2) गृह सचिव, भोपाल (3) थाना दुर्ग (4) थाना भिलाई भट्ठी (5) थानछावनी (6) उद्योग मंत्री, (7) श्रम मंत्री, (8) मुख्यमंत्री (9) डी.आई.जी. भिलाई क्षेत्र (10) डी.आई.जी. छत्तीसगढ़ क्षेत्र "रायपुर" को भेजा गया बेतार संदेश ।

7. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में पुलिस मानुवल 444 के तहत पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग द्वारा उच्चतर अधिकारियों को भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

8. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में पुलिस मानुवल 444 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

9. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में आयुक्त रायपुर संभाग द्वारा गृह सचिव भोपाल को भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

10. दिनांक 01.07.92 को भिलाई में गोली चालन का आदेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया तो उक्त मजिस्ट्रट की मूल रिपोर्ट ।

11. जिला प्रशासन द्वारा 25.05.92 से 08.07.92 तक की स्थिति के बारे में श्रम विभाग म.प्र. शासन को प्रेषित रिपोर्ट/संचार (संदेश) की मूल प्रति।

12. स्थल नक्शा (प्रश्नाधीन घटना स्थल)

13. पुलिस थाना की स्टाक पंजी की प्रति ।

14. राइफल बट क्रं. की जप्ती राप ।

15. अश्रु गैस देने और वापस लेने की प्रति ।

16. स्टाक पंजी से उपयोग में लाई गई अश्रु गैस से संबंधित आदेश ।

17. अश्रु गैस की व्यय की प्रति "एक्स" चिन्हित ।

18. रायफल और कारतूस की जप्ती ।

19. मस्केट की जब्ती का राप ।

20. कंपनी की शस्त्र स्टक पंजी की प्रति ।

21. कंपनी शस्त्र के दैनिक व्यय का पंजी की प्रति ।

22. कंपनी की गोला-बारूद पंजी की प्रति ।

23. कंपनी की दैनिक गोला-बारूद व्यय की पंजी की प्रति ।

... 4 पर

0

24. फायर क्रमांक 9583-5966-दो-बी-(एक) तारीख 23.10.92 संबंधी हिदायत ।

25. सचिव, भारत सरकार की रिपोर्ट प्रश्नाधीन घटना से संबंधित ।

26. भिलाई क्षेत्र में लागू कर्फ्यू आर्डर दिनांकित 01.07.92 की मूल प्रति ।

27. पंचनामा एवं फायरिंग से मृत लोगों की लाश जहां पाया गया उस स्थान की स्थल नक्शा ।

28. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्षति रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट-उपनिरीक्षक टी.के. सिंह से संबंधित ।

29. टी.के. सिंह जहां घायल हुए उस स्थान की स्थल रिपोर्ट तथा पंचनामा ।

30. टी.के. सिंह की हत्या से संबंधित अपराध प्रकरण (क्रमांक 186/92) की केस डायरी ।

31. दिनांक 01.07.92 के भिलाई पुलिस गोली कान्ड में घायल लोगों की मेडिकल रिपोर्ट, बेड रिपोर्ट डिस्चार्ज स्लीप, एक्स-रे रिपोर्ट आदि समेत, सेक्टर-9 बी.एस.पी. अस्पताल तथा शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग ।

32. भिलाई गोली काण्ड दिनांक 01.07.92 में मृत 16 व्यक्तियों के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ।

दुर्ग

दिनांक : जनक लाल ठाकुर

समक्ष श्रीमान भिलाई (दुर्ग) गोली चालन
जांच आयोग, दुर्ग (म. प्र.)

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी–एम. आई. जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला – दुर्ग ।

...आवेदक

उपाबन्ध "ब"

1. प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ टेडेसरा (राजनांदगांव), भिलाई एवं उरला (रायपुर) के औद्योगिक संस्थानों में श्रम कानून लागू करवाने हेतु उठाये औद्योगिक विवाद से संबंधित ए. एल. सी. रायपुर के समक्ष सुलह वार्ता दिनांक से तक की मिनिटस की मूल प्रति ।

2. उपरोक्त प्रश्नाधीन विवाद से संबंधित श्रम कानून आयुक्त इंदौर के समक्ष दिनांक से तक की मिनिटस की मूल प्रतियां ।

3. निम्न लिखित उद्योगपतियों के विरुद्ध श्रम विभाग श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में श्रम विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों की फाइलें ।

(1) सिम्पलेक्स ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज ।
(2) केडिया डिस्टलरी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी ।
(3) बी. ई. सी. उद्योग समूह, भिलाई, टेड़ेसरा ।
(4) बी. के. उद्योग समूह, भिलाई, टेड़ेसरा, उरला
(5) भिलाई वायर्स एवं खेतावत उरला ।

दुर्ग
दिनांक :

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

समक्ष श्रीमान भिलाई (दुर्ग) गोली चालन

जांच आयोग दुर्ग म.प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
निवासी-एम.आई.जी. 1/55 हुडको, भिलाई,
जिला - दुर्ग ।

... आवेदक

उपाबन्ध "स"

जांच आयोग के समक्ष गवाही लेने एवं दस्तावेज स्पष्टीकरण बाबत् जिन अधिकारियों एवं पूर्व मंत्रियों को आहूत करने आयोग से आवेदक द्वारा निवेदन किये गये है उन लोगों की सूची :-

1. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग जिला कलेक्टर श्री तोमर ।
2. प्रश्नाधीन घटना के समय के दुर्ग अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पाण्डे ।
3. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ।
4. तत्कालीन संभाग आयुक्त श्री ए.डी. मोहिले ।
5. तत्कालीन डी.आई.जी. श्री एन.के. दलोरिया ।
6. तत्कालीन कलेक्टर राजनांदगांव श्री श्रीवास्तव ।
7. तत्कालीन सेक्टर -6 कोतवाली थाना टी.आई. श्री राजेश तिवारी ।
8. तत्कालीन भट्ठी थानेदार टी.आई. श्री संजय बोरकर (रायफल पार्टी प्रभारी) ।
9. तत्कालीन प्रभारी आर.पी.एफ. भिलाई - 3
10. श्री प्रेमप्रकाश पांडे पूर्व विधायक भिलाई ।
11. सचिव उद्योग मंत्रालय, भोपाल ।
12. ब्रिजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक रायपुर ।
13. तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री कैलाश चंद्र जोशी ।
14. तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ।
15. तत्कालीन गृह मंत्री बाबूलाल गौर ।

दुर्ग

दिनांक :

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

समक्ष श्रीमान भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग, दुर्ग (म. प्र.)

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
निवासी-एम. आई. जी. 1/55, हुडको, भिलाई,
जिला - दुर्ग

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1957 वास्ते गवाहों को आहूत करने बावद् .

आवेदक की ओर से माननीय के समक्ष निम्न सविनय प्रार्थना प्रस्तुत है:-

1. यह कि यह आवेदन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है । छ. मु. मो. का पंजीकृत कार्यालय शहीद चौंक केम्प एक दल्लीराजहरा है ।
2. यह कि भिलाई में विगत तीन साल से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जारी मजदूर आंदोलन के दौरान अनेक विशेषज्ञ तथा माननीय लोगों ने भिलाई क्षेत्र में आकर यहां के औद्योगिक संबंध तथा विवाद के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है ।
3. यह कि उक्त लोगों ने विशेषकर वे परिस्थितियां पृष्ठभूमि और घटना-क्रम जिनकी परिणति एक जुलाई 1992 गोली चालन में हुई, का विश्लेषण एवं अध्ययन किया है ।
4. यह कि भिलाई पुलिस गोली चालन के संदर्भ में समुचित निष्कर्ष निकालने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति निवारण करने के लिए सुझाव देने के आयोग की अपनी जिम्मेदारी सार्थक रूप से निपटाने में उपाबन्ध "अ" तथा "ब" में दर्शाये गये व्यक्तियों का परीक्षण करना जरूरी है ।

अतः निवेदन है कि उक्त व्यक्तियों को परीक्षण हेतु आहूत करने का आदेश पारित करने की कृपा करें ।

दुर्ग
दिनांक: 09. 07. 93

आवेदक

जनक लाल ठाकुर

उपाबन्ध "अ"

1. श्री कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार ।
2. श्री डी. एस. तेवतिया, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय, । एवं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ।
3. श्री विजय तेंदुलकर, प्रसिद्ध रंगकर्मी ।
4. डा. अनिल सद्गोपाल, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता ।
5. श्री जार्ज फर्नांडिज़, सांसद ।.
6. श्री स्वामी अग्निवेश, बंधुवा मुक्ति मोर्चा ।
7. श्री राजेन्द्र सच्चर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट ।
8. सुश्री मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन ।
9. श्री राजू काने
10. श्री हरि ठाकुर
11. श्री डाक्टर रिछारिया
12. श्री सुरेन्द्र परिहार
13. श्री प्रो. कुशवाहा
14. श्री राजेन्द्र यादव, लेखक
15. श्री टॉम कोचेरी
16. सुश्री रजनी बक्शी, पत्रकार
17. श्री राकेश दीवान, सचिव एम. पी., पी. यू. सी. एल.

नोटः- ऊपर लिखे लोगों का पता, आवेदक शीघ्र ही आयोग के समक्ष पेश करेगा ।

उपाबन्ध "ब"

विशेषज्ञ :-

1. डा॰ चंदना मिश्रा

2. श्री अनिल चामुरिया

नोट :- ऊपर लिखे लोगों का पता, आवेदक शीघ्र ही आयोग के समक्ष पेश करेगा ।

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली काण्ड जाँच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य - 3 - आवेदकगण

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म.प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीयल एरिया भिलाई,
दुर्ग (म.प्र.) - अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व्य.प्र.सं. सहपठित धारा 4 जाँच आयोग अधिनियम 1952 ।

आवेदक निम्न प्रार्थना करता है :-

1. यह कि गोलीकाण्ड घटना के संबंध में आवेदकगणों ने शासन को कई महत्वपूर्ण शिकायतें भेजी है, और प्रपत्रों को शासन ने अपने जवाब के साथ प्रस्तुत नहीं किया है । पुलिस थानों में भी की गई रिपोर्टों को शासन ने श्रीमान के समक्ष पेश नहीं किया है । जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "अ" में दिया गया है ।

2. यह कि ये प्रपत्र घटना से सीधा एवं महत्वपूर्ण संबंध रखते है जिससे कि श्रीमान के समक्ष विवाद वस्तु तथा प्रसंग को प्रमाणित करते हुए रखा जा सके । श्रीमान को उक्त प्रपत्रों से प्रकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है । इस संबंध में निर्णय लेने में भी सुविधा होगा ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि शासन को आदेश दिया जावे कि सूची में दिये गये उन समस्त प्रपत्रों को प्रकट करें जो उनके आधिपत्य में है, या रह चुके हैं ।

दिनांक : 15.09.93 आवेदकगण

19/3/96

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जाँच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

गणेश राम चौधरी, आ. आशाराम चौधरी,
उम्र - 37 वर्ष, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
सी. एम. एम. कार्यालय दल्ली-राजहरा, जिला - दुर्ग,
मध्य-प्रदेश । - आवेदक

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म.प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग (म.प्र.) - अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र द्वारा साक्षी गणेश राम चौधरी पहले शासन की ओर से साक्ष्य शुरू करने का आदेश देने बाबद ।

आवेदक गणेश राम चौधरी निम्न प्रार्थना करता है :-

1. यह कि गोली चालन एवं उससे हुई मृत्यु तथा चोटें उचित थी, इसे प्रमाणित करने का भार शासन पर है । जब तक शासन अपने को निरपराध प्रमाणित न करें दे तब तक यह माना जायेगा कि गोलीकाण्ड में शासन पूर्ण रूप से दोषी है । यदि शासन अपना साक्ष्य शुरू में देने से इन्कार करते है तो यह माना जायेगा कि शासन दोषी है ।

2. यह कि शासन का पक्ष समाप्त होने के पश्चात ही मैं और अन्य साक्षीगण के पहले बयान लिये जावे उसके बाद प्रतिपरीक्षण किये जावे । शपथ पत्र जो मैंने पेश किया है, वह अपूर्ण है । इसलिए मैंने शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया है कि शपथपत्र को पूर्ण न माना जावें तथा इस संबंध में न्यायालय के सामने परीक्षण किया जावें ।

3. यह कि श्रीमान के समक्ष परीक्षण हुये बिना आवेदक अपना प्रति-परीक्षण करने तैयार नहीं है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि शासन को साक्ष्य शुरू करने का आदेश दिया जावें उसके साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात मेरा व हमारे अन्य साक्षियों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण किया जावें । यदि श्रीमान मेरी प्रार्थना से सहमत न हो तो मुझे इस संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दे कर मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जावें ।

दिनांक: 15.09.93

आवेदक

अधिवक्ता वास्ते आवेदक

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जाँच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य - 3 - आवेदकगण

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म.प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग (म.प्र.) - अनावेदकगण

दिनांक : 15 09. 93

आवेदन पत्र वास्ते शासन को साक्ष्य पेश किये जाने का आदेश दिये जाने बाबत् ।

आवेदक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से निम्न आवेदन प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत श्रीमान को भिलाई (दुर्ग) गोली चालन का जाँच आयोग नियुक्त किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न मुद्दों की जाँच करने और उसके संबंध में रिपोर्ट दिया जाना है —

(1) वे परिस्थितियां, पृष्ठभूमि और घटनाक्रम, जिनकी परिणति एक जुलाई 1992 को जिला दुर्ग के भिलाई पावरहाउस के रेलवे स्टेशन पर पुलिस गोली चालन में हुई,

(2) क्या पुलिस द्वारा किया गया गोली चालन न्याय संगत था,

(3) स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग किये गये बल की पर्याप्तता या अपर्याप्तता और,

(4) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए ऐसे अन्य विषय, जो जाँच से आनुषंगिक हों ।

2. इस संबंध में जिला प्रशासन ने अपने लिखित विवरण में यह बात स्वीकार की है कि शासन के पुलिस प्रशासन (विभाग) द्वारा दिनांक 01.07.1992 को गोली चलाई गई जिसमें 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उनमें से आठ आंदोलनकारी थी से और बाकी

गोलियों से घायल हो गये इस तथ्य को शासन ने स्वीकार किया है ।

3. शासन के पुलिस विभाग द्वारा गोली चलाया जाना, 15 व्यक्तियों की मृत्यु एवं लाठी एवं गोलियों से घायल अनेकों व्यक्तियों के घायल होने की बात जिला प्रशासन द्वारा अपने लिखित विवरण में स्वीकार किये जाने के कारण सर्वप्रथम शासन को यह बतलाना है कि किन परिस्थितियों में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्या गोली चलाना न्यायसंगत था और क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग उचित था आदि इसलिए जब तक शासन इस संबंध में श्रीमान के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक जनता व आंदोलनकारियों का साक्ष्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए । साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 से धारा 114 के अन्तर्गत भी सबूत का भार जिला प्रशासन को है । और इस प्रकार की घटनाओं में हमेशा गोली चलाने वाले पक्ष द्वारा ही साक्ष्य दी गई है —

(1) 12 सितम्बर 1984 को राजनांदगांव में हुए गोली चालन में श्री डी.पी. पाण्डेय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकल आयोग नियुक्त किये गये थे ।

(2) 3 जून को दल्लीराजहरा (दुर्ग) में हुए गोली चालन के संबंध में श्री एस.ए. रज्जाक, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायाल-धीश मध्यप्रदेश को एकल आयोग नियुक्त किया गया था ।

इन दोनों में भी शासन की ओर से साक्षियों का बयान पहले लिया गया था और उसके पश्चात जनप्रतिनिधि अर्थात जनता एवं आंदोलनकारियों का साक्ष्य लिया गया ।

4. यह कि गोली चालन के संबंध में परिस्थितियों और सबूत का संपूर्ण भार जिला प्रशासन पर है और उन्हीं का साक्ष्य पहले शुरू किया जाना चाहिए ।

5. यह कि श्रीमान ने जिला प्रशासन का साक्ष्य शुरू न कर दूसरे पक्ष का साक्ष्य सर्वप्रथम लेने का आदेश दिया है जो कि आवेदकगणों के मत से विधिविपरीत है । इस संबंध में ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1459 तथा ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 409 विधि निर्णय पर ध्यान दिया जाना उचित होगा ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जिला प्रशासन (शासन की ओर से) को पहले अपने साक्ष्य शुरू करने का निर्देश देने की कृपा करें ।

समक्ष भिलाई (दुर्ग) औद्योगिक शासन जाँच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य – 3 – आवेदकगण

: विरुद्ध :

1. मध्य प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म.प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीज एरिया भिलाई,
दुर्ग (म.प्र.) – अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 व्यव.प्र.सं. सहपठित धारा 4 जाँच आयोग अधिनियम 1952 वास्ते प्रश्न प्रस्तुत कराने हेतु आवेदन पत्र ।

आवेदकगण निम्न प्रार्थना करते है :-

1. यह कि आवेदकगण ने प्रश्नों की अपनी सूची में जिन पर वे भरोसा करते है और व उन प्रश्नों को शासन के विभिन्न पदाधिकारियों को भेजा है, जो अनावेदक (शासन) के कब्जे में है उन्हें इस जाँच के संदर्भ में प्रस्तुत कराना आवश्यक है जिससे कि आवेदकगण प्रभावपूर्ण ढंग से अपने मामले की पैरवी कर सकें । प्रश्नों की सूची जो शासन से पेश कराना है आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सूची में दिये गये प्रश्नों को प्रस्तुत करने का आदेश अनावेदक (शासन) को देने की कृपा करें ।

दिनांक : 15.09.93

आवेदकगण

अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

समक्ष भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जांच आयोग दुर्ग [म. प्र.]

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य - 3 - आवेदकगण

: विरुद्ध :

1. मध्य-प्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग [म. प्र.]

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन,
61, इंडस्ट्रीयल एरिया भिलाई,
दुर्ग [म. प्र.] - अनावेदकगण

दिनांक 15.09.93

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 8 जांच आयोग अधिनियम 1952 एवं शपथ-पत्र के संबंध में :-

आवेदकगण निम्न प्रार्थना करते है :-

1. यह कि श्रीमान ने इस जांच में आवेदकों के शपथ-पत्र पर प्रति-परीक्षण करने का आदेश दिया है और जिसका अर्थ यह हुआ कि श्रीमान के समक्ष साक्षियों के बयान नहीं लिए जायेंगे।

2. यह कि शपथ-पत्र में कई प्रासंगिक तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है, और शपथकर्ता ने सम्पूर्ण घटना के बारे में अपने शपथपत्रों में उल्लेख नहीं किया है। कुछ शपथ पत्र तो अत्यंत छोटे और अपने आप में बहुत अपूर्ण है। शपथकर्ता ने अपने शपथपत्र में यह स्पष्ट प्रार्थना की है कि उनके द्वारा दिये गये शपथपत्र में संपूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया गया है और उन्होंने यह भी प्रार्थना किया है कि वे आयोग के समक्ष पूर्ण विवरण सहित, अपना बयान देना चाहते हैं, जिससे विरुद्ध पक्ष प्रतिपरीक्षण कर सकते हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि शपथकर्ताओं को मुख्य परीक्षण न माना जावें क्योंकि वे अधिकांश एवं महत्व पूर्ण तथ्यों में अपूर्ण है, इसलिए आपके समक्ष साक्षियों को परीक्षण एवं प्रति-
[illegible]

समक्ष भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एवं अन्य – 3 ... आवेदकगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा जिलाधीश दुर्ग (म.प्र.)

2. अध्यक्ष/सचिव,
भिलाई इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
61, इण्डस्ट्रियल एरिया भिलाई,
दुर्ग (म.प्र.) ... अनावेदकगण

दिनांक 17.09.93

आवेदन पत्र वास्ते आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु ।

प्रार्थी आवेदक निम्न प्रार्थना करता है :-

1. यह कि गोली चालन में जिन संघ पर भी पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई और उनके सदस्यों को शारीरिक चोटें आई कुछ श्रमिक इन संघों के मौत के घाट भी उतार दिये गये ।

2. यह कि अधिकतः मुख्यतः इन श्रमिक संघों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो निम्न प्रकार है :-

 i. छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ दल्ली-राजहरा तहसील बालोद जिला दुर्ग म.प्र. ।

 ii. प्रगतिशील सीमेन्ट श्रमिक संघ भिलाई जिला दुर्ग (म.प्र.)

3. यह कि उपरोक्त संघों का घटना से सीधा संबंध है जिनके सदस्य मर गये और शारीरिक चोटों से आज तक पीड़ित है ।

4. यह कि न्याय व सत्य की दृष्टि से इनको पक्षकार बनाना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि गरीब श्रमिकों के प्रति उचित न्याय देने में सुविधा होगी ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त श्रमिक संघों को पक्षकार बनाया जाय और इनको रजिस्ट्री डाक से नोटिस जारी किया जावे ।

दिनांक :
17.09.93

आवेदक
जनक लाल ठाकुर

अधिवक्ता वास्ते
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

// पावती पत्र //

विवरण, शपथपत्र पर दस्तावेज एवं साक्ष्य सूची प्रस्तुतकर्ता का नाम	प्रस्तुत विवरण शपथ पत्र, दस्तावेज सूची का विवरण तथा पक्षकारों का नाम	कार्यालय का विवरण जिसमे पेश किया गया है	उक्त विवरण आदि प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा प्राप्ति के दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
श्री जगत लाल ढांढा अधिवक्ता छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, MIG-1/51 हुडको भिलाई	उत्तर आपत्ति धारा 6 जांच आयोग अधिनियम	जांच आयोग, (कार्यालय [illegible] [illegible]) दुर्ग	[signature] लिपिक [illegible] जांच आयोग

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जांच आयोग, दुर्ग [म. प्र.]

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
निवासी-एम. आई. जी. 1/55, हुडको, भिलाई,
जिला - दुर्ग

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1957 वास्ते गवाहों को आहूत करने बावद् .

आवेदक की ओर से माननीय के समक्ष निम्न सविनय प्रार्थना प्रस्तुत है:-

1. यह कि यह आवेदन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है । छ.मु.मो. का पंजीकृत कार्यालय शहीद चौक केम्प एक दल्लीराजहरा है ।

2. यह कि भिलाई मेंविगत तीन साल से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जारी मजदूर आंदोलन के दौरान अनेक विशेषज्ञ तथा माननीय लोगों ने भिलाई क्षेत्र में आकर यहां के औद्योगिक संबंध तथा विवाद के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है ।

3. यह कि उक्त लोगों ने विशेषकर वे परिस्थितियां पृष्ठभूमि और घटना-क्रम जिनकी परिणति एक जुलाई 1992 गोली चालन में हुइ, का विश्लेषण एवं अध्ययन किया है ।

4. यह कि भिलाई पुलिस गोली चालन के संदर्भ में समुचित निष्कर्ष निकालने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति निवारण करने के लिए सुझाव देने के आयोग की अपनी जिम्मेदारी सम्यक रूप से निपटाने में उपाबन्ध "अ" तथा "ब" में दर्शाये गये व्यक्तियों का परीक्षण करना जरूरी है ।

अतः निवेदन है कि उक्त व्यक्तियों को परीक्षण हेतु आहूत करने का आदेश पारीत करने की कृपा करें ।

दुर्ग
दिनांक: 09.07.93

आवेदक

जनक लाल ठाकुर

उपाबन्ध "अ"

1. श्री कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार ।
2. श्री डी. एस. तेवरिया, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय, एवं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ।
3. श्री विजय तेंदुलकर, प्रसिद्ध रंगकर्मी ।
4. डा. अनिल सदगोपाल, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता ।
5. श्री जार्ज फर्नांडिज़, सांसद ।
6. श्री स्वामी व अग्निवेश, बंधुआ मुक्ति मोर्चा ।
7. श्री राजेन्द्र सच्चर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट ।
8. सुश्री मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन ।
9. श्री राजू काने
10. श्री हरि ठाकुर
11. श्री डाक्टर रिछारिया
12. श्री सुरेन्द्र परिहार
13. श्री प्रो. कुशवाहा
14. श्री राजेन्द्र यादव, लेखक
15. श्री टॉम कोचेरी
16. सुश्री रजनी बक्शी, पत्रकार
17. श्री राकेश दीवान, सचिव एम. पी., पी. यू. सी. एल.

नोट:- ऊपर लिखे लोगों का पता, आवेदक शीघ्र ही आयोग के समक्ष पेश करेगा ।

उपाबन्ध " ब "

विशेषज्ञ :-

1. डा. चंदना मिश्रा

2. श्री अनिल चामुरिया

नोट :- ऊपर लिखे लोगों का पता, आवेदक शीघ्र ही आयोग के समक्ष पेश करेगा ।

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जाँच आयोग दुर्ग, म. प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम. आई. जी. 1/55 हुडको भिलाई
जिला - दुर्ग ...आवेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 4 जांच आयोग अधिनियम 1952

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :-

1. यह कि यह आवेदन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से उसके अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है। छ. मु. मो. का पंजीकृत कार्यालय शहीद चौक, कैम्प एक दल्लीराजहरा है।

2. यह कि आवेदक सविनय निवेदन करता है कि भिलाई पुलिस गोली चालन से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियों को साबित करने हेतु कतिपय शासकीय दस्तावेज आवश्यक है।

3. यह कि आवेदक को इस बात की डर है कि अब तक कई दस्तावेज नष्ट कर चुके होंगे या बिगाड़ चुके होंगे। अतः निवेदन है कि उक्त सभी दस्तावेजों को माननीय द्वारा तत्काल अधिग्रहित करना अति आवश्यक है।

4. यह कि आवेदक उक्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची संलग्न उपाबंध "अ" व "ब" में दी है।

5. यह कि आवेदक का निवेदन है कि भिलाई गोली चालन [1 जुलाई 1992] से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को स्पष्ट करने हेतु कतिपय शासकीय अधिकारियों को आयोग के समक्ष बुलाना चाहिए। उक्त शासकीय गवाहों की सूची उपाबंध " स" में दी गई है।

अतः निवेदन है कि उपाबंध में दर्शाये गये दस्तावेजों को तत्काल अधिग्रहित करने तथा गवाही हेतु शासकीय अधिकारीयों को माननीय के समक्ष बुलाने बाबत आदेश पारित करने की कृपा करें।

[जनक लाल ठाकुर]
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

दुर्ग,
दिनांक

समक्ष श्रीमान भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी, एम. आई. जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला - दुर्ग .

...आवेदक

आवेदक ने जिन दस्तावेजों को आयोग द्वारा अधिग्रहित करने हेतु आवेदन किया है उनकी सूची .

उपाबंध " अ "

1. निम्नलिखित थानाओं से पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई को दि. 01. 07. 92 को भेजे गये बेतार संदेश :-
   (1) थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग ।
   (2) थाना छावनी, जिला दुर्ग ।
   (3) थाना सुपेला, जिला दुर्ग ।
   (4) थाना दुर्ग, जिला दुर्ग ।
   (5) थाना नेवई, जिला दुर्ग ।
   (6) थाना उतई, जिला दुर्ग ।
   (7) थाना भिलाई - 3, जिला दुर्ग ।
2. दिनांक 01.07.92 को भिलाई पावर हाउस रेल्वे स्टेशन, रेल पटरी, जी. ई. रोड. तथा सिविक ट्री एवन्यू एवं आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल को अधिनियोजित करने संबंधी दस्तावेज ।
3. दिनांक 25 मई से 8 जुलाई 1992 तक की कानून एवं व्यवस्था संबंधित पंजी जो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग के अधीन एवं कब्जे में है ।
4. दिनांक 01.07.92 को भिलाई में घटित गोली चालन की पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रतिवेदन ।
5. दिनांक 14.06.92 से 08.07.92 तक का निम्न थानाओं की रोजनामचा :-
   (1) थाना जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग ।
   (2) थाना छावनी, भिलाई , जिला दुर्ग ।
   (3) थाना भिलाई भट्ठी, भिलाई जिला दुर्ग ।
   (4) थाना कोतवाली भिलाई, जिला दुर्ग
   (5) थाना दुर्ग , जिला दुर्ग ।

6. दिनांक 01.07.92 को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6, भिलाई से [1] कार्यालय संभागीय आयुक्त, रायपुर [2] गृह सचिव, भोपाल [3] थाना दुर्ग [4] थाना भिलाई भट्ठी [5] थानाछावनी [6] उद्योग मंत्री, [7] श्रम मंत्री, [8] मुख्यमंत्री [9] डी.आई.जी. भिलाई क्षेत्र [10] डी.आई.जी. छत्तीसगढ़ क्षेत्र "रायपुर" को भेजा गया बेतार संदेश ।

7. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में पुलिस मानुवल 444 के तहत पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग द्वारा उच्चतर अधिकारियों को भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

8. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में पुलिस मानुवल 444 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

9. प्रश्नाधीन घटना के संबंध में आयुक्त रायपुर संभाग द्वारा गृह सचिव भोपाल को भेजी गई मूल रिपोर्ट ।

10. दिनांक 01.07.92 को भिलाई में गोली चालन का आदेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया तो उक्त मजिस्ट्रेट की मूल रिपोर्ट ।

11. जिला प्रशासन द्वारा 25.05.92 से 08.07.92 तक की स्थिति के बारे में श्रम विभाग म.प्र. शासन को प्रेषित रिपोर्ट/संचार [संदेश] की मूल प्रति

12. स्थल नक्शा [प्रश्नाधीन घटना स्थल]

13. पुलिस थाना की स्टाक पंजी की प्रति ।

14. राइफल बट क्र. की जप्ती नाप ।

15. अश्रु गैस देने और वापस लेने की प्रति ।

16. स्टाक पंजी से उपयोग में लाई गई अश्रु गैस से संबंधित आदेश ।

17. अश्रु गैस की व्यय की प्रति "इक्स " चिन्हित ।

18. रायफल और कारतूस की जप्ती ।

19. मस्केट की जप्ती का नाप ।

20. कंपनी की शस्त्र स्टक पंजी की प्रति ।

21. कंपनी शस्त्र के दैनिक व्यय का पंजी की प्रति ।

22. कंपनी की गोला-बारूद पंजी की प्रति ।

23. कंपनी की दैनिक गोला-बारूद व्यय की पंजी की प्रति ।

... 4 पर

9

24. फायर क्रमांक 9583-5966-दो-वी-[एक] तारीख 23.10.92 संबंधी हिदायत ।

25. सचिव, भारत सरकार की रिपोर्ट प्रश्नाधीन घटना से संबंधित ।

26. भिलाई क्षेत्र में लागू कर्फ्यू आर्डर दिनांकित 01.07.92 की मूल प्रति ।

27. पंचनामा एवं फायरिंग से मृत लोगों की लाश जहां पाया गया उस स्थान की स्थल नक्शा ।

28. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्षति रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट-उपनिरीक्षक टी. के. सिंह से संबंधित ।

29. टी. के. सिंह जहां घायल हुए उस स्थान की स्थल रिपोर्ट तथा पंचनामा ।

30. टी. के. सिंह की हत्या से संबंधित अपराध प्रकरण[क्रमांक 186/92] की केस डायरी ।

31. दिनांक 01.07.92 के भिलाई पुलिस गोली काण्ड में घायल लोगों की मेडिकल रिपोर्ट, बेड रिपोर्ट डिस्चार्ज स्लीप, एक्स-रे रिपोर्ट आदि समेत, सेक्टर-9 बी. एस. पी. अस्पताल तथा शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग ।

32. भिलाई गोली काण्ड दिनांक 01.07.92 में मृत 16 व्यक्तियों के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ।

दुर्ग

दिनांक :

जनक लाल ठाकुर

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन
जाँच आयोग, दुर्ग [म. प्र.]

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
निवासी–एम. आई. जी. 1/55 हुडको, भिलाई
जिला – दुर्ग।

...आवेदक

उपाबन्ध "ब"

1. प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ टेडेसरा [राजनांदगांव], भिलाई एवं उरला [रायपुर] के औद्योगिक संस्थानों में श्रम कानून लागू करवाने हेतु उठाये औद्योगिक विवाद से संबंधित ए. एल. सी. रायपुर के समक्ष सुलह वार्ता दिनांक से तक की मिनिटस की मूल प्रति।

2. उपरोक्त प्रश्नाधीन विवाद से संबंधित श्रम कानून आयुक्त इंदौर के समक्ष दिनांक से तक की मिनिटस की मूल प्रतियां।

3. निम्न लिखित उद्योगपतियों के विरुद्ध श्रम विभाग श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में श्रम विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों की फाइलें।

[1] सिम्पलेक्स ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज।
[2] केडिया डिस्टलरी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी।
[3] बी. ई. सी. उद्योग समूह, भिलाई, टेडेसरा।
[4] बी. के. उद्योग समूह, भिलाई, टेडेसरा, उरला
[5] भिलाई वायर्स एवं केडायत उरला।

दुर्ग
दिनांक :

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति म
आवेदक

समक्ष श्रीमान भिलाई [दुर्ग] गोली चालन
जांच आयोग दुर्ग म. प्र.

श्री जनक लाल ठाकुर,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
निवासी-एम. आई. जी. 1/55 हुडको, भिलाई ,
जिला - दुर्ग ।

... आवेदक

उपाबन्ध "स"

जांच आयोग के समक्ष गवाही देने एवं दस्तावेज स्पष्टीकरण बाबत् जिन अधिकारीयों एवं पूर्व मंत्रियों को आहूत करने आयोग से आवेदक द्वारा निवेदन किये गये हैं उन लोगों की सूची :-

1. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग जिला कलेक्टर श्री तोमर ।
2. प्रश्नाधीन घटना के समय के दुर्ग अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पाण्डे ।
3. प्रश्नाधीन घटना समय के दुर्ग पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ।
4. तत्कालीन संभाग आयुक्त श्री ए.डी. मोहिले ।
5. तत्कालीन डी. आई. जी. श्री एन. के. दलोरिया ।
6. तत्कालीन कलेक्टर राजनांदगांव श्री श्रीवास्तव ।
7. तत्कालीन सेक्टर -6 कोतवाली थाना टी. आई. श्री राजेश तिवारी ।
8. तत्कालीन मदठी थानेदार टी. आई. श्री संजय बोरकर [रायफल पार्टी प्रभारी] ।
9. तत्कालीन प्रभारी आर. पी. एफ. भिलाई - 3
10. श्री प्रेमप्रकाश पांडे पूर्व विधायक भिलाई ।
11. सचिव उद्योग मंत्रालय, भोपाल ।
12. ब्रिजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक रायपुर ।
13. तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री कैलाश चंद्र जोशी ।
14. तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ।
15. तत्कालीन गृह मंत्री बाबूलाल गौर ।

दुर्ग
दिनांक :

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आवेदक

BEFORE THE BHILAI (DURG) FIRING INQUIRY COMMISSION DURG M.P.

List of Citation's given by Chhattisgarh Mukti Morcha

B **Bhilai Durg M.P.**

I. **Regarding procedure to be followed and object of inquiry :-**

1. **AIR1973 Bombay page 171 (DB).**

Sarjerao Kondiba Sagar. Petitioner

Vrs.

P.G. Karnik and others.... Opponents.

Commission of Inquiry Act 1952. Ss. 3 and 8 -- Appointment of Commission to inquire into incident of violence and justifiability of police firing -- Procedure to be followed by the Commissioner.

2. **AIR 1969 Supreme Court Page 215. (F.B.).**

P.V.Jagannath Rao and others, ... Appellants.

Vrs.

State Orissa and others. ... Respondents.

Commissions of Inquiry Act (1952), Section 3-- Object of enquiry to take appropriate legislative and administrative and measures to maintain purity and integrity of political administration -- It is valid exercise of power.

3. **AIR 1988 Supreme Court Page 2252.(F.B.)**

Kiran Bedi ... Petitioner.

vrs.

Committee of Inquiry and another. ... Respondents.

With

Jinder Singh.Petitioner

Vrs.

Committee of others. ... Respondents.

Commissions of Inquiry Act (60 of 1952), Ss.8-B

...P/2.

12,8 - Commission of Inquiry (Central) Rules (1972), R.5(5)(a) - Committee constituted to enquere into certain incidents at Delhi - Delhi Administration must examine first all its witnesses as required by R.5(5)(a). (Para 2)

4. AIR 1990 Supreme Court page 1459. (F.B.)

Vijayee Singh and others. ... Appellants.
Vrs.
State of U.P. ... Respondent.

Evidence Act (1872), Ss.105, 3, 101-104 - Case of accused whether comes within exceptions - Burden lies onhim to prove - Gets discharged if probability is proved or reasonble doubt about prosecution case is raised.

5. AIR 1983 Andhra Pradesh Page 69. (D.B.)

Md. Ibrahim Khan. ... Petitioner.
Vrs.
Susheel Kumar and other another. ... Respondent.

Only when a witness is examined viva voce before the Commission the right to cross-examine that witness accrues under Section 8C to the person likely to be prejudicially affected No such right arises when evidence is given on affidavits. Case law discussed. (Para 47).

II. Regarding inspection of the documents.

1. AIR 1968 Rajasthan Page 77. (DB)

State of Rajasthan. ... Petitioner.
Vrs
Hon. Mr. Justice B.P. Beri and others... Respondents.

Constitution of India, Art. 226 - Commissions of Inquiry Act (1952), S.4 - Error apparent on face of record - Order of Commission of Enquiry granting permission to inspect certain documents in presence of officer deputed for purpose. (Para 2)

2. AIR 1960 Punjab page 86. (D.B.)

M/s. Allen berry and Co. Private Ltd. and another.
... Petitioners.

Vrs.

Vivian Rose, and others. ... Respondents.

Commissions of Inquiry Act (1952), S. 4 - Procedure regarding inspection of documents.

III. Regarding production of Case diary and other documentsshown in Schedules A & B of the application dt. 10.3.93.

AIR 1965 Jammu and Kashmir Page 75 (F.B.)

State of Jammu and Kashmir, ... Applicant.

Vrs.

Anwar Ahmed aftab and others. ... Respondents.

Jammu and Kashmir Commission of Inquiry Act (32 of 1962), S. 4,5(1) and 5(2)- production of documents- Commission has unfettered powers in asking for production of documents-Privilege under S.123, Evidence Act cannot be claimed unless S.5(2) is made applicable. (Paras 5 and 6)

IV. Regarding necessary parties :-

Commission of Inquiry Act. S. 8 concerned parties to be heard ILR(1968) 2 Mad. Page 168.

P. C. KANKARIA
ADVOCATE

Advocate for
Chhattisgarh Mukti Morcha

समक्ष माननीय दुर्ग - भिलाई, जाँच आयोग

विषय :- जाँच आयोग के समक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री (म0 प्र0 सरकार) सुन्दरलाल पटवा को अदालती गवाह के रूप में तलब करने बाबद् ।

महोदय,

निवेदन है कि -

1. यह कि इस माननीय जाँच आयोग के समक्ष जाँच का प्रथम बिन्दु 01.07.1992 के बर्बर गोली चालन की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे में है । दुर्ग-भिलाई अंचल के श्रमिक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबंधित ट्रेड यूनियनों के बैनर तले अपने उद्योगों-कारखानों में श्रम-कानूनों को लागू करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे ।

2. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों का गठबंधन भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के रूप में सक्रिय है, जिसका चैयरमेन बी. आर. जैन बहुचर्चित हवाला काण्ड के मुख्य अभियुक्तों में है । कि इस गठबंधन के विभिन्न आर्थिक एवं अन्य खूनी अपराध उजागर होते जा रहे हैं । देश के अग्रतम ट्रेड यूनियन नेता का. शंकरगुहा नियोगी की हत्या में इन उद्योगपतियों का हाथ सी. बी. आई. जाँच से उजागर हो चुका है ।

3. यह कि 27 जनवरी 1992 को बी. आर. जैन, कैलाशपति केडिया, मूलचन्द शाह के नेतृत्व में कुख्यात भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसियेशन ने दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर जुलूस निकाला, उस प्रदर्शन में उन्होंने छ0 मु0 मो0 एवं उससे संबंधित ट्रेड-यूनियनों को निपटने के अपने अपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी तंत्र को अपने निजी तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने के दुराग्रह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जो कि स्पष्टत: हवाला धन के प्रभाव में उठाया गया कदम था ।

4. यह कि भिलाई में छ0मु0मो0 संबंधित ट्रेड-यूनियनों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुन्दरलाल पटवा ने भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के पक्ष में जिला प्रशासन का 1990 से लेकर 1992 तक अनेकों बार इस्तेमाल करने के तथ्य सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं ।

5. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में राष्ट्रपति से मिल कर लौटते हुए जब श्री शंकरगुहा नियोगी ने भोपाल में सुन्दरलाल पटवा से मिलने का प्रयास किया तो सुन्दरलाल पटवा ने मिलने से ह भी इन्कार कर दिया था ।

6. इसके सप्ताह भर बाद भिलाई इंडस्ट्रीज़ एसोसियेशन के उद्योगपतियों ने नियोगी जी की हत्या करवा दी ।

7. 01.07.1992 को भिलाई पुलिस कन्ट्रोल रूम लगातार भोपाल से सम्पर्क बनाए हुआ था ।

8. यह कि 03.07.1992 को भिलाई में सुन्दरलाल पटवा ने स्वीकार किया कि भिलाई के उद्योगपति श्रम-कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं । परन्तु मेरे पास कानून नहीं है, जिसके द्वारा उन्हें कानून का पालन करवा सकूँ ।

9. अतः अनुरोध है कि सत्य की तह तक पहुँचने के लिए सुन्दरलाल पटवा को अदालती गवाह के रूप में समन किया जाय ।

दुर्ग,

दिनांक

आवेदक

(जनकलाल ठाकुर)

समक्ष माननीय दुर्ग भिलाई जाँच आयोग

विषय :— जाँच आयोग के समक्ष तत्कालीन उद्योगमंत्री, म0 प्र0 सरकार, श्री कैलाश जोशी को अदालती गवाह के रूप में समन करने बाबत्

महोदय,

निवेदन है :—

1. यह कि इस माननीय जाँच आयोग के समक्ष जाँच का प्रथम बिन्दु 01.07.92 के बर्बर गोली चालन की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे में हैं । दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबंधित ट्रेड यूनियनों के बैनर तले अपने उद्योगों–कारखानों में श्रम–कानूनों को लागू करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे ।

2. यह कि भिलाई के उद्योगपतियों का गठबंधन भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रूप में सक्रिय है, जिसका चेयरमैन बी.आर.जैन बहुचर्चित हवाला काण्ड के मुख्य अभियुक्तों में है । कि इस गठबंधन के विभिन्न आर्थिक एवं अन्य खूनी अपराध उजागर होते जा रहे हैं । देश के अग्रतम ट्रेड–यूनियन नेता का. शंकर गुहा नियोगी की हत्या में इन उद्योगपतियों का हाथ सी.बी.आई. जाँच में उजागर हो चुका है ।

3. यह कि 27 जनवरी 1992 को बी.आर.जैन, कैलाशपति केडिया, मूलचंद शाह के नेतृत्व में कुख्यात भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसियेशन ने दुर्ग भिलाई की सड़कों पर जुलूस निकाला उस प्रदर्शन में उन्होंने छ0 मु0 मो0 एवं उससे संबंधित ट्रेड यूनियनों को निपटने के अपने अपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी तंत्र को अपने निजी यंत्र के रूप में इस्तेमाल करने के दुराग्रह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जो कि स्पष्टतः हवाला धन के प्रभाव में उठाया गया कदम था ।

4. यह कि दिनांक .24-02-96. के सी.बी.आई. ने हवाला प्रकरण के तत्कालीन उद्योगमंत्री श्री कैलाश जोशी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसके अनुसार बी. आर. जैन से कैलाश जोशी ने .... रूपये प्राप्त कर लाभ पहुँचाया

5. यह कि 22 मई 1992 से 1 जुलाई 1992 को गोलीकाण्ड के दिन तक राज्य सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में कैलाश जोशी सक्रिय रूप से भिलाई औद्योगिक विवाद, उससे उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था के प्रश्न तथा उसके समाधान की प्रक्रिया के इंचार्ज बने हुए थे, एवं उस प्रकार घटनाक्रम से पूरी तरह से जुड़े हुए थे ।

6. 1 जुलाई 1992 के दिन भी भिलाई पुलिस कन्ट्रोल रूम भोपाल से सम्पर्क बनाए हुआ था ।

7. इस प्रकार प्रथम दृष्टया कैलाश जोशी एवं राज्य सरकार द्वारा हवाला धन के कुप्रभाव में 1 जुलाई 1992 को बर्बर गोली चालन का मामला बनता है । अतः निवेदन है कि सत्य की तह तक पहुंचने के लिए कैलाश जोशी को अदालती गवाह के रूप में समन किया जाय ।

दुर्ग,

दिनांक

(signature)

आवेदक
(जनकलाल ठाकुर)

समक्ष माननीय जाँच आयोग, भिलाई (दुर्ग) गोलीकाण्ड, दुर्ग

विषय :-- 01.07.92 के बर्बर पुलिस गोली चालन के जाँच आयोग में सत्य की तह तक पहुंचने के लिए तत्कालीन कमिश्नर, डी.आई.जी. एवं आई.जी. (भिलाई रेंज) को अदालती गवाह बनाने हेतु ।

महोदय,

निवेदन है :-

1. इस माननीय जाँच आयोग को 01.07.92 के बर्बर पुलिस गोली चालन के घटना क्रम एवं परिस्थितियों के संदर्भ में सत्य की तह तक पहुंचने का कार्य सौंपा गया है । इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी जिम्मेदार अधिकारीगण जो घटनाक्रम पर महत्वपूर्ण रोशनी डाल सकते हैं, कि बयान कलम बन्द किये जाएं ।

2. यह कि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारीगण, ए०डी०मोहिले कमिश्नर (रायपुर संभाग) आई.जी. (भिलाई रेंज) एवं डी.आई.जी., न केवल 01.07.92 के दिन विभिन्न निर्णयों के सीधे तौर पर जुड़े थे अपितु 01.07.1992 के पूर्व श्रमिकों एवं उद्योगपतियों की म समझौता वार्ताओं में भी जुड़े हुए थे । अतः इसलिए सत्य की तह तक पहुंचने के लिए कमिश्नर, आई.जी., डी.आई.जी. के बयान होना अतिआवश्यक है । अतः निवेदन है कि उन्हें अदालती गवाह के रूप में प्रस्तुत कराया जाय ।

3. यह कि तत्कालीन कमिश्नर (रायपुर संभाग) श्री ए०डी०मोहिले 01.07.1992 को पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में उपस्थित था । पूरी परिस्थिति के नियंत्रण करने वाले सबसे बड़े अधिकारी थे । आयोग के समक्ष तत्कालीन जिलाधीश - पी० एस० तोमर के बयान में भी यह बात आई है कि कमिश्नर - ए० डी० मोहिले ने ही छ० मु० मो० के प्रतिनिधि मण्डल से अंतिम चर्चाएं की थी अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के शपथ-पत्र में भी यह बात आई है । 25.06.1992 से 01.07.1992 तक चलने वाले पड़ाव "सत्याग्रह" के पूर्व की घटनाओं एवं परिस्थितियों पर से वे रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जनवरी 1992 समेत अनेक

समझौता वार्ताओं की अध्यक्षता की थी । जनवरी 1992 के औद्योगिक विवाद के हल के लिए एक समझौता तैयार किया [illegible] था, जो भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन [illegible] में उसी [illegible] लागू किया जाना था । परन्तु हवाला अभियुक्त श्री0 आर0 सुरेन्द्र जैन की इस कम्पनी ने समझौते को लागू करने से इंकार दिया ।

4. अतः निवेदन है कि कमिश्नर एस0 डी0 मोहिले को अदालती गवाह के रूप में अदालत में समन किया जाय ।

5. यह कि डी. आई. जी. पुलिस श्री एन0 के0 धरौलिया भी [illegible] 1. 0[illegible] को निरन्तर भिलाई पुलिस कन्ट्रोल रूम में मौजूद थे, और पावर हाउस रेलवे पटरी पर मौजूद, विभिन्न स्थानों एवं महकमों से बुलाए गए पुलिस बल के कमान्डिंग अफसर थे । इस प्रकार सत्य की तह तक पहुंचने के लिए तत्कालीन डी. आई. जी. धरौलिया का साक्ष्य अति आवश्यक है, एवं निवेदन है कि उन्हें अदालती गवाह के रूप में समन किया जाय ।

6. यह कि आई. जी. पुलिस [illegible] भिलाई रेंज [illegible] का रेंज मुख्यालय भिलाई में है । आई. जी. [illegible], औद्योगिक विवाद एवं भिलाई के उद्योगपतियों की गैर-कानूनी [illegible] विधियों से उत्पन्न कानून और व्यवस्था के सवालों में [illegible] सक्रिय रूप से सम्मिलित था । स्वयं आई. जी. पुलिस एन. के. सिंह 01. 07. 1992 को भिलाई कार्यालय में उपस्थित थे, और पूरे घटना क्रम की निरन्तर निगरानी कर रहे थे ।

अतः निवेदन है कि सत्य [illegible] तह तक पहुंचने के लिए तथा आई. जी. [illegible] भिलाई क्षेत्र [illegible] एन. के. सिंह को [illegible] गवाह के रूप में आयोग के समक्ष समन किया जाए ।

दुर्ग,

दिनांक 11-4-96

[signature]

आवेदक

[जनकलाल ठाकुर]

समक्ष माननीय दुर्ग (भिलाई) जाँच आयोग

विषय :— 01.07.1992 के बर्बर पुलिस गोलीचालन के सम्बंध में ।

महोदय जी,

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि –

1. यह कि मैंने इस जाँच आयोग के समक्ष शपथ प्रस्तुत किया था, कि मैं उन श्रमिकों में से एक हूँ, जिन्होंने 01.07.92 को पावर हाउस रेलवे लाइन पर पड़ाव "सत्याग्रह" में भाग लिया था, और मैं आयोग के समक्ष उस बर्बर पुलिस गोली चालन के सम्बंध में कुछ तथ्य रख सकता हूँ, जिसमें मेरे 16 साथियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों श्रमिक महिला – पुरुष घायल हुए ।

2. यह कि मुझे जाँच आयोग के समक्ष बयान हेतु बुलाया गया । मैं दिनांक 23-02-96 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ, और मेरा प्रतिपरीक्षण किया गया ।

3. यह कि मैंने माननीय आयोग के समक्ष यह कहा था कि शपथ-पत्र में दिये गये तथ्यों के अलावा 01.07.1992 के पुलिस गोलीचालन के सम्बन्ध में कुछ अन्य ऐसे तथ्य भी है, जिन्हें मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूँ । ये तथ्य गोलीचालन के बाद हुआ दमनचक्र तथा श्रमिकों के प्रति किये गये अमानवीय व्यवहार के संबंध में है, परन्तु माननीय आयोग ने इन तथ्यों को कलमबन्द करने से इन्कार किया ।

4. यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि मैंने अपने शपथ-पत्र में अनुच्छेद 08. में कहा था कि शपथ-पत्र में दर्ज तथ्यों के अलावा इस आयोग के जाँच के विषय में संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहूँगा ।

5. यह कि जिन अतिरिक्त तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूं, वे सत्य की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक है ।

अतः 01.07.1992 के पुलिस गोलीचालन से सम्बंधित अतिरिक्त तथ्यों को बयान करने की अनुमति प्रदान करें ।

दुर्ग,

दिनांक

आवेदक

(तिलकराम साहू)

समक्ष माननीय दुर्ग (भिलाई) जाँच आयोग

विषय :— 01.07.1992 के बर्बर पुलिस गोलीचालन के सम्बंध में ।

महोदय जी,

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि -

1. यह कि मैंने इस जाँच आयोग के समक्ष शपथ प्रस्तुत किया था, कि मैं उन श्रमिकों में से एक हूँ, जिन्होंने 01.07.92 को पावर हाउस रेलवे लाइन पर पड़ाव "सत्याग्रह" में भाग लिया था, और मैं आयोग के समक्ष उस बर्बर पुलिस गोली चालन के सम्बंध में कुछ तथ्य रख सकता हूँ, जिससे मेरे 16 साथियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों श्रमिक महिला - पुरुष घायल हुए ।

2. यह कि मुझे जाँच आयोग के समक्ष बयान हेतु बुलाया गया । मैं दिनांक ..23.02.96....... को आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ, और मेरा प्रतिपरीक्षण किया गया ।

3. यह कि मैंने माननीय आयोग के समक्ष यह कहा था कि शपथ-पत्र में दिये गये तथ्यों के अलावा 01.07.1992 के पुलिस गोलीचालन के सम्बन्ध में कुछ अन्य ऐसे तथ्य भी है, जिन्हें मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूँ । ये तथ्य गोलीचालन के बाद हुआ दमनचक्र तथा श्रमिकों के प्रति किये गये अमानवीय व्यवहार के संबंध में है, परन्तु माननीय आयोग ने इन तथ्यों को कलमबन्द करने से इन्कार किया ।

4. यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि मैंने अपने शपथ-पत्र में अनुच्छेद .19 में कहा था कि शपथ-पत्र में दर्ज तथ्यों के अलावा इस आयोग के जाँच क्षेत्र के विषय में संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहूँगा ।

5. यह कि जिन अतिरिक्त तथ्यों को मैं आयोग के समक्ष बयान करना चाहता हूँ, वे सत्य की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक है ।

अतः 01. 07. 1992 के पुलिस गोलीचालन से सम्बंधित अतिरिक्त तथ्यों को बयान करने की अनुमति प्रदान करें ।

दुर्ग,

दिनांक

आवेदक

धनाराम

समक्ष श्रीमान् भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जाँच आयोग, दुर्ग (म.प्र.)

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एम.आई.जी. 1/55 आमदी नगर
हुडको, भिलाई ... आवेदक

गोलीकाण्ड में गम्भीर रूप से घायल एवं वर्तमान में मृत्यु से जूझ रहे श्रमिक श्री लोमन कुमार को तत्काल चिकित्सा का प्रबंध एवं अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु ।

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :—

1. यह कि श्रीम लोमन कुमार, बी.के. कास्टिंग कंपनी भिलाई के श्रमिक हैं । जिनको केवल इसलिए प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि वे अपने संवैधानिक अधिकारों की माँग कर रहे थे ।

2. यह कि श्री लोमन कुमार, छ.मु.मो. के अन्य साथी श्रमिकों के साथ आन्दोलन में जुड़े हुए हैं, और 01.07.92 को रेल सत्याग्रह करने वाले श्रमिकों में शामिल थे ।

3. यह कि 01.07.92 के गोली चालन में श्री लोमन कुमार को गाल में एवं जबड़े में गोली लगी, जो गोली चालन पूर्णतः नियमों के उल्लंघन में था, और उन्हें घायल नागरिकों की सूची में क्रमांक 36 पर दर्शाया गया है ।

4. यह कि उस समय उपस्थित डॉ० शैबाल जाना के निम्न शपथ पत्र भी दिया कि :

"I Dr. Saibal Jana do hereby state that medically examined Shri Loman Kumar in u F of the Bhilai steel Plant on 7.7.92 at about 10 a.m. That the condition of Shri Loman K was as follows.

(a) Difficulty in taking food.

(b) Difficulty in breathing and sitting due to

with entry wound in the occipital region, and exit wound in the lower part of the mandible. That it is my considered medical opinion based on 14 years of medical experience, that Shri Loman Kumar is not in any condition to be moved far from the hospital. Moving Shri Loman Kumar at this critical juncture in his recovery constitutes a hazard to his life and health."

5. यह कि श्री लोमन कुमार को कोतवाली थाने में रखा गया, जहाँ उन्हें दूध देने के लिए आये उनके भाई को भगाया गया । तत्पश्चात् उन्हें जेल भेजा गया । 19.07.92 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घायलों को अस्पताल से गिरफ्तार करने की पुलिस की दुश्मनीपूर्ण और अमानवीय व्यवहार को रोका ।

6. यह कि घटना के प्रारंभिक दिनों में चिकित्सा प्राप्त न होने से श्री लोमन कुमार के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़े हैं ।

7. यह कि गोलीकाण्ड से पीड़ित नागरिकों को न्याय एवं राहत दिलाने हेतु गठित माननीय जाँच आयोग की कार्यवाई निम्न तिथि अनुसार पिछले 4 1/2 वर्ष से लंबित है ।

05.07.92	आयोग की घोषणा परन्तु गठित वर्ष ही .....
07.04.93	शहीद परिवार की उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका में आयोग के शीघ्र गठन का आदेश ।
22.06.93	आयोग के गठन की अधिसूचना ।
10.07.93	शपथ पत्र दाखिले के आखिरी दिन पर शासन द्वारा समय माँगा गया ।
16.09.93	विभिन्न आवेदनों की सुनवाई ।
02.11.93	आयोग की अवधि जो समाप्त हुई थी, अक्तूबर 1994 तक बढ़ाई गई ।

19.01.94, 08.02.94, 04.03.94, 06.04.94, 19.05.94 शासन के कनिष्ठ अधिकारियों की गवाही ।

19.09.94	जस्टिस श्रीवास्तव का तबादला ।
03.11.94	आयोग की अवधि पुनः 12.04.95 तक बढ़ाई गई ।

जून 1995 शहीद परिवार की पुनः याचिका ।

30.07.95 आयोग पुनः गठित ।

26.09.95 पुनः गवाही आरम्भ ।

8. यह कि श्री लोमन कुमार के दोनों गुर्दे अब काम नहीं कर रहे हैं । उनकी स्थिति बहुत गंभीर है । इस संबंध में उनके मेडिकल दस्तावेज संलग्न है ।

9. यह कि घायलों एवं मृतकों के संबंध में मुआवजा राशि एवं उसके सिद्धांत तय करने की जिम्मेदारी भी माननीय उच्च न्यायालय के 07.04.93 के आदेश द्वारा इसी माननीय जांच आयोग को सौंपी गई है ।

10. यह कि परिस्थितियों को देखते हुए माननीय आयोग से प्रार्थना है कि तत्काल श्री लोमन कुमार की चिकित्सा के प्रबंध हेतु एवं अंतरिम राहत हेतु राज्य शासन को यथोचित आदेश पारित करें ।

दिनांक : 08.05.96

आवेदक

[signature]

(जनक लाल ठाकुर)

BEFORE THE HONORABLE ENQUIRY COMMISSION, DURG

In Re: BHILAI POLICE FIRING dt: 01-07-1992

<u>Application on behalf of Shri Kuldeep Nayyar for permission to depose before the Enquiry Commission</u>.

Sir,

It is respectfully submitted as under:

1. That the applicant has held the post of High Commissioner for India in the UK from [illegible] to Dec [illegible]. The applicant is also an eminent journalist who has been writing on issues of Civil Liberties and Social Justice etc.

2. That the applicant knew about the Chattisgarh workers movement being led by Comrade Shankar Guha Niyogi. In the applicant along with other prominent personalities from different walks of life viz. Vijay Tendulkar, Anil Sadgopal and former Justice D.S. Tewatia had visited Bhilai and written the Citizen's Committee Report - "Behind the Industrial Smoke Screen". The Citizen's Committee had investigated the circumstances and motivations which led to the murder of Shankar Guha Niyogi, as well as the nature of investigations and administrative interventions in the aftermath of the murder.

3. That the applicant had also tried to use his good offices to negotiate a settlement in Bhilai between the industrialists and trade union. The applicant had also initiated a dialogue with the govt. of Madhya Pradesh especially Sh. Kailash Joshi - former Minister of Industries, M.P. The CMM affiliated trade unions had been quite responsive to the idea of a settlement of the long pending industrial dispute but the govt. and industrialists showed no keenness to resolve the matter.

4. That the multi crore hawala scandal of which the Supreme Court is presently seized has brought to the surface the criminal nexus between the industrialists and politicians. The President of the Bhilai Industries Association, B.R. Jain, is one of the key figures in this multi crore corruption scam. In the context of Madhya Pradesh many politicians have been chargesheeted with having received hawala payments.

In view of the recent developments in the investigation of the hawala payments, it is imperative that the commission allows all evidences pertaining to the industrial dispute, labour struggle, administrative apathy and anti-worker bias leading to the brutal killing of 16 workers and injuring of around one hundred others, to be placed before it so as to enable the commission to reach the truth of the matter.

5. That the applicant is acquainted with the ongoing industrial dispute in Bhilai-Durg. There are many facts within his knowledge which are relevant to the present enquiry in the interest of justice.

It is therefore prayed that in the interest of justice this Hon'ble Commission may kindly grant the applicant an opportunity to place all material facts and depose before it.

Applicant
(KULDEEP NAYYAR)

BEFORE THE HONORABLE ENQUIRY COMMISSION, DURG

In Re: BHILAI POLICE FIRING dt: 01-07-1992

Application on behalf of Prof. Anil Sadgopal for permission to depose before the Enquiry Commission.

Sir,

It is respectfully submitted as under:

1. That the applicant is a well known educationist and scientist who has wide and rich experience in social interventions in the area of science and education. The applicant was a scientist at the Tata Institute of Fundamental Research, Bombay and later co-ordinated Kishor Bharati, a non-government organisation in rural Madhya Pradesh for over two decades. The applicant was awarded the Vikram Sarabhai Memorial Award in 1980, the prestigious Jamnalal Bajaj award for application of Science and Technology to rural areas in 1981 and the Shanti Niketan Award in 1984. Appointed a National Lecturer by the University Grants Commission, the applicant served on the National Teachers Commission in 1983-84 and the National Policy on Education Review Committee in 1990. The applicant is currently a Professor at the Department of Education, University of Delhi, and Co-ordinator of the Maulana Azad Centre for Elementary and Social Education, besides serving on a number of government sponsored advisory bodies.

2. That the applicant knew about the Chattisgarh workers movement being led by Comrade Shankar Guha Niyogi since 1980. In November 1991 the applicant along with other prominent personalities from different walks of life viz. Vijay Tendulkar, Kuldeep Nayyar and former Justice D.S. Tewatia had visited Bhilai and written the Citizen's Committee Report - "Behind the Industrial Smokescreen". The Citizen's Committee had investigated the circumstances and motivations which led to the murder of Shankar Guha Niyogi, as well as the nature of investigations and administrative interventions in the aftermath of the murder.

3. That the applicant had also tried to use his good offices to negotiate a settlement in Bhilai between the industrialists and trade union. The CMM affiliated trade unions had been quite responsive to the idea of a settlement of the long pending industrial dispute but the govt. and industrialists showed no keenness to resolve the matter.

4. That the multi crore hawala scandal of which the Supreme Court is presently seized has brought to the surface the criminal nexus between the industrialists and politicians. The President of the Bhilai Industries Association, B.R. Jain, is one of the key figures in this multi crore corruption scam. In the context of Madhya Pradesh many politicians have been chargesheeted with having received hawala payments.

In view of the recent developments in the investigation of the hawala payments, it is imperative that the commission allows all evidences pertaining to the industrial dispute, labour struggle, violation of nation's laws administrative apathy and anti-worker bias leading to the brutal killing of 16 workers and injuring of around one hundred others, to be placed before it so as to enable the commission to reach the truth of the matter.

5. That the applicant is acquainted with the ongoing industrial dispute in Bhilai-Durg. There are many facts within his knowledge which are relevant to the present enquiry in the interest of justice.

It is therefore prayed that in the interest of justice this Hon'ble Commission may kindly grant the applicant an opportunity to place all material facts and depose before it.

Applicant
(ANIL SADGOPAL)
E-13, KALINDI
New Delhi 110065

BEFORE THE HONORABLE ENQUIRY COMMISSION, DURG

In Re: BHILAI POLICE FIRING dt: 01-07-1992

Application on behalf of Shri Praful Bidwai for permission to depose before the Enquiry Commission.

Sir,

It is respectfully submitted that:

1. That the applicant is a senior journalist and columnist. That in July 92, and a number of years preceding that, he was a Senior Editor of the Times of India. That at present the applicant is a Senior Fellow of the Nehru Memorial Museum and Library.

2. That the applicant was aware of the workers movement in Chattisgarh led by Comrade Shankar Guha Niyogi, and was one of the thousands of citizens all over the country who were shocked and concerned at the Bhilai police firing of 01-07-92 in which sixteen persons were killed and scores were wounded. That a meeting of concerned citizens decided to send a team of eminent persons to conduct a Citizens' Enquiry.

3. That the applicant along with other prominent personalities from different walks of life viz former Justice Rajender Sacchar, writer Rajendra Yadav and jurist Rajeev Dhawan constituted a Peoples Tribunal which had visited Bhilai immediately following the firing on 25th & 26th July 1992.

4. That it is respectfully submitted that the efforts of this Tribunal were not at all to usurp or infringe upon the functions or powers of any judicial commission appointed by the govt. but in order to disseminate information to the nation in a situation when there was a virtual blackout regarding the firing and its aftermath which is incompatible with our democratic polity.

5. That the said Peoples' Tribunal held a number of open sessions, well advertised in the press, when numerous persons deposed before it describing facts leading to and the events of 01-07-92 and its aftermath which was continuing when the Tribunal visited the area. That the Tribunal visited the site, various bastis and gathered official data. That the Tribunal subsequently published a report under the title "Peoples Tribunal on Bhilai Police Firing".

6. That the multi crore hawala scandal of which the Supreme Court is presently seized has brought to the surface the criminal nexus between the industrialists and politicians. The President of the Bhilai Industries Association, B.R. Jain, is one of the key figures in this multi crore corruption scam. In the context of Madhya Pradesh many politicians have been chargesheeted with having received hawala payments.

In view of the recent developments in the investigation of the hawala payments, it is imperative that the commission allows all evidences pertaining to the industrial dispute, labour struggle, administrative apathy and anti-worker bias leading to the brutal killing of 16 workers and injuring of around one hundred others, to be placed before it so as to enable the commission to reach the truth of the matter.

7. That the applicant as a member of the above mentioned Tribunal is in possession of many facts which are relevant to the present enquiry in the interest of justice.

It is therefore prayed that in the interest of justice this Hon'ble Commission may kindly grant the applicant an opportunity to place all material facts and depose before it.

Applicant
(PRAFUL BIDWAI)

1, Jaipur Estate
Nizamuddin East
New Delhi 110013

BEFORE THE HONORABLE ENQUIRY COMMISSION, DURG

In Re: BHILAI POLICE FIRING dt: 01-07-1992

Application on behalf of Shri Rajendra Yadav for permission to depose before the Enquiry Commission.

Sir,

It is respectfully submitted that:

1. That the applicant is the editor of the prestigious progressive Hindi literary magazine - "Hans" - founded by the legendary writer late Shri Premchand. That the applicant is himself a well known writer in the Hindi language.

2. That the applicant was aware of the workers movement in Chattisgarh led by Comrade Shankar Guha Niyogi, and was one of the thousands of citizens all over the country who were shocked and concerned at the Bhilai police firing of 01-07-92 in which sixteen persons were killed and scores were wounded. That a meeting of concerned citizens decided to send a team of eminent persons to conduct a Citizens' Enquiry.

3. That the applicant along with other prominent personalities from different walks of life viz former Justice Rajender Sacchar, journalist Praful Bidwai and jurist Rajeev Dhawan constituted a Peoples Tribunal which had visited Bhilai immediately following the firing on July 1992.

4. That it is respectfully submitted that the efforts of this Tribunal were not at all to usurp or infringe upon the functions or powers of any judicial commission appointed by the govt. but in order to disseminate information to the nation in a situation when there was a virtual blackout regarding the firing and its aftermath which is incompatible with our democratic polity.

5. That the said Peoples' Tribunal held a number of open sessions, well advertised in the press, when numerous persons deposed before it describing facts leading to and the events of 01-07-92 and its aftermath which was continuing when the Tribunal visited the area. That the Tribunal visited the site, various bastis and gathered official data. That the Tribunal subsequently published a report under the title "Peoples' Tribunal on Bhilai Police Firing".

6. That the multi crore hawala scandal of which the Supreme Court is presently seized has brought to the surface the criminal nexus between the industrialists and politicians. The President of the Bhilai Industries Association, B.R. Jain, is one of the key figures in this multi crore corruption scam. In the context of Madhya Pradesh many politicians have been chargesheeted with having received hawala payments.

In view of the recent developments in the investigation of the hawala payments, it is imperative that the commission allows all evidences pertaining to the industrial dispute, labour struggle, administrative apathy and anti-worker bias leading to the brutal killing of 16 workers and injuring of around one hundred others, to be placed before it so as to enable the commission to reach the truth of the matter.

7. That the applicant as a member of the above mentioned Tribunal is in possession of many facts which are relevant to the present enquiry in the interest of justice.

It is therefore prayed that in the interest of justice this Hon'ble Commission may kindly grant the applicant an opportunity to place all material facts and depose before it.

Rajendra Yadav

Applicant

(RAJENDRA YADAV)

2/36, Ansari Road

Daryaganj.

New Delhi - 110002

कैलाश जोशी
मंत्री
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं ऊर्जा

Chapter 2 (iv

बी-30 (74, बंगले)
स्वामी दयानन्द मार्ग
भोपाल
दूरभाष { कार्यालय : 551709
निवास : 552759
551535

क्रमांक 132 /वा.उ.एवं ऊ.मं./91 .

दिनांक 8-6-1992

मान्यवर आडवाणीजी,

आपने दिनांक 27 मई, 92 को मुझे भिलाई में औद्योगिक अशांति का अध्ययन करने के लिये बनी नागरिक समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति दी थी ।

राज्य शासन द्वारा उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच आपसी चर्चा के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिये विभागीय अधिकारियों का एक दल गठित किया गया है । मैंने वह प्रति उन्हें देकर चर्चा में उनका उपयोग करने का सुझाव दिया है । श्रमिकों की न्यायोचित समस्याओं का निराकरण करने के लिये शासन द्वारा आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं ।

आपका

(कैलाश जोशी)

प्रति,

श्री लाल कृष्ण आडवाणी,
विपक्ष के नेता (लोक सभा),
सी 1/6, पंडारा पार्क,
नई दिल्ली- 110 003

KAILASH JOSHI
Minister
Commerce, Industry and Energy
Madhya Pradesh

B-30, (74 Bungalow)
Swami Dayanand Nagar
BHOPAL

Telephone ; Office : 551709
Resi. : 552759
551535

No. 207 ./Co., Ind.& Energy/Mini./9

Dated 9th June 1992

Dear Shri Nayer ji,

I received a copy of the Citizen's Committee report from Shri Adwani ji which was submitted to him by your Committee. I have forwarded the same to the Group Constituted to solve the problem through mutual discussions. I hope the problem will sort out soon.

With regards,

Sincerely yours

(Kailash Joshi)

To,
Shri Kuldeep Nayer,
D-7/2, Vasant Vihar,
New Delhi - 110 057.

10th July, 1992

Dear Joshi Sahib,

Your letter dated June 8 reached me only a few days before the firing at Bhilai. I really thought that you were serious in solving the problem through mutual discussions. But apparently the industrialists were adament and you could not persuade them to reinstate the workers whom they have dismissed on cookedupp up charges or some other considerations. That was what Shankar Guha Niyogi was up against.- the industrialists' dictatorial methods of hiring and firing and dismissing such employees as would demand reasonable workigg conditions and wages. He sacrifiead his life fighting the evil. When I, as part of the Citizens Committee, looked into the industrial activity of the area, I found that some industrialists and mafia had penetrated the area to such an extent that there was no objectivity and independence of even the guardians of the society. That is the reason why Justice D.S.Tewatia, Dr.Anil Sadagopal, a social activist, and I met Mr.L.K.Advani and pleaded with him to look into the matter personally. In response to his intervention I got a letter from you, although your chief minister never acknowledged my letters earlier, that you hoped 'the problem will sort out soon'.

I feel let down because I really believed that you would be able to get the workers reinstated as their dismissal was not fair.

Shankar Guha Niyogi's murder assumes sinister proportions when seen in the context of the rapidly changing industrial scenario in the country under pressure from the World Bank and the International Monetary Fund. It is reflective of the drastic erosion in the democratic space open to the workers to agitate for rights assured by

...

various industrial and labour laws, in asking for minimal security of employment and a wage which stretches the notion of dignified survival to its limit. It is indeed a sad reflection on the polity and society we live in today, that the right to organise for collective action so as to ensure the preservation of democratic institutions and a just share in the fruits of development for various sections of our population, recognised as a fundamental right at the dawn of our freedom, has now come to be treated as a law and order problem. The democratic institutions have become the instruments of the powerful to crush the legal aspirations of the vast majority of poor and if the downtrodden are not to conclude the meaninglessness of non-violence, the State must respond immediately and positively, lest the erosion of faith becomes irreversible.

I never considered any police firing justified. I think that it is the failure of the political and administrative machinery. I do not know what you can do to retrieve the situation — or the name of your government. Do something to end the agony of 2500 workers who have been in the cold for now more than two years. I do not see peace returning unless you sort this thing out.

With regards,

Yours sincerely,

(Kuldip Nayar)

Sri Kailash Joshi
Minister for Commerce,Industry,
and Energy,Govt.of Madhya Pradesh
B-30 (74 Bunglow)
Swami Dayanand Nagar
Bhopal.

कैलाश जोशी
मंत्री
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं ऊर्जा

बी-30 (74 बंगले)
स्वामी दयानन्द नगर
भोपाल
दूरभाष कार्यालय : 551709
निवास : 552759
551535

अर्द्ध शासकीय पत्र

क्रमांक 405/वा.उ.एवं ऊ.मं./91.

दिनांक 4 जुलाई, 1992

प्रिय श्री नायरजी,

आपका दिनांक 10 जून को भेजा गया पत्र मिला, धन्यवाद । भिलाई प्रकरण में आपके द्वारा प्रदर्शित गम्भीर रूचि देख प्रसन्नता हुई किंतु आपके विश्लेषण का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि हम निकाले गये मजदूरों को फिर से काम पर लिये जाने के बारे में उद्योगपतियों को राजी नहीं कर सके थे ।

मैं स्वयं दिनांक 22 मई को रायपुर में उद्योगपतियों से और मजदूर नेताओं से मिला था । तब मैंने दोनों पक्ष को स्पष्ट कर दिया था कि इस विवाद का निर्णय त्रिपक्षीय शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से कराया जायगा । यह बैठक एक सप्ताह के अन्दर आरम्भ कर दी जायगी और जब तक निराकरण नहीं हो जाता है तब तक बिना विराम के निरंतर चलाई जायगी । इस बीच दोनों पक्ष कोई ऐसा कदम नहीं उठावेंगे जिससे किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं फैल सके । मैंने दोनों पक्ष को यह भी आश्वासन दिया था कि यदि चर्चा टूटने की नौबत आती है तो मुझे अवगत कराया जायगा । ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होने पर मैं स्वयं चर्चा में बैठकर विवाद को निपटा दूँगा ।

उपरोक्त आश्वासन के पश्चात् दिनांक 1 जून से चर्चा आरम्भ कर दी गई थी । यह चर्चा 6-7 दिन चली और बाद में दिनांक 11 जून से इन्दौर में चर्चा का दौर चलाने का तय हुआ ।

इस बीच श्री जनकलाल ठाकुर और श्री गणेशराम मुझसे भोपाल में मिले थे और पहले दौर की चर्चा की जानकारी देते हुए उनने कुछ कठिनाई का उल्लेख किया था । मैंने उनसे कहा था कि आप चर्चा जारी रखें जब भी कोई रूकावट आवेगी मैं उसे स्वयं देखूँगा । उनके विचारों से मैंने उद्योगपति और अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था ।

....

उसके बाद इन्दौर से लौटते हुए भी ये लोग मुझे मिले थे और बात आगे बढ़ रही है, ऐसा बताया था ।

फिर तीसरा दौर पुनः भिलाई में शुरू हुआ और तब तक इनकी नौ में से आठ मांगों पर दोनों पक्ष की सहमति हो गई थी और अंतिम मांग मजदूरों को फिर से काम पर लेने की ही बची थी ।

इस सम्बन्ध में दिनांक 29 जून और 30 जून को चर्चा आरम्भ हुई थी जिसमें यह तय किया था कि अब उद्योग की इकाईवार चर्चा होगी । जिसमें दिनांक 30 जून को भिलाई वायर्स के मजदूरों के लिये चर्चा की गई । किंतु उसके मालिक के वहां न होने से चर्चा अधूरी रही । तब यह तय हुआ था कि अब कल दिनांक 1 जुलाई को भिलाई इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के साथ चर्चा होगी ।

इस प्रकार चर्चा के दौर चल ही रहे थे कि दिनांक 1 जुलाई को बिना कोई पूर्व सूचना दिये रेल्वे लाईन पर बैठकर गाड़ियाँ रोकने का फैसला किया गया ।

मैं मानता हूँ कि यदि चर्चा के परिणाम मजदूरों की इच्छा के अनुसार नहीं आ रहे थे और कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था तो मजदूर नेता मुझे उसकी सूचना दे सकते थे और मैं दिये गये वचन के अनुसार स्वयं उनके बीच बैठकर विवाद समाप्त करने की कार्यवाही करता किंतु मजदूर नेताओं ने मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं दी कि चर्चा आगे नहीं बढ़ रही है और यदि आपने बीच बचाव नहीं किया तो हम कोई आन्दोलनात्मक कदम उठावेंगे । यदि ऐसी सूचना मुझे मिल जाती तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटती ।

जैसा कि आपने अपने पत्र में लिखा है, यदि मजदूर नेता शांतिपूर्ण चर्चा फिर से आरम्भ कराने और उसमें भाग लेकर निराकरण कराने के पक्ष में हों तो फिर से यह कार्यवाही की जा सकती है । यद्यपि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भिलाई में घटी है वह अत्यन्त पीड़ादायी है जिसका हम सबको दुख है किंतु राज्य शासन की ओर से विवाद को सुलझाने की दिशा में पूर्ण प्रयास किये जा रहे थे इसलिये इस दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये राज्य शासन दोषी नहीं है तथा राज्य शासन ने इस घटना की जाँच के लिये तत्काल न्यायिक आयोग गठित करने की कार्यवाही की है ।

आपका

(हस्ताक्षर)

(कैलाश जोशी)

प्रति,
श्री कुलदीप नायर,
डी/-7/2, वसंत विहार,
नई दिल्ली-110 057.

2nd September, 1992

Dear Joshi Sahib,

Thanks for your letter dated July 4 which reached me only a few days ago. What has happened is tragic and no amount of explanation or regret can bring back the people who have died during the police violence. But we have to think what we do now. While the enquiry is going on into the firing, we must go into the causes of the trouble. From whichever point you begin, you end on the one conclusion: 'the labour is not happy'.

The crux of the problem is the re-employment of those who are waiting to be employed for now more than two years. They have been wrongfully and wilfully separated from their jobs. There may be a few odd cases where there may have been some remote justification, but in almost all cases, the dismissal was unjustified. Let us take up the thread from here. How do e get back the jobs to those who have stayed unemployed? I believe their number is around 4,000. I can be of some assistance if you can persuade the employers to re-hire them. Also, we must improve the working conditions and ensure that the waywardness in employment goes and the contract system which gives a free hand to the employer is corrected in a way that the employees have a durable tenure. I await your reply.

With regards,

Yours sincerely,

(Kuldip Nayar)

Shri Kailash Joshi,
Minister for Commerce, Industry and Energy, Madhya Pradesh Government,
Swami Dayanand Nagar, Bhopal.

BEFORE THE COMMISSION-GOLIKAND-DURG-BHILAI

REPLY OF PARTY NO.2 TO THE APPLICATION OF SHRI JANAKLAL THAKUR TO SUMMON SHRI SUNDE LAS PATWA, KAILASH JOSHI, THE THEN COMMISS D.I.G., & I.G.

The Party No.3 submits as under:-

1. That, this commission was appointed by a notification, published in Government of Madhya Pradesh Gazzet dt. 13.7.92 specifying the terms to be enquired into by the Commission.

2. The then Commissioner framed rules to be followed in the enquiry. Rule 4 provides for xxxxxxxxx submission of affidavits & Rule 10 t 15 deal with Summoning & Examination of witnesse Accordingly the Commission Published notice in diferrent news-papers inviting public at large & all concerned to swear & file affidavits with reference to the terms of the enquiry.

3. Shri Sunderlal Patwa and Shri Kailash Joshi were Chief Minister & Industries Minister of M.P. respectively on 1.7.92. Affidavit has been filed Shri Tomar the then Collector, Durg, Shri S. Singh, the then S.P., Shri R.C.Pandey, the then Asstt. Labour Commissioner, Raipur having jurisdiction ov Durg, also with voluminous documents on behalf of the State.

4. Shri J.L.Thakur as MLA is also a part of the State Assembly. He has filed a detailed affidavit but is avoiding to appear before the Commission. Th Commission has adjourned the case thrice for his appearance & the enquiry was fixed on 12.3.96 for h appearance but instead of appearing before the Commission he has made these frivilous applications contrary to the Rules framed by the Commission. Onl from Political point of view. It may be seen that his affidavit dt. Nil he has criticised B.J.P.Govt. headed by Shri Sunderlal Patwa even on matters not connected with terms of this Commission. Para-17,' be kindly referred specifically.

5. That, if such applications are allowed the enquiry will become endless, as no body is a party in the nature of a litigant party of a Civil or Criminal Case. The Commission can certainly call any person, provided, it is shown how & why his evi is necessary. The applications made herein are not but repeatation of wild allegations made by him in affidavit for which Shri Jamaklal Thakur has been summoned thrice but is avoiding to come.

6. However, if the Commission considers it essent to summon Shri Sunderlal Patwa, Or Shri Kailash Jo who have not filed any affidavit they may be asked to submit affidavits according to the procedure followed by the Commission so far and undertake to appea before this commission on fixed dates for cross examination.

Prays Accordingly.

..3.96

COUNSEL FOR PARTY NO.3

जमा क्र. 4/71c

प्रति,

आवेदकगण :- 1. प्रेमनाथ सिंह आ. रामकुमार सिंह,
क्वा. नं. 9, ब्लॉक नं. 9/10, सेक्टर 4, भिलाई नग
2. रामभिलन मौर्य आ. रामपेर मौर्य,
क्वा. नं. 19, सड़क नं. 24, कुर्सीपार, सेक्टर 11/भिल
3. कन्हैया लाल गुप्ता आ. शिव कुमार गुप्ता,
न्यु कुर्सीपार, भिलाई.
4. एन. रब्बानी आ. स्व. अब्दुल हमीद,
फरीद नगर ईदगाह मोहल्ला पो. कोहका, भिलाई.
5. महमूदआलम आ. अब्दुल हमीद,
वृन्दा नगर कैम्प 1, तेलगू स्कूल के पास, भिलाई.
6. मोहिउद्दीन आ. मोइनुद्दीन,
कोहका, चांदनी चौक कोहका भिलाई.
7. नया आलम आ. अब्दुल हमीद,
वृन्दा नगर कैम्प 1, मेन बटाल के पास, भिलाई.
8. फिरोज खान आ. मोहम्मद कासिम खान,
वृन्दा नगर कैम्प 1, हनुमान मंदिर के पास भिलाई
9. तारक गुप्ता आ. ——धीराज कुमार——
पावर हाउस भिलाई.

विषय:- भिलाई पावर हाउस में दिनांक 1 जुलाई 92 को हुई गोली
के बाद कर्फ्यु घोषित होने के पश्चात् रेडीमेड कपड़ों की दुकान
द्वारा लूटपाट किये जाने विषयक जानकारी ।

महोदय,

उपरोक्त आवेदकगण सुभाष सब्जी मण्डी समीप रोड, पुराना र
कार्यालय के पास दीवाल के किनारे पावर हाउस भिलाई दुर्ग म.प्र. में विग
वर्षों से रेडीमेड कपड़े का चिल्हर व्यवसाय करते आ रहे हैं । आवेदकगण की
फट्टे, टीन आदि से बनी थी जिसे साडा भिलाई द्वारा दिनांक 23.4.92
अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत तोड़ दिया गया ।

आवेदकगण पुनः उसी स्थान पररेडीमेड कपड़े की दुकानें लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं । आवेदकगण एक गरीब वर्ग के व्यक्ति है जिसके परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी दुकान पर ही थी किन्तु दिनांक एक जुलाई 92 को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और पुलिस प्रशासन के बी हुई गोलीबारी में कर्फ्यू की घोषणा हुई जिसके भय से हम सभी आवेदकगण अप अपनी दुकानें समेट कर स्टील की पेटी आदि में रखकर ताल पत्री आदि से ढं रस्सी से मजबूती से बांधकर जान बचाने के भय वश से वहीं आसपास छिप कर माल की रखवाली करने लगे । तत्पश्चात् नियुक्ति चौकीदार आया और हम लोग उसे माल सुपुर्द कर अपने अपने निवास स्थान को चले गये ।

चौकीदार के अनुसार रात्रि 11 बजे आठ दस पुलिस कर्मी जो वर्दीधार थे आये और चार-छ डंडे मारकर भग जाने को कहा और कहा कि हम तुम्हारे माल की सुरक्षा करेंगे । चौकीदार कुछ दूर साडा द्वारा निर्मित टीन शेड में चला गया जहाँ से वह माल की रखवाली करना चाहा किन्तु पुलिस कम वहाँ भी उसे रहने नहीं दिये बंदूक का भय दिखाकर उसे वहाँ से भी भगा दिये चौकार पुनः कुछ दूर आगे चला गया जहाँ से वह अपनी आँखों से वर्दीधारी पुलिस कर्मियों द्वारा लूटपाट का नंगा दृश्य देखता रहा । पुलिस कर्मी रेडिमेड कपड़ा पान ठेले से पान बिड़ी सिगरेट चाय दुकान से कप प्लेट आदि लूट कर ले गये ।

लूटपाट से प्रभावित व्यक्तियों के नाम व्यवसाय व लूटपाट की गयी ध राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

	नाम	व्यवसाय	लूटी गई धन
1.	प्रेमनाथ सिंह आ. रामकुमार सिंह	रेडीमेड	65,500/-
2.	राम मिलन मौर्य आ. रामफेर मौर्य	--"--	4,000/-
3.	कन्हैया लाल गुप्ता आ. शिवकुमार गुप्ता	--"--	10,000/-
4.	एन. रब्बानी आ. स्व. अब्दुल रब्बानी	--"--	14,000/-
5.	महबूब महमूद आलम आ. श्री अब्दुल हमीद	--"--	13,000/-
6.	मोहिउद्दीन आ. श्री मोइनुद्दीन	--"--	30,000/-
7.	जया आलम आ. श्री अब्दुल हमीद	--"--	11,000/-
8.	फिरोज खान आ. श्री मो. कासिम खान	--"--	8,000/-

अतः श्रीमान् जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या काफी गंभीर है । हम आपसे पुनः निवेदन करते है कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर प्रार्थी को वांछित सहयोग प्रदान करने की असीम कृपा करें ।

"धन्यवाद"

प्रार्थी, आवेदकगण

सी/ओ:-

1. मुख्यमंत्री महोदय,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

2. गृह मंत्री,
गृहमंत्रालय म.प्र. शासन, भोपाल.

3. नगर पुलिस अधिक्षक,
थाना छावनी भिलाई,
जिला दुर्ग [म.प्र.].

4. जिलाधीश महोदय,
जिला दुर्ग [म.प्र.].

5. जिला पुलिस अधीक्षक,
जिला दुर्ग [म.प्र.]

6. गृहमंत्री,
गृह मंत्रालय भारत सरकार,
नई दिल्ली.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

सुभाष सब्जी मण्डी एप्रोच
पुराना रोजगार कार्यालय
पास रेडीमेड कपड़े के व्यापार
पावर हाउस,
भिलाई दुर्ग [म.प्र.].

समक्ष श्रीमान् भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जाँच आयोग, दुर्ग (म.प्र.)

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एम.आई.जी. 1/55 आमदी नगर
हुडको, भिलाई ... आवेदक

आवश्यक दस्तावेज पेश करने बाबद् आवेदन

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :—

1. यह कि संलग्न दस्तावेज केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा प्रकाश में लाया गया एवं हाल में आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में सार्वजनिक किया गया "हवाला डायरी" है ।

2. यह कि उपरोक्त दस्तावेज में भिलाई के उद्योगपतियों का स्थानीय प्रशासन तथा राज्य सरकार पर कुप्रभाव के पुख्ता सबूत है ।

3. यह कि मेरे एवं छ.मु.मो. के अन्य श्रमिक साथियों द्वारा अपने शपथ-पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसी कुप्रभाव के चलते श्रम कानूनों के उल्लंघन तथा जायज मांगों के लिए किये गये आन्दोलन पर निरन्तर हमले होते रहे हैं, और इसी का दुष्परिणाम भिलाई गोली चालन था । न्यायहित में इससे संबंधित तथ्यों को जानना अति आवश्यक है ।

4. यह कि मेरे द्वारा शपथ-पत्र में दिये गये अनेक तथ्यों की पुष्टि भी इस दस्तावेज के माध्यम से होती है ।

5. अतः प्रार्थना है कि इस दस्तावेज को रिकार्ड पर ले लिया जावे ।

दिनांक : 08. 05. 96

आवेदक

(जनक लाल ठाकुर)

समक्ष श्रीमान् भिलाई (दुर्ग) गोली चालन जांच आयोग, दुर्ग (म0 प्र0)

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एम. आई. जी. 1/55 आमदी नगर
हुडको, भिलाई ... आवेदक

आवेदन पत्र वास्ते "हवाला डायरी" के मूल दस्तावेज पेश करने बाबत् :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :—

1. यह कि बहुचर्चित हवाला काण्ड में सी.बी.आई. द्वारा जैन बन्धुओं से जब्त की गयी डायरी की फोटो कापी आवेदक द्वारा माननीय जांच आयोग के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

2. यह कि इस दस्तावेज की मूल प्रति सी.बी.आई. के कब्जे में है ।

3. यह कि गोली चालन से सम्बंधित तथ्यों की तह तक पहुंचने के लिए उपरोक्त दस्तावेज साक्ष्य के रूप में लेना आवश्यक है ।

4. अतः निवेदन है कि उपरोक्त "हवाला डायरी" की मूल प्रति माननीय भिलाई गोली चालन जांच आयोग के समक्ष पेश करने बाबत् निदेशक, सी.बी.आई., नई दिल्ली को आदेशित करने की कृपा करें ।

दिनांक : 08.05.96

आवेदक

[signature]

(जनक लाल ठाकुर)

समक्ष श्रीमान् भिलाई [दुर्ग] गोली चालन जाँच आयोग, दुर्ग [म.प्र.]

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एम. आई. जी. 1/55 आमदी नगर
हुडको, भिलाई ... आवेदक

आवेदन पत्र वास्ते श्रीमान् के द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध उच्च-न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने बावत् ।

आवेदक निम्न प्रार्थना करते हैं :--

1. यह कि श्रीमान् द्वारा दिनांक 13.04.96 को श्री जनक लाल ठाकुर, 1 जुलाई गोलीकाण्ड पीड़ित बाल मोर्चा, पूनाराम लोधी तथा तिलक राम साहू के आवेदनों को अस्वीकार किया गया, जिससे आवेदक सहमत नहीं है, और पीड़ित होना महसूस करते हैं ।

2. यह कि श्रीमान् के आदेश के विरुद्ध आवेदक माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में उचित कार्यवाही करना चाहते हैं ।

3. यह कि आवेदक की ~~x~~ दृष्टि में ये मुद्दे सबल और न्यायहित में आवश्यक है, और उन्हें सफलता की आशा है ।

4. यह कि श्रीमान् द्वारा पारित किये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तुरन्त देने का आदेश दिया जावे, जिससे कि बिना किसी विलंब के वे अगली कार्यवाही कर सकें । प्रमाणित प्रतिलिपि में जो भी खर्च आवेगा उसे वहन के लिए आवेदक तैयार है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उच्च न्यायालय से कार्यवाही हेतु नकल मिलने के पश्चात् एक माह का समय प्रदान किया जावे ।

दिनांक : 08.05.96

आवेदक

ज.ला.ठा.

[जनक लाल ठाकुर]

समक्ष:माननीय जांच आयोग भिलाई (दुर्ग) गोली चालन

आवेदक:- जनकलाल ठाकुर (अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ती मोर्चा)

द्वारा आवेदन पत्र.

दिनांक 8/5/96 का प्रतिउत्तर शासन पक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

1/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र हवाला कांड से संबंधित है जिसकी जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है.

2/ यह कि हवाला कांड से गोली कांड जांच का कोई संबंध नही है. ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ मुक्ती मोर्चा द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधारहिन एवं निरर्थक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है.

3/ यह कि हवाला डायरी से जांच आयोग के समक्ष कौन सा नया तथ्य मोर्चा के द्वारा दिया जायेगा इसका स्पष्ट विवरण आवेदन पत्र में नही है. और न ही इस तथ्य का उल्लेख है कि हवाला कांड से गोली कांड का क्या संबंध है. सुसंगतता के अभाव में भी मोर्चा द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: प्रार्थना है कि उपयुक्त प्रत्युत्तर के आलोक में मोर्चा की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 8/5/96 निरस्त किया जाय.

दुर्ग

दिनांक 9/5/96

अधिवक्ता तरफ से शासन

भिलाई इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,

भिलाई ...द्वितीय पक्ष

श्री मदनलाल ठाकुर द्वारा दस्तावेज पेश करने बाबत आवेदन का उत्तर एवं आपत्ति ।

भिलाई इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन पक्ष क्र.2 की ओर से उक्त आवेदन का निम्न उत्तर एवं आपत्ति प्रस्तुत है -

1. यह इंकार है कि प्रस्तुत दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्णित हवाला डायरी की फोटो कापी है । प्रस्तुत दस्तावेज से ऐसा कहीं भी मालूम पड़ता है कि यह दस्तावेज सी.बी.आई. के पास से प्राप्त है । वस्तुतः में सी.बी.आई. से हवाला डायरी प्राप्त करना असंभव है । श्री मदनलाल ठाकुर ने यह भी नहीं बताया है कि उन्हें यह दस्तावेज सी.बी.आई. से किस प्रकार प्राप्त हुए । किसी भी कागज को हवाला कांड की संज्ञा देकर हवाला डायरी का नाम नहीं दिया जा सकता है ।

2. यह आयोग दि. 1.7.92 को व गोली चालन के जांच के संबंध में गठित है । इसका दूर से भी कोई संबंध हवाला डायरी या बहु चर्चित हवाला कांड से नहीं है । श्री मदनलाल ठाकुर जो एक विधायक है एवं संविद का चु लड़ रहे हैं अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये व श्रमिकों में अपनी खोई छवि वापस लाने के लिये इस प्रकार के नाटकीय हथकंडे कर रहे हैं, जिससे कि आयोग के काम में बाधा व विलम्ब हो ।

3. अपने आवेदन में श्री मदनलाल ठाकुर ने स्वयं ही कहा है कि इसके मूल दस्तावेज निश्चित, सी. बी. आई. के पास हैं व उन्हें आयोग द्वारा बुलाया जाये । स्पष्ट है कि इस प्रकार से आयोग के कार्य को भी रोक देना चाहते हैं जबकि हवाला डायरी या बहुचर्चित हवाला कांड से इस आयोग के समक्ष जांच के मुद्दों का कोई संबंध नहीं है ।

अतएव निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों आवेदन निरस्त किये जावें ।

अधिवक्ता वास्ते पक्ष क्रमांक-2

समक्ष श्रीमान् भिलाई { दुर्ग } गोली चालन जाँच आयोग, दुर्ग {म.प्र.}

श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
एम. आई. जी. 1/55 आमदी नगर
हुडको, भिलाई ... आवेदक

गोलीकाण्ड में गम्भीर रूप से घायल एवं वर्तमान में मृत्यु से जूझ रहे श्रमिक श्री लोमन कुमार को तत्काल चिकित्सा का प्रबंध एवं अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु ।

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :—

1. यह कि श्रीम लोमन कुमार, बी.के.कास्टिंग कंपनी भिलाई के श्रमिक हैं । जिनको केवल इसलिए प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि वे अपनी संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे थे ।

2. यह कि श्री लोमन कुमार, छ.मु.मो. के अन्य साथी श्रमिकों के साथ आन्दोलन में जुड़े हुए हैं, और 01.07.92 को रेल सत्याग्रह करने वाले श्रमिकों में शामिल थे ।

3. यह कि 01.07.92 के गोली चालन में श्री लोमन कुमार को गाल में एवं जबड़े में गोली लगी, जो गोली चालन पूर्णतः नियमों के उल्लंघन में था, और उन्हें घायल नागरिकों की सूची में क्रमांक 36 पर दर्शाया गया है ।

4. यह कि उस समय उपस्थित डॉ0 शैवाल जाना के निम्न शपथ पत्र भी दिया कि :

"I Sri Saibal Jana do hereby state that I medically examined Shri Loman Kumar in ward F of the Bhilai Steel Plant on 7.7.92 at about 10 a.m. That the condition of Shri Loman kumar was as follows.

(a) Difficulty in taking food.
(b) Difficulty in breathing and ...

with entry wound in the occipital region, and exit wound in the lower part of the mandible. That it is my considered medical opinion based on 14 years of medical experience, that Shri Loman Kumar is not in any condition to be moved ~~for~~ from the hospital. Moving Shri Loman Kumar at this critical Juncture in his recovery constitutes a hazard to his life and health."

5. यह कि श्री लोमन कुमार को कोतवाली थाने में रखा गया, जहाँ उन्हें दूध देने के लिए आये उनके भाई को भगाया गया । तत्पश्चात् उन्हें जेल भेजा गया । 19.07.92 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घायलों को अस्पताल से गिरफ्तार करने की पुलिस की दुश्मनीपूर्ण और अमानवीय व्यवहार को रोका ।

6. यह कि घटना के प्रारंभिक दिनों में चिकित्सा प्राप्त न होने से श्री लोमन कुमार के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़े हैं ।

7. यह कि गोलीकाण्ड से पीड़ित नागरिकों को न्याय एवं राहत दिलाने हेतु वांछित माननीय जाँच आयोग की कार्यवाई निम्न तिथि अनुसार पिछले $4\frac{1}{2}$ वर्ष से लंबित है ।

05.07.92	आयोग की घोषणा परन्तु गठित नहीं हुई ....
07.04.93	शहीद परिवार की उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका में आयोग के शीघ्र गठन का आदेश ।
22.06.93	आयोग के गठन की अधिसूचना ।
10.07.93	शपथ पत्र दाखिले के आखिरी दिन पर शासन द्वारा समय मांगा गया ।
16.09.93	विभिन्न आवेदनों की सुनवाई ।
02.11.93	आयोग की अवधि जो समाप्त हुई थी, अक्टूबर 1994 तक बढ़ाई गई ।

19.01.94, 08.02.94, 04.03.94, 06.04.94, 19.05.94 शासन के कनिष्ठ अधिकारियों की गवाही ।

19.09.94	जस्टिस श्रीवास्तव का तबादला ।
03.11.94	आयोग की अवधि पुनः 12.04.95 तक बढ़ाई गई ।

जुन 1995	शहीद परिवार की पुनः याचिका ।
30.07.95	आयोग पुनः गठित ।
26.09.95	पुनः गवाही आरम्भ ।

8. यह कि श्री सोमन कुमार के दोनों गुर्दे अब काम नहीं कर रहे हैं । उनकी स्थिति बहुत गंभीर है । इस संबंध में उनके मेडिकल दस्तावेज संलग्न है ।

9. यह कि घायलों एवं मृतकों के संबंध में मुआवजा राशि एवं उसके सिद्धांत तय करने की जिम्मेदारी भी माननीय उच्च न्यायालय के 07.04.93 के आदेश द्वारा इसी माननीय जांच आयोग को सौंपी गई है ।

10. यह कि परिस्थितियों को देखते हुए माननीय आयोग से प्रार्थना है कि तत्काल श्री सोमन कुमार की चिकित्सा के प्रबंध हेतु एवं कोई अंतरिम राहत हेतु राज्य शासन को यथोचित आदेश पारित करें ।

दिनांक : 08.05.96

आवेदक

[signature]

(जनक लाल ठाकुर)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR BENCH.
WRIT PETITION(Crl) No.1007/93.

76073
f. :

In the matter of

34(4-8) 'a'

Shahid Parivar through its
representative Smt Konica Das w/o
Ashim Das,
Sharda Para
Bhilai, Madhya Pradesh.

...... Petitioner

V E R S U S

1. State of Madhya Pradesh
through the Chief Secretary
Bhopal, Madhya Pradesh.

2. Bhartiya Janata Party
through its representative
Sunderlal Patwa
Mukharjee Chowk, Bhopal
Madhya Pradesh

3. Superintendent of Police
Durg District
Durg, Madhya Pradesh.

...... Respondents

WRIT PETITION UNDER A 226 and A 227
OF THE CONSTITUTION FOR
ENFORCEMENT OF FUNDAMENTAL
RIGHTS GUARANTEED UNDER
ARTICLES 14, 19, 21
OF THE INDIAN CONSTITUTION

TO

The Hon'ble Chief Justice of the
Madhya Pradesh High Court and his
Companion Justices of the Hon'ble
Court.

The humble petition
of the abovenamed Petitioner

contd..2.

7.4.1993

ORDER IN ORDER SHEET

Shri Manish Datt for the petitioner.

Shri Dilip Naik, Dy.A.G., for the State.

Shri Naik, learned Dy.A.G., states that the Commission with the District Judge, Raipur has been appointed in the matter. He further states that the term of the Commission is upto 12.4.1993 but steps are being taken to extend the same so that the Commission can conduct the inquiry and submit its report. In view of the aforesaid, substantial grievance of the petitioner remains xxx satisfied. This Court would however hope that the Commission would start its work immediately and complete the inquiry as early as possible.

Shri Datt further submitted that this court should fix principles governing payment of compensation to the persons killed in the police firing. This being a matter afforded under the Law of Tort and the Commission having seized with the matter for necessary action, this Court would leave the matter to be decided by the Commission.

The petition is disposed of accordingly.

Sd/-G.C. GUPTA
JUDGE

Sd/-M.V.TAMASKAR
JUDGE

TRUE COPY

Head Copyist
High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR

5/4/93

समक्ष श्रीमान भिलाई, दुर्ग गोली चालन जांच आयोग दुर्ग (म.प्र.)

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा दिनांक 8/5/96 को प्रस्तुत आवेदन पत्र का जवाब शासन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत है

1/ यह कि आवेदन पत्र की कंडिका क्र. 1, जिसमें प्रताड़ित करने का अभिकथन किया गया है असत्य है एवं इंकार है।

2/ यह कि लोमन कुमार ने माननीय जांच आयोग के समक्ष कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अतः कंडिका 2, व कंडिका 3, के संदर्भ में शासन पक्ष किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझता।

3/ यह कि कंडिका के 4 से लेकर 7 तक के अभिकथन की कंडिका क्रमांक 5 माननीय आयोग के समक्ष विचाराधीन है और इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है।

4/ यह कि आवेदन पत्र की कंडिका क्र. 8 के संदर्भ में श्री लोमन कुमार को गुर्दे की परेशानी है तो उसके प्रति शासन पक्ष की पूर्ण सहानुभूति है।

5/ यह कि आवेदन पत्र की कंडिका क्र. 9 एवं 10 माननीय जांच आयोग के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है अतः शासन पक्ष इन अभिकथनों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना नहीं चाहता

तदानुसार आदेश पारित किया जाय।

अधिवक्ता तरफ से शासन

दुर्ग

दिनांक 9/5/96

समक्ष श्रीमान भिलाई (दुर्ग) गोली काण्ड आयोग, दुर्ग- म.प्र.

भिलाई इन्डस्ट्रीज ऐसोसिएशन

भिलाई द्वितीय पक्ष

श्री शेख अंसार के बयान कराये जाने पर आपत्ति ।

द्वितीय पक्ष निम्न प्रार्थना करता है कि-

1. दि. 12.4.96 को कई व्यक्तियों ने आवेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत कर आयोग के समक्ष बयान देने की इच्छा व्यक्त की थी उसी दिन श्री जनकलाल ठाकुर ने आवेदन प्रस्तुत कर श्री सुन्दरलाल पटवा, श्री कैलाश जोशी इत्यादि को साक्ष्य [illegible] के रूप में बुलाये जाने का आवेदन दिया था । ये सभी आवेदन दि. 13.4.96 को आयोग द्वारा निरस्त कर दिये गये ।

2. श्री शेख अंसार ने आयोग के समक्ष कभी शपथ पत्र नहीं दिया है परन्तु दिनांक 12.4.96 को आयोग ने प्रथम पक्ष को निर्देश दिया कि वे जनकलाल ठाकुर, राम साहू, प्यारी बाई, व शेख अंसार को साक्ष्य के लिये 13.4.96 को उपस्थित करें वे दि. 13.4.96 को उपस्थित नहीं हुए अतएव आयोग ने 8.5.96 व 9.5.96 की तिथि निर्धारित की ।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शेख अंसार का नाम भूलवश लिखा गया है क्योंकि अंसार ने कोई शपथ पत्र नहीं दिया है और सिर्फ एक आवेदन दिया था कि उसे साक्ष्य रूप में बयान देने का अवसर दिया जावे । माननीय आयोग ने इस प्रकार के सभी आवेदन निरस्त कर दिये हैं एवं अब शेख अंसार को अपना बयान बिना किसी शपथ पत्र के देने देना आयोग द्वारा आज तक प्रचलित नियमों के विरुद्ध होगा एवं आयोग के 13.4.96 को पारित आदेश के भी विपरीत होगा । विशेषतः उस परिस्थिति में जबकि आयोग के समक्ष ऐसी कोई बात नहीं है कि शेख अंसार का बयान लेना क्यों महत्वपूर्ण है ।

अतएव निवेदन है कि शेख अंसार को साक्ष्य के रूप में परीक्षण नहीं किया जावे ।

अधिवक्ता वास्ते द्वितीय पक्ष

9/5/96